कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 64 ★ मासिक अंक : 9 ★ पृष्ठ : 60 ★ आषाढ़–श्रावण 1940 ★ जुलाई 2018

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिवानी

सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

पंचायती राज : उपलब्धियां और चुनौतियां	जॉर्ज मैथ्यू	5
पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता	डॉ. योगेश कुमार, श्रद्धा कुमार, मोनिका बोस्को	8
पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण	मनोज राय	14
पंचायतों की कार्यकुशलता सुधाने के प्रयास जरूरी	नरेश चंद्र सक्सेना	18
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	डॉ. महीपाल	23
ग्राम पंचायतों से बदलती पानी की तस्वीर	डॉ. जगदीप सक्सेना	32
पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी	डॉ. कृष्ण चंद्र चौधरी	37
जनजातीय इलाकों में 'पेसा'	यतिंद्र सिंह सिसोदिया	44
पंचायती राज का अवलोकन	मंजुला वाधवा	48
उद्दीपन का स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम	डॉ. टी. विजयकुमार	53
'गड्ढ़ा खोदो शौचालय बनाओ' अभियान	---	56
सर्वश्रेष्ठ स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय पुरस्कार	---	57
चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	---	58

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

महात्मा गांधी ने अपनी 'ग्राम स्वराज' की कल्पना में कहा है– ''वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा, जो अपनी अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा; और फिर भी बहुतेरी जरूरतों के लिए– जिनमें दूसरे का सहयोग अनिवार्य होगा– वह परस्पर सहयोग से काम लेगा।'' उनकी 'ग्राम स्वराज' की संकल्पना को बाद में भारतीय संविधान निर्माताओं ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है, ''राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।''

आज़ादी के बाद पंचायत राज व्यवस्था लागू करने के लिए वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई किंतु जागरूकता के अभाव में ग्रामीणों ने रूचि नहीं दिखाई जिससे यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। **सामुदायिक विकास कार्यक्रम** की असफलता के बाद योजना आयोग ने 1957 में बलवंत रॉय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसे **सामुदायिक विकास कार्यक्रम** और **राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम** का मूल्यांकन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई विशेष तौर से लोगों की भागीदारी के संदर्भ में और इसे सुनिश्चित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया। समिति ने देश में त्रि–स्तरीय पंचायतों की सिफ़ारिश की – जिला–स्तर पर जिला परिषद; ब्लॉक/तहसील/तालुका–स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम–स्तर पर ग्राम पंचायत। हालांकि समिति ने ठोस ढांचे के साथ ये सिफ़ारिशें नहीं की थी लेकिन समकालीन पंचायती राज के जन्म के बीज अवश्य बो दिए थे।

इसके बाद अशोक मेहता समिति ने दो–स्तरीय प्रणाली के लिए सिफारिशें की – जिला–स्तर पर ज़िला परिषद और निचले–स्तर पर मंडल पंचायत। तत्पश्चात एल.एम. सिंघवी समिति ने अपनी सिफ़ारिशों में कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए और 'ग्रामसभा' विकेंद्रीकरण का आधार होनी चाहिए। परिणामस्वरूप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पारित हुआ। स्थानीय स्वशासन के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक घटना है। इस संशोधन के जरिए देशभर में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग–9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक 'पंचायत' है। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं, और 16 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है।

पंचायती राज व्यवस्था भारतीय समाज की सामाजिक–आर्थिक संरचना में परिवर्तन लाने में सहयोग प्रदान कर रही है। अब लोग न केवल विकास कार्यों में भाग लेने लगे हैं बल्कि विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आई विफलता को भी सामने लाते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने लगे है। पंचायती राज संस्थाओं ने ग्रामीण उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने में योगदान दिया है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को स्थानीय–स्तर पर लागू करने तथा उससे अपेक्षित परिणाम दिखाने में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिला नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है जिससे एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है। गांवों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग में चेतना का संचार हुआ है।

मनरेगा के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सशक्त होकर उभर रही है। पंचायतें अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने से लेकर सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई एवं सामुदायिक स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धि दर्ज करा रही हैं। संक्षेप में, 73वां संवैधानिक संशोधन ही वह केंद्रबिंदु है जिसके चारों ओर ग्रामीण विकास की पटकथा लिखी जा रही है। आज भारत में ढाई लाख से अधिक पंचायतें हैं, और इनके कुल निवार्चित प्रतिनिधियों की संख्या 30 लाख से अधिक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है। आज भारत में लगभग 13 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं।

हालांकि पंचायती राज ने गांवों में भ्रष्टाचार, संकीर्णता और मनमुटाव आदि को भी बढ़ाया है जो इसकी राह में कई बाधाएं और चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत बनाने और इसकी राह में उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना लेकर आई है। मध्यप्रदेश के मांडला जिले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** नामक इस नई योजना की घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास की सरकार को प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंचायत सदस्यों से आग्रह किया कि वे अनुदानों के सही इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करें।'' उन्होंने कहा कि गांव पंचायतों को जो भी बजट आवंटित किया गया है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए।

राज्यों में पंचायती राज के पैटर्न की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं जिनमें से कुछ राज्य कुछ विशिष्ट या अभिनव विशेषताओं को पेश करने में दूसरों से आगे बढ़े हैं। पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए जाते हैं। पंचायती राज प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों के सैंकड़ों उदाहरण आज हमारे सामने हैं और ऐसे पंचायत प्रतिनिधियों को रोल मॉडल की तरह देखा जाने लगा है।

संक्षेप में, गांवों में निचले स्तर तक योजनाओं के लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए आज प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की जरूरत है ताकि जनता अपने अधिकारों के साथ–साथ दायित्वों को भी समझ सके। आगे की राह वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करने और साथ–साथ इसे सुधारने के लिए सतत प्रयासों से ही बनेगी।

पंचायती राज : उपलब्धियां और चुनौतियां

–जॉर्ज मैथ्यू

हाल ही में देश के ग्रामीण भागों में ग्रामीणों को कैशलैस और पेपरलैस प्रक्रियाओं के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और गांव–स्तर पर डिजिटल वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया गया है। अन्य योजनाएं जैसे आदिवासी इलाकों में वित्तीय समावेशन परियोजनाएं, वर्किंग वुमैन होस्टल, भू–सूचनात्मक ब्लॉक पंचायतें आदि प्रगतिशील पंचायती राज संस्थावाद के उदाहरण है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई हैं।

देश पंचायतों और नगर पालिकाओं की नई पीढ़ी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब 24 अप्रैल, 1993 को पंचायतों को और 1 जून, 1993 को नगरपालिकाओं को "ऐसी शक्तियां और अधिकार दिए गए जो स्वशासन के संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शायद जरूरी थे", यह एक 'मौन क्रांति' की शुरुआत थी। इसके अलावा, यह ऐतिहासिक था। भारत के गणतंत्र बनने के 43 साल बाद महात्मा गांधी और उन सभी का सपना सच हुआ जिन्होंने "लोगों को सत्ता" देने का समर्थन किया था।

आठ साल बाद, 27 अप्रैल 2001 को, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू को लिखा "आपको याद होगा कि संविधान के भाग IX के रूप में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम 1992 के पारित होने के साथ, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संशोधन के परिणामस्वरूप, संघीय राजनीति में पंचायतों को शासन के तीसरे स्तर के रूप में देखा गया है।''

वर्ष 1992–93 में ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप राजनीतिक सशक्तिकरण का जो दौर शुरू हुआ, वह वास्तव में अभूतपूर्व है।

जब एनडीए सरकार सत्ता में आई, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 9 जून, 2014 को संसद में अपने संबोधन में कहाः "मेरी सरकार सशक्त पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से हमारे गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश का एक बड़ा हिस्सा सामुदायिक संपत्ति बनाने और सड़कों, आश्रय, बिजली और पेयजल जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार पर फोकस होगा। मेरी सरकार रुर्बन के विचार से निर्देशित ग्रामीण–शहरी विभाजन को समाप्त करने का प्रयास करेगी; यानी गांवों के आचारों को संरक्षित रखते हुए ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना।'' भारत में संस्थागत पंचायती राज सुधारों का मूल आधार 6 लाख से अधिक गांवों और स्थानीय स्तर पर उनके शासन में निहित है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों (1957) के साथ, जिसने समकालीन पंचायती राज को जन्म दिया, इसके प्रगतिशील उत्थान ने कई सफलताएं अपने नाम की जिसकी छाप पूरे देश पर पड़ी। इसने एक से अधिक तरीकों से लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

सामूहिक रूप से, यह देखा गया है कि पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से पूरे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं। देशभर में गांवों के माध्यम से और उनके समग्र प्रभाव से स्थानीय–स्तर पर प्रतिनिधित्ववादी संचालन के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

हाल ही में देश के ग्रामीण भागों में ग्रामीणों को कैशलैस और पेपरलैस प्रक्रियाओं के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और गांव–स्तर पर डिजिटल वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर विचार किया गया है। अन्य योजनाएं जैसे आदिवासी इलाकों में वित्तीय समावेशन परियोजनाएं, वर्किंग वुमैन होस्टल, भू–सूचनात्मक ब्लॉक पंचायतें आदि प्रगतिशील पंचायती राज संस्थावाद के उदाहरण है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई हैं।

गंभीर सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं जैसे– सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, सामंती व्यवस्था, निरक्षरता, असमान विकास – जिनके भीतर ही इसे कार्य करना है, नए पंचायती राज ने स्थानीय शासन में एक नया अध्याय खोला है।

आज स्थानीय/स्वशासन संस्थानों के चुनाव में हर पांच साल में चुनाव एक मानक बन गए हैं, हालांकि प्रारंभिक वर्षों में, लगभग सभी राज्यों ने सत्ता में होने के बावजूद, संविधान के प्रावधानों को खारिज करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। चूंकि नागरिक समाज संगठनों ने सार्वजनिक हितों के मुकदमे (पीआईएल) दर्ज करके कुछ राज्यों से उनके संविधान विरोधी/असंवैधानिक दृष्टिकोण से लड़ने के लिए पहल की; साथ ही, विभिन्न स्तरों पर न्यायपालिका प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर रही थी। राज्य निर्वाचन आयोगों (एसईसी) जैसे संवैधानिक निकायों ने पंचायत चुनावों को गंभीर रूप से लेते हुए ज़मीनी–स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को काफी विश्वसनीयता प्रदान की है। 3 मई, 2002 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए आदेश से क्यू लेते हुए जोकि आपराधिक पृष्ठभूमि के पूर्वजों, संपत्तियों और उम्मीदवारों की देनदारियों के बारे में मतदाताओं के सूचना के अधिकार से संबंधित था, राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तर्ज पर आदेश जारी किए।

जहां तक गांव से जिला–स्तर तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमारी आबादी के पृथक वर्गों को शामिल करने का सलल है, हमने लगातार प्रगति देखी है। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है। 2015 में, 13,41,773 महिलाएं स्थानीय सरकारों के लिए चुनी गई और इस संख्या की तीन गुना महिलाओं ने चुनाव लड़ा। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं ने अपना उचित हिस्सा सुरक्षित कर लिया है।

श्रेणियों में विभाजित और पुरुष वर्चस्व वाले हमारे समाज की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। आमतौर पर यह धारणा है कि यह उन परिवारों में पुरुष लोग है जो निर्वाचित महिला सदस्यों को नियंत्रित करते हैं; यह आंशिक रूप से सच हो सकता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि स्थिति तेजी से बदल रही है। विभिन्न स्तरों पर सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं में से एक तिहाई महिला अध्यक्ष हैं। वर्ष–दर–वर्ष सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है।

इस अनूठे प्रयोग ने बदले में एक अभूतपूर्व पैमाने पर सामाजिक आंदोलन और मौन क्रांति पैदा की है। चूंकि स्थानीय स्वशासन पूरे देश में अस्तित्व में आ गया हैं, इसलिए उनकी कार्यप्रणाली जांच के दायरे में आ गई है। लोगों के द्वार पर सरकार को ले जाने के लिए धीरे–धीरे अनुकूल माहौल बनाया जा रहा है।

सार्वजनिक निधियों का कुशल उपयोग और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य–स्तर पर कई विस्तृत–तंत्र हैं। ऑडिट के लिए समयबद्ध संस्थागत–तंत्र हैं। साथ ही, सरकार द्वारा प्रायोजित तथा नागरिक समाज संगठनों द्वारा समर्थित सतर्कता समितियां हैं। दूसरे स्तर पर, भारत में सीधे लोकतंत्र के लिए एक संवैधानिक मंच बनाने का अद्वितीय गौरव 'ग्रामसभा' है जिसे स्थानीय विकास और व्यय की देखरेख के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इन अभिनव कदमों से 'सामाजिक लेखापरीक्षा' की अवधारणा उभरी है।

ऐसे कुछ राज्य हैं जहां लोकतंत्र की खोज बढ़ रही है। जम्मू–कश्मीर का मामला लें। जम्मू–कश्मीर में पिछले पंचायत चुनावों के दौरान, अप्रैल 2011 में, मैंने कश्मीर के दूरदराज के गांवों में कई दिन बिताए थे। औसत मतदाताओं का टर्न–आउट 80 प्रतिशत से ऊपर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थानीय लोकतंत्र भविष्य के लिए उनकी आशा था।

पंचायत चुनाव के दिन श्रीनगर ब्लॉक में धारा हरिवान गांव में, दो घंटे के भीतर 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने अपने वोट डाले। एक उत्सव के मूड में पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चे सड़कों पर थे। स्थानीय सरकार के चुनाव समुदायों के बीच एक 'बांड' बनाते हैं। तंगमार्ग तहसील अशजी में एक्सप्रेस मार्ग से गुलमर्ग पर, पंडित महिलाओं ने पंचायत चुनाव के दौरान कश्मीर में समुदायों के बीच मौजूद सद्भावना को कम करने वाले मुस्लिम उम्मीदवार सुरिया को हराया। कश्मीर का यह मामला सात साल पहले का है। लेकिन आज, पंचायत चुनाव राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से स्थगित कर दिया गया है। चुनावों के दौरान बड़ी लड़ाई और तनाव हो सकता है। हालांकि, भारत के आम जन के लिए पंचायत चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने के श्रेष्ठ अस्त्र है।

आज, जबकि राज्य सरकारें और सत्तारुढ़ दल/दलों ने पंचायत चुनावों को एक या अन्य वजह से स्थगित करने का फैसला किया है, वहीं मुख्य न्यायाधीश वाई के सभरवाल (2006) की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ के फैसलों का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया कि नगरपालिकाएं और पंचायतें राज्यों में ज़मीनी लोकतंत्र के स्तंभ हैं और चुनाव आयोगों को राज्यों में ''ऐसी स्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए जोकि स्वार्थवश चुनावों को स्थगित करने के उद्देश्य से पैदा की गई हो।''

भारतीय लोकतांत्रिक तंत्र में दो मौलिक परिवर्तन हुए हैं: (i) भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिक आधार बढ़ गया है, और (ii) इससे भारत के संघवाद में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और जिला और निचले स्तर पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित स्थानीय सरकारों के साथ यह बहु–स्तरीय संघ बन गया है।

उपलब्धियों, खोए अवसरों और आगे की चुनौतियों का आकलन करने के लिए 25 वर्ष का समय काफी है। पंचायती राज की ढाई दशक की यात्रा सफलताओं और असफलताओं से भरी है। सवाल यह है जोकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में अपने पत्र में कहा था कि संघीय राजनीति में पंचायत क्या शासन का तीसरा स्तर बन गया है? स्थानीय शासन प्रणाली, जिसकी शुरुआत बेहद उत्साह से की गई थी, को कई समस्याओं और शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा है।

क्या यह वास्तविकता नहीं है कि आज भी अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए, ग्रामीणों को अपने विधायकों, सांसदों या अधिकारियों के पास जाना पड़ता है; ग्राम सेवकों से बीडीओ और कलेक्टरों तक को?

भारत के कई राज्यों का स्थानीय सरकारी संस्थानों के प्रति रवैया जिम्मेदारीपूर्ण नहीं था। उदाहरण के लिए जब ग्यारहवें वित्त

आयोग ने 2001 से 2005 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 10,000 करोड़ रुपये रखे थे। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तब राज्य सरकारें केंद्र सरकार से 1646 करोड़ रुपये के लिए दावा नहीं कर सकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन फंडों को स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कुछ बुनियादी मानदंडों को पूरा नहीं किया था। केवल चार राज्य– केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान पूरी राशि प्राप्त कर सके। यह केवल एक उदाहरण है यह बताने के लिए कि राज्य सरकारें स्थानीय शासन प्रणाली के हितों को नजरअंदाज करते हुए किस तरह से व्यवहार कर सकती हैं। यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। यह इस परिदृश्य के खिलाफ है कि कई लोग यह सुझाव देने की सीमा तक चले गए हैं कि केंद्र सरकार को स्थानीय सरकारों से सीधे निपटना होगा।

मैं इस तथ्य को रेखांकित करना चाहता हूं कि अगर हम स्थानीय स्वशासन के संस्थानों को केंद्र में रखने और साथ–साथ नीति निर्माताओं के एजेंडा में शीर्ष पर रखने के प्रयासों को ढीला छोड़ते हैं तो 73वें और 74वें संशोधन खतरे में होंगे। हमें भारत में पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए एक नया सरोकार चाहिए। यह नया सरोकार पंचायत और नगरपालिकाओं को यानी, जिला और निचले–स्तर को सरकार में पहले स्तर पर ले आएगा। यह नया सरोकार जल्द से जल्द इस देश से गरीबी उन्मूलन की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की स्वतंत्रता देगा; 2025 तक गरीबी–रेखा भारत के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगी!

यदि हमारे पास कोई नया सरोकार है, तो वह 32 लाख पुरुषों और महिलाओं के लिए एक नया अध्याय खोल देगा जो हर पांच साल में पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचित हो रहे हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दो क्षेत्रों में ध्यान देना चाहिएः पहला–**जिला योजना**। जिला स्तर की योजना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अधिकांश जिला पंचायतों ने इसे आवश्यक आंकड़ों, सुविधाओं, तकनीकी अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ गंभीरता से नहीं लिया है। केवल कुछ ही राज्यों में योजना वैज्ञानिक तरीके से पड़ोसी समूहों से शुरू होती हुई, जिला और राज्य योजना बोर्ड तक पहुंचती है। इसलिए, हम गांवों में जो पाते हैं वह है विश्वास की कमी।

दूसरा क्षेत्र है, **ग्रामसभा**। क्या ग्रामसभा केवल पंचायत हेतु सलाह निकाय हैं? क्या पंचायतों पर बाध्यकारी नहीं है? लोकतंत्र में लोग संप्रभु होते हैं। इसलिए, सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ग्रामसभा जो एक संवैधानिक निकाय है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ए के अनुसार "एक ग्रामसभा गांव–स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ऐसे कार्यों का प्रदर्शन कर सकती है जोकि राज्य विधानमंडल कानून बना करके कर सकते हैं।" ग्रामसभा व्यावहारिक अर्थ में लोगों की कार्यशील सभा है। और इसके कार्यों और शक्तियों को राज्य अधिनियमों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन आज, ग्रामसभा स्थानीय सरकारों की सबसे अधिक हाशिये पर खड़ी संस्था है।

याद रहे कि ग्रामसभा, शायद हमारे नए लोकतांत्रिक संस्थानों में श्रेष्ठ सामाजिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) इकाई है। चूंकि सार्वजनिक तौर से उत्साहित नागरिक और उनकी सामूहिकता सामाजिक लेखा परीक्षा की कुंजी है, ग्रामसभा के सदस्य, प्रतिनिधि निकायों के सभी वर्ग–ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सामाजिक चिंता और सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठा सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। विभिन्न संगठनों से रिटायर्ड लोग, शिक्षक या अन्य जिनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे हो, सामाजिक लेखा परीक्षा मंच या सामाजिक लेखा परीक्षा समिति बना सकते हैं।

संविधान इस मामले को पूरी तरह से राज्य विधानसभा (अनुच्छेद 243 ए) पर छोड़ देता है। इस तथ्य को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि ग्रामसभा हमारे देश की पंचायत प्रणाली में केंद्रीय भूमिका में होनी चाहिए। ग्रामसभा सिफारिशों और सलाहों की प्रकृति में निर्णय निकाय संस्था हैं और इसलिए, पंचायतें ग्रामसभा को अनदेखा नहीं कर सकती और उनके फैसले को रद्द नहीं कर सकती हैं।

संक्षेप में, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को लोगों, अधिकारियों, सिविल सोसायटी, राजनीतिक नेताओं को "स्वशासन के संस्थानों" को कैसे केंद्र में लाया जा सकता है, के बारे में जानकारी देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना होगा। आखिरकार, हमें 'स्थानीय सरकार की संस्कृति' बनाने के लिए काम करना है जोकि अब तक हमारे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से अनुपस्थित है।

मैं एक प्रश्न के साथ अपनी बात खत्म करता हूं: भारत में हमारे 83.5 करोड़ ग्रामीण कैसे कह सकते हैं: "हमारी पंचायतः हमारा भविष्य।''

यह समय सभी संबद्ध लोगों के लिए गंभीरता से लेने का है और इस दिशा में शोध और अनुसंधान करने का है; यह पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में हमारे पास पंचायतों को समर्पित 29 विषयों और नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों के साथ एक सशक्त स्थानीय सरकार है? आधुनिक सुविधाओं के साथ पंचायत भवन कितनी पंचायतों के पास हैं? क्या निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है? क्या एसआईआरडी पूरी तरह से राज्यों में हजारों स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए सुसज्जित हैं? वास्तव में, प्रत्येक जिले में निर्वाचित स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। इसे एक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए जोकि मानव पूंजी बनाएगा।

(लेखक अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली हैं।)

ई–मेलः gemathew@yahoo.co.in

पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता

–डॉ. योगेश कुमार
–श्रद्धा कुमार
–मोनिका बोस्को

पिछले वित्त आयोगों से अलग 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों को बड़ी अच्छी रकम का आबंटन किया है, वह भी ग्राम पंचायतों को, जो सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए 200292 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन के तीन गुना से भी ज्यादा है। बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयोग ने स्थानीय सरकारों पर भरोसा किया है। इतना ही नहीं, चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का पैसा राज्य सरकारों के पास 15 दिन से ज्यादा पड़ा नहीं रहना चाहिए। पंचायतों को धन देने में देरी होने पर राज्यों को ग्राम पंचायतों को ब्याज का भुगतान करना चाहिए।

'स्वराज' और 'गणराज्य' यानी जनता के स्वायत्तशासी गणराज्यों का विचार हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहा है और संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा की बहस में यह भी शामिल रहा है। इसका अभिप्राय है देश में ऐसी मजबूत पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जो अपने आप का प्रबंधन करने की क्षमता रखती हो और शासन संचालन में सक्षम हो। लेकिन हमारा संविधान पंचायतों के बारे में गांधी जी के उदार दृष्टिकोण का उस हद तक समर्थन नहीं कर सका, जितना आवश्यक था। परिणामस्वरूप पंचायतों को राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धातों में ही स्थान मिल सका। राष्ट्र ने फैसला किया कि विकास और गौरव के रास्ते का पंचायतों से गुजरना जरूरी नहीं है और यह मान लिया गया कि विकास का इंजन प्रत्येक व्यक्ति तक इसे पहुंचाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दशकों में बढ़ती गरीबी और असमानताओं ने इस आम धारणा को चुनौती दी जिससे नेताओं को बैठकर 'विकास इंजन के सिद्धांत' के विकल्प के बारे में विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप समतामूलक प्रगति के लिए विकास के विकेंद्रीकरण की धारणा सामने आई। इसके साथ–साथ इस बात का अहसास भी लगातार बढ़ता जा रहा था कि सेवा प्रदान करने में भ्रष्टाचार और कार्यकुशलता की कमी की वजह से लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं असरदार नहीं रह जातीं। इसलिए सेवा प्रदाताओं की निचले स्तर पर जवाबदेही में सुधार लाने की बात सोची गई। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने ग्राम गणराज्य या पंचायती राज प्रणाली के विचार को एक बार फिर विकास का अधिक कार्यकुशल और विकेंद्रित तरीका बना दिया है।

भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की कहानी का सिलसिला 25 साल पहले तब शुरू हुआ जब शहरी और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर मानते हुए क्रांतिकारी 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी मिली। इसके बाद विधिवत पंचायतों और नगरपालिकाओं का गठन किया गया और उन्हें पर्याप्त अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ग्राम पंचायतों के नेताओं ने देशभर में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए। हालांकि इस तरह के उदाहरण बहुत कम हैं और उनके पीछे सशक्त नेतृत्व, प्रशासनिक सहयोग और सामुदायिक योगदान का हाथ अधिक दिखाई देता है। पंचायती राज संस्थाओं को धन की कमी, कामकाज में स्पष्टता की कमी और अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय वित्त आयोग ने संविधान संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों का एक निश्चित हिस्सा आबंटित किए जाने की सिफारिश की है।

स्थानीय सरकारों को वित्तीय अधिकारों का विकेंद्रीकरण

चौदहवें वित्त आयोग ने कई ऐसी पहल की हैं जिनसे पंचायतों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना बनी है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को संसाधनों के आबंटन में पिछले वित्त आयोगों के मुकाबले भारी बढ़ोतरी की गई है। (देखे तालिका–1)

पिछले केंद्रीय वित्त आयोगों से हटकर, चौदहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए काफी बड़ी राशि का आबंटन किया है और वह भी ग्राम पंचायतों के लिए, जो सेवा प्रदान करने का कार्य करती हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए 200292 करोड़ रुपये का आबंटन किया है जो तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन के मुकाबले तीन गुना से भी अधिक है। आयोग ने स्थानीय निकायों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भरोसा किया है। इतना ही नहीं चौदहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचायतों का पैसा सरकार के पास 15 दिन से ज्यादा की अवधि के लिए पड़ा नहीं रहना चाहिए।

तालिका 1: विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों को आबंटित अनुदान

वित्त आयोग	पंचायतों को अनुदान (करोड़ रुपये)	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (करोड़ रुपये)
दसवां	4380.93	1000.00
ग्यारहवां	8000.00	2000.00
बारहवां	20000.00	5000.00
तेरहवां	63015.00	23111.00
चौदहवां	200292.00	87143.8

अगर इसमें देरी होती है तो ग्राम पंचायतों को ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।

अनुदान का उद्देश्य

अनुदान राशि दो तरह से जाती है: बुनियादी अनुदान और कार्यनिष्पादन अनुदान। बुनियादी अनुदान का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव, सड़कों, पगडंडियों और स्ट्रीट लाइटों, श्मशान व कब्रिस्तान के रखरखाव जैसे उन बुनियादी कार्यों के लिए होता है जो कानून के तहत उन्हें सौंपी गई हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बुनियादी अनुदान की राशि का उपयोग किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा जिसकी जिम्मेदारी संगत कानून के तहत स्थानीय निकाय को न सौंपी गई हो। ग्रामीण स्थानीय निकाय को बुनियादी अनुदान देते समय 2011 की जनगणना के आधार जनसंख्या को 90 प्रतिशत और क्षेत्र को 10 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।

चौदहवें वित्त आयोग ने बुनियादी सेवाओं के घटक के रूप में संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और पूंजीगत खर्च में अंतर नहीं किया है। यह सलाह दी गई है कि संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) और पूंजीगत खर्च के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की लागत किसी भी हालत में ग्राम पंचायत या नगरपालिका को आबंटित की जाने वाली राशि या स्थानीय निकाय के खर्च के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की इस 10 प्रतिशत राशि के समुचित उपयोग के लिए राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। राज्य गतिविधियों संबंधी परामर्श सूची के आधार पर अपनी प्राथमिकता सूची जारी कर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर पंचायतों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के आधार पर धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा। गतिविधियों संबंधी एक निषेधात्मक सूची भी तैयार की गई है और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में किसी बड़े विचलन को कम–से–कम करने की सलाह दी गई है।

चौदहवें वित्त आयोग ने इस बात पर भी गौर किया कि जैसे–जैसे स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले जनता के पैसे का हिस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, इन संस्थाओं में जवाबदेही लाने की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। कार्य निष्पादन अनुदान का उद्देश्य प्राप्तियों और खर्च के आंकड़ों तथा अपने राजस्व में सुधार का विश्वसनीय अंकेक्षित लेखा तैयार करना है। कार्य निष्पादन अनुदान के लिए पात्रता की शर्त यह है कि पंचायतें अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत करेंगी और अपने राजस्व में बढ़ोतरी दर्ज करने के प्रयास करेंगी। राज्य पंचायतों के कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने पात्रता मानदंड बना सकते हैं।

विकेंद्रित नियोजन

वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग

की सिफारिशों के अनुसार अनुदान देने और उसे उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त धन को खर्च करने से पहले पंचायतों को राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार सौंपे गए कार्यों के दायरे में रहते हुए समुचित योजनाएं तैयार करनी हैं। ये योजनाएं प्रतिभागितापूर्ण होनी चाहिए जिनमें परियोजनाओं और प्राथमिकताओं को तय करने में जन समुदाय, खासतौर पर ग्राम पंचायतों की भी भागीदारी होनी आवश्यक है। उसे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के जनादेश पर अमल को भी सुनिश्चित करना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में गरीब और उपेक्षित लोगों की कमजोरियों को दूर करने और समन्वित गरीबी न्यूनीकरण योजना के जरिए उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करने वाला घटक भी स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने और समयबद्ध कार्ययोजनाओं पर अमल के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए राज्यों की खास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों से पंचायती राज प्रणाली के सशक्तीकरण के बारे में राज्यों की परिकल्पना और महत्वाकांक्षा का पता चलता है। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के कार्य को आसान बनाने और इसमें मदद के लिए संस्थागत प्रणाली विभिन्न राज्यों में अलग–अलग हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश ने 13वें वित्त आयोग से प्राप्त धन के उपयोग के लिए 'पंच परमेश्वर' नाम की अपनी योजना तैयार की है जिसे 14वें वित्त आयोग की धनराशि के उपयोग के लिए भी जारी रखा गया है। नवगठित राज्य तेलंगाना ने 14वें वित्त आयोग के धन से 'ग्राम ज्योति' नाम की एक योजना की घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य "ग्राम पंचायतों को सशक्त और सुदृढ करना है ताकि सेवाएं बेहतर तरीके से प्रदान की जा सकें"। इसमें पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत संस्थागत दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है जिसके अंतर्गत महामारियों की रोकथाम, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बाल कल्याण, लाइसेंस जारी करना और अतिक्रमण रोकना जैसे कार्य शामिल हैं। कर्नाटक ने उत्पादन क्षेत्र, नागरिक सुविधाओं और सामाजिक न्याय आदि के लिए कार्यकारी समूह तैयार किए हैं। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश की ही तरह तकनीकी सहयोग के लिए जिला–स्तर के संसाधन समूहों की परिकल्पना की गई है। ओडिशा ने ग्राम पंचायत–स्तर पर नियोजन इकाई का प्रस्ताव किया है जिसमें निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं के अलावा सीबीओ, एनजीओ और ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ने योजना बनाते समय समाज के उपेक्षित समूहों की आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर जोर दिया है जबकि तेलंगाना ने अ.जा./अ.ज.जा. उप–योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके वास्ते विशेष विकास योजना को साथ–साथ तैयार करने का प्रस्ताव किया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पंचायत आंत्रप्रन्योरशिप सूट (पीईएस)

वर्तमान नियोजन प्रणाली के अंतर्गत मोटे तौर पर कार्यक्रमों के अनुसार जिला–स्तर पर योजनाएं तैयार करनी होती हैं जिसमें अक्सर सरकार की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल नहीं बन पाता। इन सरोकारों पर गौर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 'प्लान प्लस' नाम का एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। इसमें

तमाम नियोजन इकाइयों की सभी परियोजनाओं को समन्वित और समेकित करने की सुविधा उपलब्ध है। पंचायतों द्वारा तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिया जाता है और नागरिक भी अपने–अपने इलाकों में बनाई जा रही योजनाओं और किए जा रहे कार्यों को देख सकते हैं। इस समय प्लान प्लस के जरिए योजना तैयार करना कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है। इसके अलावा एक्शन सॉफ्ट एक अन्य पीईएस एप्लिकेशन है जो प्लान प्लस के साथ तालमेल के साथ कार्य करता है। यह कार्य पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया और अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि कार्यान्वयन की अवधि में किन–किन विभिन्न स्रोतों से धन प्राप्त हो रहा है। इस तरह यह कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति के बारे में सूचना देने में पूर्ण पारदर्शिता लाता है। इसी तरह 'प्रिया सॉफ्ट' एक अन्य पीईएस एप्लिकेशन है जिसमें वाउचर प्रविष्टियों के जरिए अनुमोदित सूची के कार्यों के लिए प्राप्तियों और खर्च का हिसाब रखा जा सकता है।

अच्छे नतीजे

14वें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को धन के हस्तांतरण की व्यवस्था से उनके कुल संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है। परिणामस्वरूप पैसा खर्च करने के बारे में पंचायतों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। इसके कुछ सकारात्मक पहलुओं को संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है–

स्थानीय सरकारों को विकेंद्रीकरण में वृद्धि से प्रति व्यक्ति धन की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है और यह ग्यारहवें वित्त आयोग के समय प्रति व्यक्ति 96 रुपये के स्तर से बढ़कर 12वें वित्त आयोग के कार्यकाल में 240 रुपये हो गई। इसके बाद यह 13वें वित्त आयोग के समय में 488 रुपये के स्तर पर पहुंच गई। प्रति व्यक्ति धन की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण लोगों का जीवन–स्तर सुधरा है। यह गांवों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में समुचित नियोजन की वजह से संभव हो सका है।

14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को ग्रामसभाओं द्वारा तैयार और अनुमोदित ग्राम पंचायत योजना तैयार करने की

तालिका–2 : चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग–समेकित (करोड़ रुपये में)

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18	
	14वें वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान	कुल खर्च	14वें वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान	कुल खर्च	14वें वित्त आयोग से प्राप्त कुल अनुदान	कुल खर्च
आंध्र प्रदेश	17.21	5.41 (29.11%)	1292.32	840.63 (64.38%)	1309.53	846.04 (64.60%)
छत्तीसगढ़	506.7	325.71 (64.05%)	738.1	383.5 (50.91%)	1244.8	709.21 (56.97%)
गुजरात	851.32	687.27 (80.6%)	1252.18	930.61 (74.26%)	2103.5	1617.88 (76.91%)
हरियाणा	205.8	52.72 (25.62%)	796.36	502.7 (63.01%)	1002.16	55542 (55.42%)
हिमाचल प्रदेश	1.01	0.09 (7.65%)	12.95	2.26 (14.53%)	13.96	2.35 (16.83%)
झारखंड	138.26	22.22 (16.01%)	347.917	135.31 (48.71%)	486.177	157.53 (32.40%)
महाराष्ट्र	91.82	2.35 (2.55%)	179.61	7.87 (4.26%)	271.43	10.22 (3.76%)
मणिपुर	21.86	14.26 (65.25%)	35.2	32.74 (92.99%)	57.06	47 (82.36%)
ओडिशा	853.13	187.16 (22.41%)	1096.39	221.9 (20.23%)	1949.52	409.06 (20.98%)
राजस्थान	2729.88	60.68 (2.22%)	2234.82	1158.1 (51.8%)	4964.7	1218.78 (24.54%)
तेलंगाना	200.6	117.77 (36.75%)	812.26	476.63 (48.74%)	1012.86	594.4 (58.68%)
त्रिपुरा	1.06	0.8 (74.84%)	56.32	38.32 (68.05%)	57.38	39.12 (68.17%)
उत्तराखंड	201.41	1.33 (0.66%)	271.93	92.69 (34.08%)	473.34	94.02 (19.86%)
उत्तर प्रदेश	1795.12	40.24 (2.24%)	2079.69	38.38 (1.99%)	3874.81	78.62 (2.02%)
अखिल भारतीय	8419.22	1819.29 (21.27%)	12972.01	5669.63 (43.09%)	21391.23	7488.92 (35.009%)

(स्रोत : योजना दस्तावेज और वेबसाइट)

जिम्मेदारी सौंपी है। अब पंचायतों को इस बात का फैसला करने की अधिक स्वायत्तता मिल गई है कि किस बुनियादी सुवि धा पर अधिक पैसा खर्च होना चाहिए।

ग्राम पंचायतों को सीधे धनराशि दी जाती है और इसमें ब्लॉक और जिला पंचायतों जैसी अन्य पंचायती संस्थाओं की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। परिणामस्वरूप ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई बुनियादी सेवाओं पर खर्च करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध रहते हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए गए अनेक प्रतिबंधों और प्राथमिकता संबंधी शर्तों के बावजूद ग्राम पंचायतों ने दूरदर्शिता से धन का उपयोग किया और प्रतिस्पर्धी लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले कई निर्माण कार्य पूरे किए हैं। अनुदान से जहां बुंदेलखंड में भीषण सूखे में पानी के लिए तरसते लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिली है वहीं झारखंड में पूरानी टूटी–फूटी पुलिया की मरम्मत करके सड़क संपर्क बनाए रखा जा सका है। इसी तरह पुराने नलकों की छुटपुट मरम्मत, गांव में पीने के पानी के एकमात्र कुएं की सफाई जैसे कार्य भी इससे कराए जा सके हैं। ग्राम पंचायतों ने इन अत्यंत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं पैसा जोड़ा और जुटाया क्योंकि उन्हें अक्सर कार्यों की प्राथमिकता तय करने का अधिकार न होने से ये काम कराए नहीं जा सकते थे।

पंचायतों द्वारा स्थानीय रूप से तालमेल कायम करने के कई उदाहरण हैं, जबकि अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के पैसे से इन योजनाओं को पूरा कर सेवाओं की गुणवत्ता में वैसा सुधार नहीं लाया जा सकता था।

इसके अलावा 14वां वित्त आयोग पंचायतों की अनुदान राशि का दसवां हिस्सा कार्य निष्पादन के आधार पर देने की सिफारिश करता है। इस अनुदान के लिए पात्र होने के लिए स्थानीय निकायों को पिछले साल का अंकेक्षित लेखा देना होता है और यह साबित करना पड़ता है कि उसने अपने राजस्व में बढ़ोतरी की है। स्पष्ट है कि पंचायतों को मिलने वाली अनुदान राशि अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार की तरह होती है न कि नाकामयाबी को छुपाने के लिए सहायता के तौर पर। स्थानीय निकायों को प्रासंगिक बने रहने और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए यह एक बड़ा प्रोत्साहन है।

चुनौतियां

राज्यों को धन के अंतरण के लिए साल में दो किस्तें पहले से निर्धारित होने से बड़े पैमाने पर पैसे का उपयोग न हो पाने की गुंजाइश कम है। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए चौदहवें वित्त आयोग के धन के उपयोग में भारी अंतर देखा गया है। (देखें तालिका–2)

पिछले दो वर्षों में गुजरात, मणिपुर और आंध्र प्रदेश सबसे अधिक खर्च करने वाले राज्य रहे हैं जिनके बाद त्रिपुरा, तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। तालिका में बताए गए बाकी राज्य आबंटित संसाधनों में से आधे से भी कम का उपयोग कर सके। उत्तर प्रदेश, जहां गरीबों की संख्या काफी अधिक है, केवल 2.02 प्रतिशत राशि का उपयोग कर सका जबकि प्रगतिशील व धनी राज्य महाराष्ट्र अंतरित धनराशि के 3.76 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका। चूंकि ये आंकड़े भारत सरकार के प्लान प्लस सॉफ्टवेयर से लिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 14वें वित्त आयोग से संबंधित खर्च की जानकारी देगा, सूचना देने में कमी रह जाने की गुंजाइश बनी हुई है। कई राज्यों ने अपने आंकड़े इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि उन्होंने पंचायत खातों के धन के प्रबंधन के लिए अपने सॉफ्टवेयर (जैसे मध्य प्रदेश ने पंचायत दर्पण और कर्नाटक ने पंचतंत्र) विकसित कर लिए हैं। धन का पूरा–पूरा उपयोग न हो पाने का एक कारण यह भी नजर आता है।

14वें वित्त आयोग के अनुदानों के दायरे में ही अधिकतर राज्यों ने अनुदान को अपनी प्राथमिकताओं से जोड़ दिया है। ग्राम पंचायतों के सामने विकास संबंधी अनेक चुनौतियां हैं जिसके परिणामस्वरूप जनता/मतदाताओं के विभिन्न वर्गों की ओर से परस्पर प्रतिस्पर्धी मांगें उठती रहती हैं। ऐसे में अगर कोई राज्य किसी एक सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाने का फैसला कर लेता है तो नलों से पानी की आपूर्ति, जल संरचनाओं की मरम्मत, तालाबों की मरम्मत, पुलियाओं का निर्माण और रखरखाव, वर्षा जल की निकासी, तालाबों को गहरा करने, हैंडपंपों की मरम्मत आदि जैसे कई अन्य जरूरी कार्यों की उपेक्षा की संभावना बनी रहती है।

निष्कर्ष

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लीक से हटकर और क्रांतिकारी हैं जिनसे हमारी स्थानीय सरकारें सुदृढ़ होंगी। वित्तीय विकेंद्रीकरण और भरोसे पर आधारित दृष्टिकोण ने हमारी ग्राम–सभाओं और ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सशक्त किया है। धन के आबंटन से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवाओं के प्रभाव, गुणवत्ता और संवेदनशीलता पर असर पड़ा है। जीपीडीपी के गठन और पीईएस एप्लिकेशन के जरिए पंचायतों के रिकार्ड के डिजिटलीकरण से समूची प्रणाली ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और कारगर बन गई है। स्थानीय–स्तर पर समुचित नियोजन से दी जाने वाली धनराशि का उपयोग और अधिक समावेशी विकास के लिए किया जा सकेगा। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों पर और अधिक भरोसा करना चाहिए और उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनराशि के उपयोग की छूट होनी चाहिए। अगर नागरिकों की मांगों की सुनवाई होती है, उन्हें स्वीकार किया जाता है और पूरा किया जाता है तो विकेंद्रित नियोजन उनके लिए भी एक प्रेरक प्रयास साबित होगा।

(डॉ. योगेश कुमार सेंटर फॉर डेवेलपमेंट सपोर्ट (समर्थन), कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश में कार्यकारी निदेशक हैं, सुश्री श्रद्धा कुमार कार्यक्रम निदेशक और सुश्री मोनिका बोस्को कार्यक्रम एसोसिएट हैं।)

ई–मेल : yogesh@samarthan.org

CHANAKYA IAS ACADEMY

CHANAKYA IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

A Unit of CHANAKYA ACADEMY FOR EDUCATION AND TRAINING PVT. LTD.
Under the direction of Success Guru AK MISHRA

25 Years of Excellence, Extraordinary Results every year,

4000+ Selections in IAS, IFS, IPS and other Civil Services so far...

Our Successful Candidates in CSE-2017

5 IN TOP 10 | 11 IN TOP 20 | 42 IN TOP 100

Total 355+ Selections

RANK- 4

RANK- 6

RANK- 7

RANK- 8

RANK- 9

IAS 2019
Upgraded Foundation Course™

A complete solution for all stages of Civil Services Examination

BATCH DATES: 10th June, 10th July, 10th August-2018

आईएएस 2019
अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स

सिविल सेवा परीक्षा के सभी चरणों के लिए एक पूर्ण समाधान

बैच दिनांक: 10 जून, 10 जुलाई, 10 अगस्त–2018

NORTH DELHI BRANCH: 1596, Ground Floor, Outram Lines, Kingsway Camp, Opp. Sewa Kutir Bus Stand, Near GTB Nagar Metro Station Gate No.2, Delhi-09, Ph: 011-27607721, 9811671844/ 45

CENTRAL DELHI BRANCH: Level 5, Plot No. 3B, Rajendra Park, Pusa Road, Next to Rajendra Place Metro Station, Gate No. 4, Delhi-60, Ph: 8447314445

SOUTH DELHI BRANCH/HO: 124, 2nd Floor, Satya Niketan, Opp. Venkateswara College, Next to South Campus Metro Station, Gate No. 1, Delhi-21, Ph: 011-26113825, 9971989980/ 81

www.chanakyaiasacademy.com

Our Branches

Allahabad: 9721352333 | Ahmedabad: 7574824916 | Bhubaneswar: 9078878233 | Chandigarh: 8288005466 | Dhanbad: 9113423955
Guwahati: 8811092481 | Hazaribagh: 9771869233 | Indore: 9522269321 | Jammu: 8715823063 | Jaipur: 9680423137
Kochi: 7561829999 | Mangaluru: 7022350035 | Patna: 8252248158 | Pune: 9112264446 | Ranchi: 8294571757

पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण

–मनोज राय

पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए समानांतर कार्यक्रम जरूरी हैं। पंचायतों को सबसे पहले उनकी संवैधानिक भूमिकाएं निभाने के लिए समुचित अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। उसके लिए उन्हें समुचित कामकाज, धन एवं काम करने वाले सौंपकर समुचित शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करने होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक क्षमता निर्माण एकतरफा मामला ही बना रहेगा।

पंचायती संस्थाओं के क्षमता निर्माण पर किसी भी चर्चा में तीन पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षमता संबंधी क्या आवश्यकता हैं, जिनसे वे अपनी–अपनी तयशुदा भूमिकाओं और दायित्वों का वहन कर सकें? दूसरा, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी कौन हैं; उनकी सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या हैं? तीसरा और अंतिम पक्ष पहले दोनों पर निर्भर है और वह है संस्थाओं तथा उनमें मौजूद लोगों में क्षमता का समय से निर्माण कैसे सुनिश्चित किया जाए।

भारत के संविधान में पंचायतों को ग्रामीण भारत में 'स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं'[1] कहा गया है। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरों वाली व्यवस्था अनिवार्य है। ये स्तर हैं: ग्राम अथवा ग्राम संकुल स्तर पर ग्राम पंचायत, उप–जनपद अथवा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए केवल दो स्तरों, ग्राम पंचायत एवं जिला पंचायत की व्यवस्था की गई है। संविधान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंचायतों को ही स्थानीय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने का अधिकार देता है। संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके सुपुर्द की गई स्थानीय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन भी उन्हें ही करना चाहिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 ऐसे विषयों की निर्देशक सूची दी गई है, जो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्षेत्र हो सकते हैं।

पंचायती संस्थाओं के क्षमता निर्माण पर किसी भी चर्चा में तीन पहलुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला, पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की क्षमता संबंधी क्या आवश्यकताएं हैं, जिनसे वे अपनी–अपनी निर्धारित भूमिकाओं और दायित्वों का वहन कर सकें? दूसरा, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी कौन हैं; उनकी सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या हैं? तीसरा

और अंतिम पक्ष पहले दोनों पर निर्भर है और वह है संस्थाओं तथा उनमें मौजूद लोगों में क्षमता का समय से निर्माण कैसे सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तुत आलेख में पंचायतों में मौजूद उन लोगों पर चर्चा का प्रयास किया गया है, जिनकी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें क्षमता निर्माण की वर्तमान रणनीतियों एवं सामने आती समस्याओं की पड़ताल भी की गई है।

क्षमता की आवश्यकताएं

पंचायतें वे सरकारी संस्थाएं होती हैं, जो गांवों में रहने वालों के सबसे करीब हैं। पंचायत सदस्य और अधिकारी उन्हीं गांवों में या आसपास के गांवों में लोगों के साथ रहते हैं। अपनी पंचायतों में किसी भी स्थानीय विकास कार्य में वे स्वयं ही प्राथमिक साझेदार होते हैं। लोगों के निकट रहने और आसानी से उपलब्ध होने के कारण पंचायत सदस्यों से स्थानीय लोगों और राज्य तथा केंद्र सरकार समेत बाहरी एजेंसियों की विभिन्न मांगों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को संभालने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पंचायत के पदाधिकारियों (निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों) को पंचायतों के प्रबंधन एवं वित्त की बारीकियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पंचायत की बैठकें, ग्रामसभा की बैठकें, स्थायी समितियों की बैठकें कराना, कराने के तरीके तथा अन्य संस्थागत कामकाज भी इसी में शामिल हैं। उन्हें पंचायती संस्थाओं की भूमिकाओं, दायित्वों और अधिकारों तथा उनकी सीमाओं की जानकारी होनी चाहिए। ये आवश्यक क्षमताएं हैं। अन्य प्रमुख क्षमताओं में पंचायती राज एवं स्थानीय विकास की बुनियादी बातें शामिल हैं जैसे, लोकतंत्र, सहभागिता, 73वां संविधान संशोधन, राज्य पंचायती राज अधिनियम, सहभागिता के साथ नियोजन, स्त्री–पुरुष समानता, सामाजिक न्याय, सुशासन एवं ई–प्रशासन की कार्यप्रणाली आदि।

अलग–अलग राज्यों में पंचायतों के विभिन्न स्तरों के कामकाज, वित्त एवं पदाधिकारी अलग–अलग होने के कारण पंचायती राज के तीनों स्तरों की स्थिति भी अलग–अलग होती है। इसीलिए प्रशिक्षण की जरूरत के अनुसार ही राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की क्षमता संबंधी आवश्यकताएं भी अलग–अलग होती हैं। लेकिन कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं, जो सभी राज्यों की हरेक पंचायत के सामने आते हैं। इनमें बुनियादी सेवाएं एवं समाज कल्याण आदि शामिल हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी समस्याएं, आपदा एवं बदलती जनांनिकी स्थिति संबंधी चिंता स्थानीय शासन के अन्य महत्वपूर्ण मसले हैं। केंद्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका भी सभी राज्यों में बढ़ रही है।

पंचायतें ग्राम विकास की अधिकतर योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी हैं। कृषि, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय विकास जैसे विभाग अथवा मंत्रालय और सामाजिक क्षेत्र के अन्य मंत्रालय भी अपने कार्यक्रम पंचायत–स्तर पर क्रियान्वित करते हैं। वर्ष 2017–18 में ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही बजट 1,05,447.88 करोड़ रुपये है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) केंद्र द्वारा प्रायोजित उन पांच शीर्ष योजनाओं में शामिल हैं, जिनमें पंचायतें शामिल होती हैं। ग्राम पंचायत–स्तर पर क्रियान्वित होने वाले अन्य प्रमुख कार्यक्रम हैं: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और स्वच्छ भारत अभियान। इन योजनाओं के अलावा चौदहवें वित्त आयोग ने 2015 से 2020 के बीच ग्राम पंचायतों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। पंचायतों को यह राशि जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़कों पर प्रकाश, खेल के मैदान और शवदाह गृह जैसे मूलभूत नागरिक कार्यों पर खर्च करनी है। कई राज्य भी अपनी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर पर करते हैं। उन राज्यों के वित्त आयोग भी विभिन्न कार्यों के लिए पंचायतों को राशि उपलब्ध करा सकते हैं। इन सभी का पंचायतों के क्षमता निर्माण पर प्रभाव पड़ता है।

किनका क्षमता निर्माण करना है

पंचायतों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, वे ज्ञान, पृष्ठभूमि और रुचियों के मामले में एकदम अलग–अलग होते हैं। वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से इस समय देशभर में लगभग 248620 ग्राम पंचायतें, 6425 ब्लॉक पंचायतें और 601 जिला पंचायतें काम कर रही हैं। सभी राज्यों में पंचायतों के तीन स्तर वाले ढांचे के तहत लगभग 30 लाख प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक प्रतिनिधि महिलाएं होती हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों से भी लगभग 10 लाख प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इनमें से अधिकतर महिलाओं तथा वंचित पुरुषों के लिए पंचायतों में चुना जाना सार्वजनिक भूमिका निभाने का उनका पहला अनुभव होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का पहला मौका होता है। उन्हें सामाजिक बाधा (पितृसत्ता, सामंतवाद) और संस्थागत बाधा (अधिकतर राज्यों में पंचायतों को सीमित अधिकार तथा शक्तियां दी गई हैं) भरे माहौल में कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। केंद्र तथा राज्य की योजनाएं पंचायत में ठीक तरीके से लागू हों, यह देखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है। इस भूमिका के लिए खास तरह के कौशल और तकनीकी जानकारी की जरूरत हो सकती है। किसी संस्था (पंचायत) की कमान और उसका कामकाज संभालने के लिए खास तरह के प्रशिक्षण और क्षमताओं की जरूरत भी होती है।

पंचायत के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बहुत चुनौती भरा होता है क्योंकि प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, उनमें बहुत विविधता होती है और उनके हालात भी अलग–अलग होते हैं। लाखों निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा

लाखों अधिकारी और करोड़ों ग्रामसभा सदस्य भी होते हैं। पंचायत के मुख्य पदाधिकारियों में आमतौर पर पंचायत सचिव, लेखाकार (अकाउंटेंट) और पंचायत विकास अधिकारी शामिल होते हैं। कुछ पंचायतों में तकनीकी कर्मचारी भी होते हैं। इन मुख्य पदाधिकारियों के अलावा विभागीय पदाधिकारियों विशेषकर पंचायतों को सौंपे गए विभागों के पदाधिकारियों के लिए पंचायती राज व्यवस्था तथा उसमें अपनी भूमिकाओं को समझना जरूरी है। उनमें नई समझ विकसित करने (विभाग के प्रति जिम्मेदार होने के बजाय जनता तथा पंचायतों के प्रति जिम्मेदार होना), संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित होने की जरूरत भी होती है।

क्षमता निर्माण के तरीके

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों के प्रकार तथा प्रशिक्षण के तरीकों के संबंध में दिशानिर्देश देने के लिए 2014 में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रारूप तैयार किया। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की क्षमता संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं, मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), शिक्षण संस्थाओं तथा मीडिया की मदद लेने का प्रस्ताव रखा गया। संस्था–आधारिक प्रशिक्षण प्रदान करने में राज्य ग्राम विकास संस्थान (एसआईआरडी) सबसे आगे रहे हैं। इस मामले में आगे रहने वाले कुछ एसआईआरडी हैं: एसआईआरडी–कर्नाटक, एसआईआरडी– राजस्थान, केआईएलए– केरल, यशदा– महाराष्ट्र और एसआईआरडी–असम। लगभग सभी राज्यों के अपने–अपने एसआईआरडी हैं, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों से भरपूर वित्तीय मदद मिलती है। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) सभी एसआईआरडी के लिए राष्ट्रीय संकुल संस्थान का काम करता है। पीआरआईए, सहभागी शिक्षण केंद्र, उन्नति, समर्थन, महिला चेतना मंच और सीवाईएसडी जैसे कई एनजीओ पंचायती राज के लिए संस्था–आधारित एवं सघन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हालांकि संस्था–आधारित प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ी संख्या में हितधारकों तक पहुंचने और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के मामले में इसकी क्षमता बहुत सीमित है।

संस्था–आधारित प्रशिक्षण कई ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं के लिए अव्यावहारिक भी हो सकता है क्योंकि उनकी आवाजाही पर कई सामाजिक प्रतिबंध होते हैं। ऐसी स्थिति में एक से दूसरे को प्रशिक्षण देने का तरीका अर्थात कैस्कैडिंग प्रशिक्षण बहुत लोकप्रिय तरीका है। इस तरीके में प्रशिक्षण का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है और कई स्थानों पर जैसे जिला, ब्लॉक और ग्राम अथवा ग्राम समूह स्तर पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे एक साथ हजारों स्थानों पर कई कार्यक्रम करने में मदद मिलती है। प्रशिक्षुओं को भी यह तरीका अधिक भाता है क्योंकि वे अपने घरों के नजदीक रहते हैं और अक्सर स्थानीय भाषाओं में बोलने वाले प्रशिक्षकों से उनका सीधा संवाद होता है। कैस्कैड तरीके से प्रशिक्षण के लिए विभिन्न स्थानों से जानकारी और रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच से सघन एमटीओटी (मास्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स) के जरिए मुख्य यानी मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं। एमटीओटी का संचालन एसआईआरडी और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र अथवा पीआरआईए जैसे एनजीओ करते हैं। इसके बाद मास्टर प्रशिक्षक विभिन्न क्षेत्रों अथवा जिलों में चलने वाले संस्था–आधारित सघन प्रशिक्षक प्रशिक्षण के जरिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षक तैयार करते हैं। अंत में ये प्रशिक्षक लोगों के आसपास के स्थानों पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

> निर्वाचित प्रतिनिधियों की उम्र, अनुभव, शिक्षा, जाति, नस्ल, लिंग और आयु वर्ग में भिन्नता होती है। उनकी जरूरतें और भाषा अलग–अलग होती हैं। कागजों पर 'लक्ष्य पूरे करने' के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं अक्सर इन विविधताओं को नजरअंदाज कर देती हैं, जिसका खमियाजा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भुगतना पड़ता है। दूरस्थ प्रशिक्षण पहुंच के मामले में लाभकारी हैं, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को यह अधिक उत्साहित नहीं करता क्योंकि वे आमने–सामने बातचीत के अभ्यस्त होते हैं।

अनुभव दिलाने वाले दौरों में धन और समय अधिक लगता है, लेकिन वे क्षमता निर्माण के सर्वाधिक प्रभावी तरीके साबित हुए हैं। इन दौरों से अपने समान लोगों से सीखने के बड़े मौके मिलते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायतों के अधिकारी वास्तविक तौर–तरीके देखने के लिए कुछ स्थानों पर जाते हैं और उन्हें देखकर तथा बात कर सीखते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के मिले–जुले समूह के ऐसे दौरे कराने के अनुभवों से पीआरआईए को पता चला कि इन दौरों से अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच मित्रता को भी बढ़ावा मिलता है। निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी एक–दूसरे की भूमिकाओं की सराहना करते हैं, जिससे पंचायत में अच्छा कामकाजी माहौल तैयार होता है।

विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में फैले प्रशिक्षुओं तक पहुंचने के लिए कई एसआईआरडी दूरस्थ शिक्षा के तरीके जैसे सैटकॉम प्रशिक्षण को अपनाते हैं, जो केंद्रीय स्टूडियो प्रसारण केंद्रों तथा विकेंद्रीकृत उपग्रह इंटरैक्टिव टर्मिनल के जरिए उपग्रह संचार पर आधारित होता है। छात्रों, पंचायतों के अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के फायदे के लिए कई शिक्षण संस्थाएं, एसआईआरडी और एनजीओ भी पंचायती राज कार्यक्रमों पर पाठ्यक्रम चलाते हैं। पंचायती राज के बारे में लोकप्रिय जानकारी के प्रसार के लिए रेडियो, टेलीविजन, भाषायी अखबारों, लोक समूहों और अन्य लोकप्रिय माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज के विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए आसानी से समझ में आने वाली सामग्री स्थानीय भाषा में तैयार कराई जाती है और थोक में बांटी जाती है।

चुनौतियां

प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों से अच्छा–खासा अनुदान आवंटित होने के बाद भी एसआईआरडी और अन्य प्रशिक्षण संस्थाएं निर्वाचन अथवा नियुक्ति के छह महीनों के भीतर आधे निर्वाचित पदाधिकारियों को भी गुणवत्ता भरा प्रशिक्षण नहीं दे पाती हैं। पीआरआईए खुद ही कई बार यह मसला उठा चुकी है। तमाम अध्ययनों और रिपोर्टों में भी यह मुद्दा उठाया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुने जाने के एक वर्ष बाद भी किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। अधिकतर राज्यों में ज्यादातर प्रशिक्षण सरपंच और (पंचायत) सचिव तक ही सिमटकर रह जाता है।

25 वर्ष के अपने अनुभव में नई पंचायती राज व्यवस्था ने कई उतार–चढ़ाव देखे हैं। लेकिन लोगों ने स्थानीय विकास के लिहाज से उनके महत्व को पहचान लिया है और स्वीकार कर लिया है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही लगभग सभी विकास योजनाओं के दिशानिर्देशों में पंचायतों की भूमिकाओं को शामिल करना चलन बन गया है। हालांकि लिखने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में पंचायतें कई अतिरिक्त कामों के बोझ से दबी हुई हैं और उन्हें अलग से मदद भी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को छोड़कर केंद्र तथा राज्य के अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए ग्राम–पंचायत स्तर पर काम करने वाले ही नहीं होते। पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि पंचायत–स्तर पर अतिरिक्त पदाधिकारियों के बगैर ही वे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद करें, जबकि इनमें से अधिकतर कार्यक्रमों में 3 से 6 प्रतिशत राशि प्रशासनिक कार्यों के लिए तय होती है। इस कारण पंचायतों के वर्तमान सदस्यों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण और अतिरिक्त मानव संसाधन के बगैर ही इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद करनी पड़ती है।

पंचायतों को केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न स्रोतों से अच्छे–खासे अनुदान मिल रहे हैं। लेकिन इससे उनकी निर्भरता बढ़ती है और पंचायत जैसी सांविधिक संस्था की वित्तीय स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। पिछली आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में भी यही चिंता जताते हुए कहा गया था कि पंचायतें अपनी कुल राजस्व आय के 5 प्रतिशत जितने संसाधन भी स्वयं तैयार नहीं कर पा रही हैं। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के संभवतः सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। दुर्भाग्य से सरकारों अथवा एनजीओ के अधिकतर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में इस क्षेत्र पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। सांप्रदायिक सौहार्द, जलवायु में राहत, महिलाओं के साथ हिंसा आदि दूसरे क्षेत्र हैं, जिन पर क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों के दौरान उचित तथा अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

आगे की राह

आगे की राह सुझाने से पहले दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या पंचायत का मतलब सरपंच ही है? पंचायत के चुने गए सदस्य केवल काम करने के लिए होते हैं या वे नेतृत्व करने के लिए भी होते हैं? ये प्रश्न वर्तमान स्थानीय संदर्भों और क्षमता कार्यक्रमों के बारे में अलग–अलग एजेंसियों का ध्यान अलग–अलग स्थानों पर केंद्रित होने के कारण उठे हैं। क्षमता निर्माण इकलौता समाधान नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए समानांतर कार्यक्रम जरूरी हैं। पंचायतों को सबसे पहले उनकी संवैधानिक भूमिकाएं निभाने के लिए समुचित अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। उसके लिए उन्हें समुचित कामकाज, धन एवं काम करने वाले सौंपकर समुचित शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करने होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक क्षमता निर्माण एकतरफा मामला ही बना रहेगा। साथ ही, क्षमता निर्माण में इन निर्वाचित प्रतिनिधियों की नेतृत्व संबंधी भूमिकाएं विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत के पास केंद्र एवं राज्य स्तरों पर मंत्रिमंडल और अफसरशाही व्यवस्था के आजमाए हुए उदाहरण हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नेतृत्व की भूमिकाओं में ही अधिक रहते हैं। इसी प्रकार पंचायत सदस्यों को स्थानीय विकास के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसी के अनुसार पंचायतों में नेताओं तथा काम करने वालों का प्रशिक्षण भी अलग–अलग होना चाहिए।

प्रशिक्षण तथा क्षमता संबंधी मौजूदा दृष्टिकोण की बात करें तो सभी के लिए समयबद्ध तथा गुणवत्ता भरा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के मकसद से तुरंत कदम उठाने होंगे। प्रशिक्षण में देर होने से प्रशिक्षण बेकार हो जाता है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (अध्यक्ष, सामान्य सदस्य तथा विभिन्न समितियों के सदस्यों) को निर्वाचन के 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण दे दिया जाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण के अधिकतर घटकों को नवनिर्वाचित पंचायतों के गठन के साल भर के भीतर ही पूरा कर लेना चाहिए। मुख्य कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कर्मचारियों को एक साथ दिया जाना चाहिए ताकि दोनों को ही भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों तथा उन्हें पूरा करने के तरीकों के बारे में एक जैसी जानकारी मिल सके। सरकारें पंचायतों में ई–प्रशासन को बढ़ावा दे रही हैं।

स्रोत :

- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, जिसने भारत में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 243जी
- ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणाम के लिए प्रदर्शन आधारित भुगतान पर समिति की रिपोर्ट (सुमित बोस समिति की रिपोर्ट), 2017, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- भारत सरकार द्वारा तैयार की गई और 29 जनवरी, 2018 को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2017–18

(लेखक पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) नई दिल्ली में निदेशक हैं।)

ई–मेल : manoj.rai@pria.org

पंचायतों की कार्यकुशलता सुधारने के प्रयास जरूरी

–नरेश चंद्र सक्सेना

रिपोर्टों आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि जनता को अधिकार–संपन्न बनाने में कामयाबी में चार बातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है: पारदर्शिता, सहभागिता, समावेशन और स्वामित्व की भावना। अगर किसी समुदाय के लोग यह नहीं समझ पाते कि निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं या उन्हें इस बात का अहसास नहीं होता कि किस तरह दूसरे लोग कायदे–कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो उन्हें लोगों के साथ समूह में कार्य करने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। पंचायतें खुली बैठकों के आयोजन, बैठकों की कार्रवाई को जनता के साथ साझा करके और नियमों का पालन न करने वालों या अपना टैक्स न चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक रूप से उजागर करके पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं।

इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए शानदार कार्यों के बावजूद पंचायतों के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों पर अमल से गांवों में कुछ ही लोगों को फायदा हुआ है। इसका फायदा उठाने वाले अक्सर स्थानीय प्रभावशाली जातियों के लोग हैं और इनसे गरीबों तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का सशक्तीकरण नहीं हो पाया है। पंचायतों के नेता आमतौर पर असमानता पर आधारित ग्रामीण समाज में बदलाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा फायदा नहीं उठा सके हैं। पंचायतें कमोबेश 'राजनीतिक' संगठनों के तौर पर काम कर रही हैं; वे सही अर्थों में स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य नहीं कर पा रही हैं। अधिकतर समय वे राज्य सरकारों/भारत सरकार के कार्यक्रमों के निष्पादन में मददगार के रूप में कार्य कर रही हैं। योजना आयोग के मूल्यांकन (2001) से पता चलता है कि कुछ ही स्थानों में ग्रामसभाओं की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। ज्यादातर मामलों में इस तरह की बैठकों में सदस्यों की भागीदारी बहुत कम थी। ग्रामसभाओं को सशक्त बना कर और पंचायतों पर उनके नियंत्रण को मजबूत करके पारदर्शिता की दिशा में एक जोरदार पहल की जा सकती थी। इससे गरीबों और समाज के उपेक्षित लोगों को भी विकास में सहभागी बनाया जा सकता था। मगर ज्यादातर राज्यों के कानूनों और नीतियों में न तो ग्रामसभाओं के अधिकारों व शक्तियों का जिक्र किया गया है और न इन संगठनों के कार्य संचालन की कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 2015 के ग्राम प्रधान चुनावों के अध्ययन से पता चला है कि ग्राम पंचायत के मुखिया के चुनाव

प्रचार में औसतन 5 से 6 लाख रुपये तक खर्च किए गए। लेकिन चुनाव जीतने वाले इस खर्च का करीब दस गुना सरकारी कार्यक्रमों के खर्च में से कटौती करके आसानी से वसूल लेते हैं। अध्ययन में एक ग्रामीण नेता का हवाला दिया गया है जिसने कहा है कि 'आबंटित धनराशि में से करीब 75 प्रतिशत तो पंचायत सचिव, जूनियर इंजीनियर, ब्लॉक व जिला पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को कमीशन देने में चला जाता है और बाकी 25 प्रतिशत को विकास कार्यों में खर्च किया जाता है।' अगर कमीशन का भुगतान नहीं किया जाता तो हम ब्लॉक कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय के चक्कर काटते रह जाएंगे और हमारी फाइलें कभी मंजूर नहीं होंगी। अगर कोई आदमी ईमानदार है तो उसे काम करने ही नहीं दिया जाएगा। परिवार और समाज उसे अस्वीकार कर देंगे। (मुकर्जी 2018)।

यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी, जहां ग्रामीण समाज के निचले और मध्यम स्तर के बहुत से लोग ग्राम पंचायतों में शक्तिशाली पदों पर आसीन होने में कामयाब रहे हैं, वहां भी जिन लोगों का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, उन्हें फायदों से वंचित रखा जाता है। पंचायतों का बहुत अधिक राजनीतिकरण हो चुका है और पिछड़े हुए तबकों (अनुसूचित जातियों/जनजातियों) के सदस्यों की अपनी ही पार्टी में कोई पूछ नहीं है क्योंकि ज्यादातर नेता ऊंची जातियों से हैं। महिलाएं भी यह महसूस करती हैं कि उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा नहीं दिया जाता (बनर्जी 2008)।

पंचायतों की कार्यकुशलता और उनकी सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली को निम्नलिखित उपाय अपनाकर सुधारा जा सकता है:

सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी : सभी स्तरों की पंचायतें आमतौर पर निर्माण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने में व्यस्त रहती हैं जिनमें ठेकेदार और दिहाड़ी मजदूरों से काम कराया जाता है। इनमें गरीब की बराबरी के आधार पर भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती, उल्टे सरपंच पर गरीबों की निर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है। पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वयंसहायता समूहों, पौष्टिक आहार, जलग्रहण क्षेत्र, चरागाह और वानिकी संबंधी कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि इनमें लोगों को बराबरी के आधार पर भागीदारी निभाने और आम सहमति से कार्य करने का मौका मिलता है।

वित्तीय शक्तियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहन : पंचायतें सरकारी खर्च पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं (ज्यादातर मामलों में 95 प्रतिशत से ज्यादा)। यह पैसा कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में ठीक से लेखापरीक्षा नहीं की जाती। ये धनराशि पंचायतों की आमदनी का आसान विकल्प है और उन्हें स्थानीय–स्तर पर खुद राजस्व जुटाने से हतोत्साहित किया जाता है। जब तक पंचायत अपने आंतरिक संसाधन नहीं जुटाती और बाहर से धन प्राप्त करती रहती हैं, तो इस बात की बहुत कम ही संभावना है कि लोग पंचायतों के खर्च की सामाजिक लेखापरीक्षा की मांग करेंगे क्योंकि उन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता।

ग्राम–स्तर पर पंचायतों को जो महत्वपूर्ण अधिकार हस्तांतरित किया गया है, वह है संपत्ति, कारोबार, बाजार और मेलों पर कर लगाना और स्ट्रीट लाइट या सार्वजनिक शौचालयों आदि के लिए शुल्क वसूल करना। ग्रामीण लोगों में से बहुत कम को ग्राम पंचायतों के इस वित्तीय अधिकार की जानकारी है क्योंकि इसके बारे में कभी बताया ही नहीं गया। बहुत कम पंचायतें नए टैक्स लगाने के लिए अपनी वित्तीय शक्तियों का उपयोग करती हैं। पंचायतों के प्रमुख इस संबंध में जो तर्क देते हैं, वह यह है कि आप जिस जन–समुदाय के बीच रह रहे हैं उसी के सदस्यों पर टैक्स लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मौजूदा वित्तपोषण प्रणाली के बारे में पुनर्विचार करना जरूरी है।

उदाहरण के तौर पर तमिलनाडू में सरकारी मशीनरी के जरिए भूमि कर की वसूली की जाती है और उसमें से 85 प्रतिशत पंचायतों को दे दिया जाता है। अगर इस कर की वसूली की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाए तो इससे बड़ी किफायत होगी और पंचायतें वसूल की गई राशि में से 15 प्रतिशत सरकार को दे सकती हैं। आज पंचायतें कर लगाने और वसूलने से हिचकिचाती हैं क्योंकि उनके पास भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने का आसान विकल्प है। इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए और स्थानीय निकायों को विकास के लिए स्थानीय रूप से संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद वे केंद्र/राज्य सरकारों से उतनी ही राशि अनुदान के रूप में ले सकते हैं। पंचायतें अपने वित्तीय संसाधनों के लिए जनसमुदाय पर जितना अधिक निर्भर होंगी, उतनी ही अधिक संभावना इस बात की है कि वे अपने दुर्लभ भौतिक संसाधनों का उपयोग मानव विकास को बढ़ावा देने में और गरीबी कम करने में कम कर पाएगी। बाहर से मिलने वाली धनराशि, जिसमें आंतरिक स्रोतों से धन जुटाने की कोई बाध्यता जुड़ी नहीं होती, पंचायतों को गैर–जिम्मेदार और भ्रष्ट बना देती हैं।

चौदहवें वित्त आयोग से अनुदान : चौदहवें वित्त आयोग ने अप्रैल 2015 से ग्रामीण स्थानीय निकायों को पांच साल के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित करने की सिफारिश की है। हालांकि वित्त आयोग पहले भी स्थानीय निकायों को अनुदान देते रहे हैं, 14वें वित्त आयोग ने इसमें जबर्दस्त बढ़ोतरी की है। अनुदान राशि दो प्रकार की होगीः बुनियादी अनुदान और कार्यनिष्पादन आधारित अनुदान। अनुदान राशि (1) स्थानीय निकायों की प्राप्तियों और खर्च के बारे में लेखापरीक्षित विवरण के जरिए विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जाएगी; और (2) स्थानीय निकायों को अपने राजस्व में सुधार करना होगा। कार्यनिष्पादन संबंधी अनुदान प्राप्त करने का हकदार बनने के लिए उन्हें ये शर्तें पूरी करनी होंगी। लेकिन बहुत से राज्य इसमें पिछड़

रहे हैं। पंचायतों को या तो स्थानीय रूप से राजस्व वसूल करने के लिए करों से संबंधित पर्याप्त जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई हैं, या फिर जहां इस तरह का अधिकार दिया भी गया है वहां उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। असम, बिहार, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान पंचायतों के माध्यम से कोई कर न वसूले जाने की जानकारी दे रहे हैं। इन राज्यों पर कार्यनिष्पादन संबंधी 14वें वित्त आयोग के उदार अनुदान से हाथ धो बैठने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए क्षमता निर्माण के अंतर्गत पंचायतों को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए सशक्त करने और अनुदान के उपयोग के बारे में समय–समय पर रिपोर्ट भेजने पर भी ध्यान देना चाहिए।

समय पर और विश्वसनीय लेखापरीक्षा : ग्राम पंचायतें अब बड़े खर्च करने लगी हैं। उनके लेखे–जोखे की स्थानीय निधि लेखा परीक्षकों से ऑडिट करा जाना जरूरी है। लेकिन इसमें कई परेशानियां हैं। पहला, पिछले वर्षों का बहुत–सा काम पूरा किया जाना है और कुछ मामलों में तो दस साल से भी अधिक समय से लेखापरीक्षा नहीं की गई है। दूसरा, उनकी रिपोर्टों की गुणवत्ता अत्यंत दयनीय है इसलिए इस तरह के ऑडिट की उपयोगिता संदिग्ध हो जाती है। प्रणाली में सुधार लाने के लिहाज से इसका प्रभाव मामूली या संभवतः नकारात्मक है। तीसरा, भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिली हैं और आम धारणा यही है कि ऑडिट रिपोर्ट पैसा देकर बनवाई जा सकती हैं। अंत में, निर्वाचित गैर–सरकारी पदाधिकारियों को उनकी रिपोर्टों में पाई गई कमियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केवल अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। इससे पंचायतों के गैर–सरकारी पदाधिकारी गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार करने को प्रेरित होते हैं। ये गंभीर मसले हैं और पंचायतों की वित्तीय जवाबदेही में सुधार के लिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। ये मसले आज इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें लगा दी हैं।

पंचायतों का वर्गीकरण हो : पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्य की पत्रकारों के दल, सिविल सोसाइटी के सदस्यों, आसपास के जिलों के पंचायत नेताओं (जो अच्छा कार्य कर चुके हैं) और अन्य संबद्ध लोगों द्वारा कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। उनकी रिपोर्टों के आधार पर पंचायतों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें भविष्य में सभी धनराशि वर्गीकरण के आधार पर ही दी जानी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन और लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने से स्थानीय निकायों, उनकी स्थायी समितियां और उनके प्रतिनिधियों की जनता और उसके साथ–साथ सरकार के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी।

सूझबूझ से तैयार की गई विधि से पंचायतों के कार्यनिष्पादन का आकलन करना काफी हद तक संभव हो सकेगा। इससे यह भी तय किया जा सकेगा कि वे किस सीमा तक समावेशी और प्रतिभागितापूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में एक अध्ययन में 20 पंचायतों की रैंकिंग तय करने के लिए मानदंड तैयार किए गए। हैरानी की बात नहीं है जिन पंचायतों का अध्ययन किया गया (75 प्रतिशत) उनमें से अधिकतर 'असंतोषजनक' या 'बहुत असंतोषजनक' श्रेणी में वर्गीकृत की गईं। लेकिन दो को 'अच्छा'दर्जे में रखा गया जबकि तीन को 'बहुत अच्छे' दर्जे में वर्गीकृत किया गया। **यह बात ध्यान देने की है कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली दो पंचायतों की मुखिया महिला सरपंच थीं।** (श्रीवास्तव, तारीख रहित)।

सामाजिक पूंजी में सुधार : भारत के राज्यों में कुछ बुनियादी सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। इसी तरह राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में महिलाओं का दर्जा अपेक्षाकृत ऊंचा है। वहां लड़कों और लड़कियों को लगभग एक समान स्तर की शिक्षा दी जाती है और महिलाओं को घर से बाहर

निकलने की आज़ादी है और उनमें आत्मविश्वास है। इसके विपरीत उत्तरी कर्नाटक में लड़कियों का शिक्षा का स्तर लड़कों से काफी नीचा है और महिलाएं घर से बाहर कम निकलती हैं। इस तरह उत्तर में कुल मिलाकर सामाजिक संपत्ति का स्तर निम्न है क्योंकि असमानताएं ज्यादा हैं और जातीय संघर्ष भी विद्यमान हैं।

कर्नाटक के प्रशासनिक तंत्र में सरकारी कार्यक्रमों की सफलता के बारे में आम धारणा यह है कि दक्षिण–पश्चिम कर्नाटक के जिलों, जैसे मैसूर और शिमोगा में कार्यक्रम आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि राज्य के उत्तर–पूर्वी जिलों में आसानी से ऐसा नहीं होता। गरीबी के स्तर के अलावा कई प्रेक्षकों ने जो बात महसूस की है, वह है सामूहिक कार्रवाई की जबर्दस्त क्षमता जो मैसूर और शिमोगा जैसे जिलों में मौजूद है। यहां का जन समुदाय शिक्षकों और क्षेत्रीय स्तर के अन्य कर्मचारियों पर अपना कार्य ठीक से करने के लिए और अधिक दबाव बनाने में सफल रहा हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में शिक्षा की उच्च गुणवत्ता हासिल करने में जन–समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बेहतर सामाजिक पूंजी के परिणामस्वरूप बच्चों की स्कूली शिक्षा में समुदाय की भागीदारी का स्तर बढ़ जाता है और ये लोग शिक्षक समुदाय के कार्य की निगरानी करते हुए उन पर दबाव बनाने का कार्य भी करने लगते हैं (डब्ल्यूएसपी 2001)।

पारदर्शिता को प्रोत्साहन : रिपोर्टों आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि जनता को अधिकार–संपन्न बनाने में कामयाबी में चार बातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैः पारदर्शिता, सहभागिता, समावेशन और स्वामित्व की भावना। अगर किसी समुदाय के लोग यह नहीं समझ पाते कि निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं या उन्हें इस बात का अहसास नहीं होता कि किस तरह दूसरे लोग कायदे–कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो उन्हें लोगों के साथ समूह में कार्य करने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। पंचायतें खुली बैठकों के आयोजन, बैठकों की कार्रवाई को जनता के साथ साझा करके और नियमों का पालन न करने वालों या अपना टैक्स न चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक रूप से उजागर करके पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं।

उदाहरण के लिए थाइलैंड में बच्चों में कुपोषण की दर को सिर्फ दस साल के भीतर 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने में शानदार सफलता इसलिए मिली क्योंकि वहां गांवों में आयोजित किए जाने वाले मेलों में बच्चों का वजन दर्ज कराने के लिए हर महीने सभी माता–पिता का आना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे वजन सही–सही लिया जाने लगा और परिवारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। दूसरी ओर, भारत के कई राज्यों में पंचायतों के अंतर्गत कार्य करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं में सही–सही वजन दर्ज करने के लिए जन समुदाय की ओर से किसी तरह का दबाव नहीं है जिससे फर्जी जानकारी देकर कुपोषण की असलियत को छिपा दिया जाता है। उदाहरण के लिए झारखंड से भारत सरकार को प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार 0 से 3 वर्ष के आयु वर्ग में अत्यधिक कुपोषित बच्चों की तादाद केवल 0.5 प्रतिशत थी जबकि यूनीसेफ के सर्वेक्षण (2014) में यह 16 प्रतिशत बताई गई थी। इस तरह ज़मीनी–स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारी पादर्शिता के अभाव और सही–सही जानकारी देने के बारे में ग्रामसभा की ओर से किसी भी तरह का दबाव न होने से जवाबदेही से साफ बच निकलते हैं।

प्रशासन में सुधार : इसके साथ ही पंचायतों को कारगर बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के प्रशासन को भी कारगर बनाना होगा। यानी बेहतर जवाबदेही और कार्यनिष्पादन के लिए स्थानीय प्रशासन को पंचायतों के साथ मिलकर कार्य करना होगा और स्थानीय पंचायतों को सक्षम बनाना होगा। इस तरह सिविल सेवाओं में सुधार से जिला प्रशासनों को मजबूत करने के साथ–साथ पंचायतों को भी अधिकार संपन्न बनाना होगा। पेशेवर और जवाबदेह लोक प्रशासन की सामाजिक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के साथ–साथ पंचायतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाने में कारगर भूमिका होगी। यही दो दायित्व उन्हें सौंपे गए हैं और इन्हें पूरा करके लोक प्रशासन अपनी उपयोगिता साबित कर सकता है।

जवाबदेही संबंधी महत्वपूर्ण प्रणालियां कायम करने के बाद प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए ताकि विकेन्द्रीकरण से पक्षपात, भाई–भतीजावाद, भ्रष्टाचार या जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले। विकेंद्रित नीति कितनी प्रभावशाली रहती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कितने अच्छे तरीके से लागू की जाती है। नियंत्रणों और संतुलनों के अभाव में वे लोग उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं जिन्हें विकेंद्रीकरण के जरिए ये शक्तियां सौंपी गई हैं। विकेन्द्रीकरण में एक आम कमी यह देखी गई है कि बिना पर्याप्त दिशानिर्देश दिए या ऑडिट का पर्याप्त इंतजाम किए बगैर अधिकार सौंप दिए जाते हैं। पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ऑडिट और निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था भी की जाए।

संदर्भ

बैनर्जी, पार्थसारथी (2008): द पार्टी एंड द पंचायत ऑफ वेस्ट बंगाल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 14 जून

मुकर्जी सिद्धार्थ (2018) : द 2015 ग्राम प्रधान इलेक्शनस इन उत्तर प्रदेश : मनी, पॉवर एंड वायलंस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, जून 16

योजना आयोग (2001): मिडटर्म अप्रेसल ऑफ द 9 प्लॉन योजना आयोग, नई दिल्ली।

श्रीवास्तव, रवि एस। (तिथि रहित) : एंटी पावर्टी प्रोग्रामस इन उत्तर प्रदेश : एन एवल्युशन योजना आयोग देखिए :

http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/stdy_pvtyup.pdf

यूनीसेफ (2014) : रेपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन 2013–14, नई दिल्ली।

डब्ल्यूएसपी (2001): जल और स्वच्छता कार्यक्रम, विश्व बैंक दिल्ली।

वाय सम विलेज वॉटर एंड सेनिटेशन कमेटीज आर बेटर देन अदर्स : ए स्टडी ऑफ कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश (इंडिया)

(लेखक भारत सरकार के योजना आयोग में पूर्व सचिव रह चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग में भी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।)

ई–मेल : naresh.saxena@gmail.com

ETEN IAS

Our Students have Topped Civil Services Exam 2017!

Anudeep Durishetty
AIR-1

Anu Kumari
AIR-2

Sachin Gupta
AIR-3

Every 2nd* selected candidate of UPSC CSE '17 is from ETEN IAS KSG

*Results from CL and KSG; currently under audit

Program features

- Classes Beamed Live from Delhi
- Recordings of Sessions for Revision
- All-India Test Series
- Comprehensive Study Material

Batches available for GS Foundation 2019 (Pre + Mains + Interview)
July 14 (Weekend) - English | July 16 (Weekday) - English | July 23 (Weekday) - Hindi

To know more, please visit your nearest center

Agra: 9760008389 Allahabad: 9455375599 Aluva: 8281711688 Amritsar: 8054373683 Bangalore: 9964322070 Bangalore: 9035651622 Bhiwani: 7015382123 Bilaspur: 9907969099 Chennai: 9962981646 Dibrugarh: 7086708270 Ghaziabad: 120-4380998 Hissar: 9355551212 Hyderabad: 8008006172 Hyderabad: 9908414441 Imphal: 7005607850 Jamshedpur: 9102993829 Kolkata: 9836990904 Lucknow: 7311116911 Ludhiana: 9988299001 Meerut: 8433180973 Moradabad: 9927035451 Mysore: 9945600866 Nagpur: 8806663499 Patna: 9430600818 Raipur: 8871034889 Ranchi: 651-2331645 Shimoga: 9743927548 Sonepat: 9555795807 Srinagar: 9797702660 Tirupati: 9698123456 Trivandrum: 8138885136 Udaipur: 9828086768 Varanasi: 9718493693 Vijaywada: 9912740699

www.etenias.com

Career Launcher

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

–डॉ. महीपाल

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर की थी। इस लेख में इस नई योजना की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। उम्मीद है कि यह योजना पंचायतों की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके जरिए पंचायतें स्थानीय जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होंगी और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े ग्रामीण मुद्दों के सतत समाधान हेतु सहभागिता से योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न "सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास" को पूरा करने का प्रयास है ताकि मजबूत पंचायतों और प्रभावकारी जन भागीदारी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग–थलग पड़े लोगों तक पहुंचा जा सके। भारत उन गांवों में रहता है जहां लगभग 2 लाख 55 हजार पंचायतें और उनके 31 लाख चुने हुए प्रतिनिधि कार्यरत हैं। इसमें भी लगभग 46 प्रतिशत (14.39 लाख) महिलाएं हैं। यद्यपि संविधान ने राज्यों को अधिकृत किया है कि वे पंचायतों को ग्रामीण स्वशासन की संस्थाओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शक्तियों का हस्तांतरण कर सकते हैं, बावजूद इसके इन संस्थाओं की तीन "क" (कार्य, कार्यकर्ता और कोष) के क्षेत्र में अधिकार दिए जाने की स्थिति अध्ययनों के अनुसार उत्साहजनक नहीं है।

इसका एक कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों की अक्षमता और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों, कार्य हेतु भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा जैसी आधारभूत संरचनाओं के रूप में उचित समर्थन प्रणाली की गैर–मौजूदगी भी है। आरजीएसए ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं की इन्हीं कमियों का निराकरण करता है।

इस प्रपत्र में आरजीएसए की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख है और यह प्रतिपादित करता है कि यह अभियान पंचायतों की बहु–प्रतीक्षित आकांक्षाओं को पूरा करेगा जिससे कि उनकी क्षमता बढ़ने के साथ ही उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सके और दीर्घकालीन स्थायी विकास (एसडीजी) के रास्ते में आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उन्हें सहभागिता की आयोजना के काम में लगाया जा सके।

आरजीएसए के लक्ष्य

आरजीएसए के प्रमुख लक्ष्य हैं : (i) एसडीजी संबंधी

विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं की शासन कार्यक्षमता का विकास करना (ii) उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान देते हुए समेकित ग्रामीण शासन हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महत्व के विषयों का समाधान (iii) स्वयं की आय के स्रोतों का विकास करने की पंचायतों की क्षमता का विकास करना, (iv) जन सहभागिता के मूलमंत्र के रूप में ग्रामसभाओं की प्रभावी कार्यक्षमता को मजबूत करना और ऐसा करते समय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उपेक्षित समूहों, पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देना, विभिन्न विकास कार्यों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सहायक प्रावधानों का सहयोग सृजित करना, (vi) संविधान की भावना और पेसा (पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचायतों को अधिकारों और दायित्वों का हस्तांतरण, (vii) पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता संस्थानों की श्रृंखला का विकास करना, (viii) विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को मजबूत करना और उन्हें अवसंरचनाओं, सुविधाओं, मानव संसाधन विकास एवं लक्ष्य पूर्ति आधारित प्रशिक्षण में पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त करने के योग्य बनाना, (ix) स्थानीय आर्थिक विकास एवं आय में वृद्धि के लिए पंचायतों को सक्षम बनाना जिससे कि स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर आधारित दीर्घकालिक आय अर्जन जैसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, (x) प्रशासनिक सक्षमता और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए ई–प्रशासन (गवर्नेंस) एवं अन्य तकनीकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना, (xi) कार्य निष्पादन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को मान्यता एवं प्रोत्साहन देना।

आरजीएसए का विस्तार और वित्तपोषण का प्रकार

आरजीएसए का विस्तार न केवल देश के उन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया जाएगा जहां पंचायतें हैं वरन उन क्षेत्रों में भी होगा जहां संविधान का भाग IX लागू नहीं है अर्थात जहां पंचायतें नहीं हैं। आरजीएसए में राष्ट्रीय स्तर के क्रियाकलापों– "तकनीकी सहायता की राष्ट्रीय योजना", ई–पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना, पंचायतों को प्रोत्साहन, जैसे विभिन्न केंद्रीय योजनाओं जैसे अवयव होंगे वहीं पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण जैसे राज्य–स्तरीय घटक भी होंगे। जहां तक केंद्रीय सहायता की बात है तो इसका शत–प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा वहीं राज्य घटक का वित्तपोषण पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 (60 केंद्र सरकार द्वारा और 40 राज्य सरकार द्वारा) रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों के लिए यह 90:10 रखा गया है। केंद्रशासित प्रदेशों में शत–प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

आरजीएसए के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए शर्तें

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आरजीएसए के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। यह इस प्रकार हैं (i) जिन क्षेत्रों में संविधान का भाग IX लागू नहीं हैं, वहां राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में पंचायतों और स्थानीय निकायों के नियमित रूप से चुनाव कराए जाना, (ii) पंचायतों/स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान 33 प्रतिशत से कम न हों, (iii) प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन और उसकी सिफारिशों के अनुसार की गई कार्रवाई का लेखा–जोखा राज्य विधानसभा को दिया जाएगा, (v),सभी जिलों में जिला योजना समितियों का गठन और उन्हें कार्यरत बनाने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देशों/नियमों को जारी किया जाना, पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना तैयार कर उसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा, जनसेवा केंद्रों को ग्राम पंचायत भवनों के आसपास ही बनाया जाना।

राज्य घटक के अंतर्गत राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करनी होगी जिसे राज्य अनुमानित आवश्यकताओं के आकलन एवं योजना के विस्तृत घटकों और अनुमानित वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेंगे।

केंद्रीय सहायता के उप–घटक

केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आने वाले उप–घटक हैं :

तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना

तकनीकी सहायता हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीटीए) के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलाप हैं : (i) कार्यक्रम की योजना–प्रबंधन एवं निगरानी (ii) राज्य क्षमता निर्माण योजनाओं के निर्माण और मूल्यांकन में तकनीकी सहयोग (iii) राष्ट्रीय क्षमता प्रणाली (एनसीबीएफ) के अनुरूप क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, (iv) राज्यों में प्रशिक्षण क्षमता की गुणवत्ता सुधारने को सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षकों के संसाधन संकुल की स्थापना एवं विकास करना, (v) अन्य मंत्रालयों और राज्यों के बीच कार्यक्रमों की एकरूपता को सुगम करना, (vi) विकेंद्रीकरण और शासन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान–अध्ययन करवाना, (vii) अच्छी कार्यशैलियों का पड़ोसी राज्यों में परस्पर आदान–प्रदान और सीखना, अभिलेखन एवं प्रसारण, (viii) पंचायतों के क्षमता निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण से जुड़े तात्कालिक महत्व के मुद्दों पर कार्यशालाएं/सम्मेलन करवाना, (ix) नई पहलों/विशिष्ट क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के लिए विभिन्न संस्थानों/विशिष्ट एजेंसियों को समर्थन देना,

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत अगले चार सालों में गांवों के विकास पर 7255 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इनमें लगभग 4500 करोड़ रुपये केंद्र और लगभग 2700 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है।

योजना के नए स्वरूप के तहत ग्राम पंचायतों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता लाने पर भी जोर रहेगा।

(x) आर जीएसए की ऑनलाइन निगरानी और रिपोर्टिंग का विकास और उसकी देखरेख, (xi) आर जीएसए की विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, (xii) आर जीएसए के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों के सकल मूल्यांकन, निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एनएमपीयू) की स्थापना, (xiii) उद्देश्यों के लिए अकादमिक संस्थानों/क्षमता निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय संस्थान/राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग–समझौते करना।

ई–पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना

ऐसा करने से पंचायत–स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में आईसीटी को बढ़ावा मिलेगा। अन्य बातों के अलावा इसमें (i) पंचायतों के लिए वेब–आधारित एप्लिकेशंस का रखरखाव और विकास (ii) क्रियाकलापों की निगरानी के लिए मोबाइल एपों का विकास (iii) साथ ही भारतनेट परियोजना के अंतर्गत दूरसंचार विभाग के साथ कार्यक्रम एकरूपता और उस तक पंहुच के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

पंचायतों को प्रोत्साहित करना

पंचायतों और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचायतों/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सेवा प्रदान करने एवं लोक कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को पहचान दिलाने हेतु पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वोत्तम कार्य करने वाली पंचायतों को उनके कुल मिलाकर किए जा रहे प्रशासन एवं स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, उपेक्षित – वंचित समूहों के विकास जैसे मुद्दों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार उन ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा जिन्होंने ग्रामसभाओं को अपने काम में शामिल करने के बाद स्थानीय सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो और ई–पंचायत पुरस्कार राज्यों को उनके द्वारा ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना को शुरू करने और उसमें महत्वपूर्ण प्रगति को मान्यता देने के लिए दिया जाएगा।

राज्य योजना के अंतर्गत क्रियाकलाप

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण क्रियाकलापों का आधार निम्नलिखित गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क (एनसीबीएफ) होगा :

(1) पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचित प्रतिनिधियों, एवं पंचायतकर्मियों के लिए चरणबद्ध संतृप्ति की व्यवस्था, तथापि मिशन अंत्योदय में शामिल की गई ग्राम पंचायतों एवं नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। (2) पंचायती राज संस्थाओं के लिए ऐसे क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य और टीकाकरण, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, डिजिटल लेनदेन (भुगतान) जीपीडीपी, सहयोगात्मक योजना इत्यादि, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जोर दिया जाएगा, (3) शिक्षा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ सहयोग समझौते, (4) प्रशिक्षण मॉड्यूलों और सामग्री का विकास– इसमें ई–मॉड्यूल, ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोबाइल एप, मुद्रित सामग्री, अच्छी कार्यशैलियों पर लघु फिल्में और इनके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए हाथ से चलने वाले प्रोजेक्टर्स एवं अन्य सामग्री (5) निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज कर्मचारियों को अद्यतन जानकारी देने के लिए राज्य के भीतर और बाहर के स्थानों पर समय–समय पर नियमित एक्सपोज़र उत्कृष्ट ज्ञानार्जन केंद्र (पियर लर्निंग सेंटर्स–पीएलसी)/इमर्यन साइट्स के तौर पर आदर्श पंचायतों का विकास (6) क्षमता निर्माण के ऐसे स्थानीय संस्थानों को सहायता जो अनुसूची–VI क्षेत्रों सहित ऐसे क्षेत्र जहां संविधान का भाग IX में स्थित हैं, ग्राम परिषदों और स्वायत्तशासी जिला परिषदों में स्थानीय शासन को सुगम बनाएं।

प्रशिक्षण के लिए संस्थागत भवन

आरजीएसए के अंर्तगत राज्य एवं जिला–स्तर पर मौजूद प्रशिक्षण संस्थानों में आवश्यकता के आधार पर अवसंरचनाएं और प्रशिक्षण सुविधाएं निर्मित की जाएंगी। प्रशिक्षण हेतु बेहतर पहुंच के लिए राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (एसपीआरसी) और जिला पंचायत संसाधन केंद्र (डीपीआरसी) इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि वे प्रशिक्षण देने के अलावा निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुसंधान करने और अभिलेखों के प्रलेखन का भी कार्य कर सकेंगे। इन केंद्रों एवं पंचायतों को प्रशिक्षित करने के अन्य प्रमुख केंद्रों को सुदूर शिक्षा सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए एसएटीसीओएम (सेटकॉम), इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित तकनीकी अथवा किसी अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। आरजीएसए के अंर्तगत एक निश्चित अवधि के लिए पूंजी व्यय एवं रखरखाव लागत का प्रावधान किया गया है। आशा की जाती है कि राज्य सरकारें अपने से संबंधित विषय सामग्री तैयार करेंगी और प्रमुख

अंशधारकों के क्षमता निर्माण एवं जागरूकता निर्माण के लिए इन संस्थानों का श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित करेंगी।

राज्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय विश्लेषण और आयोजना प्रकोष्ठ

आरजीएसए के अंतर्गत राज्यों में प्रशासनिक एवं वित्तीय विश्लेषण और आयोजना प्रकोष्ठ के लिए मानव संसाधन एवं संचालनात्मक समर्थन एवं सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका प्रयोग (1) पंचायतों के वित्तीय एवं कार्य निष्पादन संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण, सम्मिलन और विश्लेषण करने के साथ ही सुधारात्मक उपाय करने (2) क्षमता निर्माण, परिष्कृत रिपोर्टिंग और निगरानी के जरिए पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि करना (3) पंचायत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली को चालू करने (4) पंचायतों का बजट बनाने, लेखा–जोखा तैयार करने और उसका ऑडिट करने की व्यवस्था को सुधारने, प्रक्रियाओं, प्रपत्रों, प्रारूपों, बहीखातों, वैधानिक नियमों का सरलीकरण इत्यादि।

पंचायतों को ई–सक्षम बनाना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई–पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) (ई–एप्लिकेशन) ही कामकाज चलाने और सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए ई–सक्षमता का आधार बनेगा। ई–गवर्नेंस के लिए राज्य की ओर से की जाने वाली किसी भी पहल को पीईएस से सहायता देकर उसे इसके साथ जोड़ा जाएगा। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सामान्य जनसेवा केंद्रों (सीएससी) की स्थापना ग्राम पंचायत भवनों के साथ ही करें। इससे ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रभावी संस्था के रूप में जाना जाएगा और उन्हें जन–आधारित सेवा केंद्रों के तौर पर देखा जा सकेगा।

पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को मजबूत बनाना

पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाएं पंचायतों के कामकाज की आधारशिला हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को सुदृढ़ किया जाना है और इसके लिए मानव संसाधन सहयोग, ग्रामसभा व पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और मजबूत करने अभिविन्यास और स्वैच्छिक संगठनों/एनजीओ या सक्षम संस्थाओं के माध्यम से ग्रामसभाओं व पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने में मदद दी जाएगी।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

पंचायतों के जरिए बेहतर अभिशासन के लिए विस्तृत संचार रणनीति बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए विभिन्न प्रकार की आईईसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जो इस प्रकार हैं: (1) पूरे राज्य में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान या पंचायत सप्ताह/पखवाड़ा के माध्यम से सूचना, शिक्षा और संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (आईईसी–बीसीसी) अभियान; (2) पंचायतों के अच्छे तौर–तरीकों और नवोन्मेष का प्रदर्शन; (3) सोशल मीडिया, मोबाइल एप, दृश्य–श्रव्य मीडिया, कम्युनिटी रेडियो का उपयोग; (4) टेलीविजन चैनलों में विशेष कार्यक्रमों/फीचरों का प्रसारण; (5) पंचायतों और सरकारी कार्यक्रमों के फायदों के बारे में सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रदर्शनियों, मोबाइल वैन के जरिए सूचनाओं का प्रसार, (6) संचार सामग्री, जिसमें सामग्री का प्रकाशन और मुद्रण भी शामिल है, और इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया सामग्री के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से धन की व्यवस्था की जाएगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए गैप फंडिंग

संविधान के अनुच्छेद 243जी के अनुसार पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों समेत विभिन्न आर्थिक और सामाजिक विषयों के बारे में विकास योजनाएं बनाएंगी। इस अनुच्छेद की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायतों/पंचायत–क्लस्टारों की परियोजनाओं को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से सहायता मिलेगी ताकि समूचे इलाके का समन्वित रूप से विकास हो सके। इसकी गतिविधियां अन्य बातों के अलावा विनिर्माण/प्रसंस्करण, उत्पाद विकास, स्थानीय बाजार विकास और साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना, औषधीय पौधों की खेती, गैर–खाद्य वस्तुओं की खेती, बागवानी, पर्यटन विकास समेत गौण कृषि/लघु उत्पादों के विपणन से संबंधित होंगी। पंचायती राज मंत्रालय से मिलने वाला धन ऐसी महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए ही सीमित होगा, जिनके लिए किसी अन्य योजना से धन जुटाना संभव नहीं है या जिसमें किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

पंचायतों को तकनीकी सहायता

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि गांवों के स्तर पर तकनीकी जनशक्ति की कमी है। अभियान के तहत दी जाने वाली सहायता का उपयोग इनमें किया जाएगा: (1) ग्राम पंचायत/कलस्टर स्तर पर सेवाओं/तकनीकी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने में किया जाएगा; (2) मददगार कर्मचारी/आईटी, लेखा कार्य, कॉमन सेवा केंद्रों को कुछ कार्य आउटसोर्स करने, स्वंसहायता समूहों के प्रशिक्षण, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स की सेवाएं लेने में; और (3) 10 हजार से कम आबादी वाले क्लस्टरों के स्तर पर ग्राम पंचायतों के लिए कर्मचारियों को काम पर लगाने के लिए इन सबको आउटसोर्सिंग आधार पर काम पर रखा जाएगा।

ग्राम पंचायत भवन

पंचायत भवनों के बिना पंचायतों का ग्रामीण सरकार के रूप

में कार्य करना बड़ा मुश्किल है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में इस बारे में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान उपलब्ध है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्राम पंचायतों की इमारतों और सामुदायिक हॉल के लिए विभिन्न स्रोतों से धन उपलब्ध कराएंगे और इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि यह महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के अनुरूप हो। लेकिन अगर अन्य योजनाओं से धन नहीं जुटाया जा सका तो ग्राम पंचायत की इमारतों और/सामुदायिक हॉल के निर्माण/मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कार्यक्रम पंबंधन

राज्यों के पंचायती राज विभागों की मदद के लिए राज्य–स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां गठित की जा सकती हैं जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य कार्यक्रम प्रबंधन की लागत के भीतर ही करेगी। इसमें क्षमता निर्माण, पंचायती राज व सामाजिक विकास, सूचना शिक्षा और संचार; निगरानी व मूल्यांकन आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव वाले पेशेवर लोगों को लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की निगरानी राष्ट्रीय और राज्य–स्तर पर गठित विभिन्न समितियों द्वारा की जाएगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्वयं भी विकास के चरण में है। इसके अंतर्गत किए गए प्रावधान आधुनिक संदर्भ में बड़े प्रासंगिक हैं। हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बेहतर नतीजों के लिए कार्यनिष्पादन पर आधारित भुगतान' नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अन्य बातों के अलावा इस पर भी जोर दिया गया है कि सक्षम ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कारगर तरीके से कार्यान्वयन कर सकती हैं और पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए न सिर्फ प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उपयुक्त कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के रूप में सहायक प्रणाली की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इन सब मुद्दों पर आधुनिकम स्तर पर विचार करता है। यह कहा जा सकता है कि लागू किए जा चुके या लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अनुभवों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में शामिल कर लिया गया है। इस अभियान को कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, यह पंचायतों के 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रियता पर निर्भर करेगा। अगर वे पूरी तत्परता और जागरूकता से कार्य नहीं करेंगे तो बागडोर राजनेताओं और अफसरशाहों के हाथ में चली जाएगी और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बाकी कार्यक्रमों की तरह महज खानापूर्ति बन कर रह जाएगा।

(लेखक भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं।)

ई–मेल : mpal1661@gmail.com

सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल, 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 के अवसर पर सरपंच को सम्मानित करते हुए।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल, 2018 को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) पुरस्कार की शुरुआत की गई। देशभर में पंचायत–स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाले तीन प्रधानों या पंचायतों को ये सम्मान दिया गया।

पंचायत पुरस्कारों के नामांकन हर वर्ष ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में इस वर्ष लगभग 26,000 पंचायतों और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार में लगभग 14,200 ग्राम पंचायतों ने भाग लिया।

सार्वजनिक वस्तुओं की सुपुर्दगी में सुधार के लिए उनके उत्कृष्ट कार्यों की पहचान हेतु इस वर्ष 25 राज्यों में 191 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 191 पंचायत पुरस्कारों में से 25 पुरस्कार जिला पंचायत, 38 पुरस्कार मध्यवर्ती पंचायतों के और 128 पुरस्कार ग्राम पंचायतों के हैं। प्रभावी ग्राम सभाओं के जरिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार 21 राज्यों की 21 ग्राम पंचायतों को प्रदान किया गया। ई–सक्षमता को पंचायतों द्वारा प्रभावी ढंग से अपनाने और पंचायतों की कार्यवाहियों को पारदर्शी और दक्ष बनाने हेतु विभिन्न ई–एप्लीकेशनों के प्रयोग करने और प्रोत्साहन के लिए 6 राज्यों को ई–पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पुर्नगठित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' योजना की शुरुआत की। देश की ढाई लाख पंचायतों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब गांधीजी के सपने साकार रूप ले रहे हैं। महात्मा गांधी ने, इस संकल्प को बार–बार दोहराया था कि भारत की पहचान भारत के गांवों से है, और 'ग्राम स्वराज' की कल्पना दी थी। इस अवसर पर राष्ट्रीय ई–पंचायत पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार योजना के तहत ग्राम पंचायत पुरस्कार भी दिए गए। इस वर्ष से ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जीपीडीपी) की भी शुरुआत की गई है जोकि देशभर की सर्वश्रेष्ठ योजना बनाने वाली तीन ग्राम पंचायतों को दिया गया।

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण के मुख्य अंश

- आपके अपने गांव के विकास के लिए, आपके अपने गांव के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, आपके अपने गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आप जो भी संकल्प करेंगे, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम भी/भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेगी।
- कभी–कभी गांव के विकास की बात आती है तो ज्यादातर लोग बजट की बातें करते हैं। कोई एक जमाना था जब बजट के कारण शायद मुसीबतें रही हों, लेकिन आज बजट की चिंता कम है, आज चिंता है बजट का, पैसों का सही उपयोग कैसे हो? सही समय पर कैसे हो? सही काम के लिए कैसे हो? सही लोगों के लिए कैसे हो? और जो हो इसमें ईमानदारी भी हो, पारदर्शिता भी हो और गांव में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये काम हुआ, इतने पैसों से हुआ।
- ये पंचायत राज दिवस, ये हमारे संकल्प का दिवस होना चाहिए।
- हम सरकार के सेवक नहीं हैं। हम जनप्रतिनिधि जनता की सुखाकारी के लिए आते हैं और इसलिए हमारी शक्ति, हमारा समय अगर उसी काम के लिए लगता है तो हम अपने गांव की जिंदगी बदल सकते हैं।
- हमारे प्रयास कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हैं। गांवों में जल–संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचे।
- ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है। मैं गांव के प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, आप तय करें– चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे पानी बचाने का मामला हो, चाहे कृषि के अंदर बदलाव लाने का मामला हो, ये ऐसे काम हैं जिसमें नए बजट के बिना भी गांव के लोग आज जहां हैं, वहां से आगे जा सकते हैं।
- एक योजना हमने लागू की थी जनधन योजना, गांव में कोई भी परिवार ऐसा न रहे जिसका बैंक में जन–धन खाता न हो। दूसरी योजना ली थी 90 पैसे में बीमा योजना। जिसके तहत अगर परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसे दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- तीन चीजें एक जनधन, दूसरा वन–धन और तीसरा गोबर–धन इन तीनों चीजों से हम गांव की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
- सरकार द्वारा उठाए गए हालिया कदम महिलाओं की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे।
- हम मिल करके भारत को बदलने के लिए गांव को बदलें। हम सब मिल करके गांव के अंदर पैसों का सही इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने गांव को **जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान** इस मंत्र के साथ आगे ले जाएं।

रीड IAS
Reed
Reinventing Education

रीड IAS

Reinventing Education

An initiative of अभय कुमार

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारम्भ

Our Mentor

K. Siddhartha

Earth Scientist, Advisor of More than 10 Countries, Eminent Geographer and Writer of More than 50 Books

17 जुलाई
सायं: 6.30 बजे

31 जुलाई
दोपहर: 3.00 बजे

Our Educator & Teachers of Young generation

AKHTAR MALIK	PANKAJ MISHRA
MADHUKAR KOTWE	P. MAHESH
PIYUSH KUMAR	K.B. YADAV
SHANTANU JHA	ABHAY KUMAR

परिचर्चा सत्र में पधारें और जानें

- हमारी टीम
- हमारे अध्यापन के तरीके
- हमारे नवनिर्मित नोट्स
- हमारी टेस्ट सीरीज
- उत्तर लेखन अभ्यास सत्र
- व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण सत्र
- बुक रिव्यू अध्ययन
- हमारी मासिक पत्रिका 'रीड IAS TODAY'
- हमारी ऑनलाईन सेवाओं के बारे में।

Honorary Trainer

S.K. Singh

Eminent Expert of Political Science, Renowned Coach of More than thousand Successful Candidate in Civil Services Examination

लोक प्रशासन

by Abhay Kumar

17 जुलाई
प्रातः 8.30 बजे

भूगोल by पी. महेश

निःशुल्क कार्यशाला 15 जुलाई - प्रातः 11.00 बजे

इतिहास by पियूष कुमार

निःशुल्क कार्यशाला 15 जुलाई - सायं: 6.00 बजे

Add:- B-7/8 Shop No.4 Mezzanine Floor
Bhandari House Commercial Complex
Dr. Mukherjee Nagar Delhi-9

9870309939
9990188537

युवा ऊर्जा से बदलता देश

स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार और इनोवेशन पर जोर।

7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी और कई नए विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में नए अवसर।

स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।

पब्लिक, प्राइवेट और पर्सनल सेक्टर में विभिन्न तरीकों से युवाओं को आगे बढ़ने के मजबूत

तेज हुई तरक्की की रफ़्तार

पिछले 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक गरीबों को मिले घर।

पिछले 4 वर्षों में 1.69 लाख किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2017–18 में 134 किमी प्रतिदिन सड़क का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण की गति पिछली सरकार के 12 किमी प्रतिदिन की तुलना में बढ़कर 27 किमी प्रतिदिन हुई।

2017–18 रहा रेल सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा साल। पिछले 4 वर्षों में 5,469

किसान की संपन्नता हमारी प्राथमिकता

किसान की आय दोगुनी करने के लिए बहुआयामी प्रयास

किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य

12.5 करोड़ से अधिक किसानों को मिले सॉयल हेल्थ कार्ड

ई–नाम के द्वारा किसानों को मिल रहा फसल का बेहतर दाम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल का कम दाम में बेहतर सुरक्षा कवच

तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली विशाल अर्थव्यवस्था।

FDI में भारी वृद्धि, 36.5 बिलियन

अच्छा स्वास्थ्य अब सबका अधिकार

आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ बीमा पहल, करीब 50 करोड़ लोगों को इससे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का हेल्थ कवरेज मिलेगा।

मिशन इंद्रधनुष में 3.15 करोड़ बच्चों को टीके और 80.63 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण।

प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्रों में 3,000 से अधिक स्टोरों पर जरूरी दवाएं लगभग 50 प्रतिशत कम दामों पर उपलब्ध।

स्टेंट और घुटनों के प्रत्यारोपण की कीमतों में 50 से 70 प्रतिशत की कमी।

विकास की नई गति, नए आयाम

नारी शक्ति देश की तरक्की

माँ और शिशु के स्वास्थ की बेहतर देखभाल के लिए विभिन्न योजनाएं।

प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 1.26 करोड़ बालिकाओं के खाते खोले गए।

3.8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के द्वारा धुआं मुक्त जीवन मिला, एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।

12 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के साथ दुष्कर्म पर मृत्यु दंड का प्रावधान और 16 से 20 वर्ष की बेटियों के साथ दुष्कर्म पर 10–20 साल की सजा का प्रावधान।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 7.25 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। 3.6 लाख से अधिक गाँव और 17 राज्यों को खुले में शौच से मुक्त किया गया।

दुनिया देख रही है एक नया इंडिया

युवाओं को आगे बढ़ने के मजबूत अवसर।

खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत, जहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की सहायता।

बदलता जीवन संवरता कल

जन–धन योजना के जरिए बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों की बैंकिंग जरूरतें और 'जन सुरक्षा' के माध्यम से गरीब को बीमा मिला।

उज्ज्वला योजना से 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन में 7.25 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।

1 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर।

देश के किसी भी गाँव में अब अँधेरा नहीं है, सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ घरों में बिजली पहुँचाई जा रही है।

पिछले 4 वर्षों में 5,469 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को समाप्त किया गया।

भारत में पहली बार एसी ट्रेनों की तुलना में हवाई जहाज से सफर करने वालों की संख्या बढ़ी।

पिछड़े वर्गों की अपनी सरकार

अनुसूचित जाति–जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए 95,000 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट।

शिक्षा के माध्यम से समाज का सशक्तिकरण पिछड़ी जाती के छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं द्वारा प्रोत्साहन।

एससी/एसटी एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत बनाया गया।

मुद्रा के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक लोन पिछड़े वर्गों को।

बाबा साहेब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ के विकास से युवा पीढ़ी को उनसे जोड़ने का प्रयास।

FDI में भारी वृद्धि, 36.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर

विश्व भर की रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत को लगातार अच्छी रेटिंग

जीएसटी से कारोबार हो रहा आसान।

बैंकिंग सुधारों से अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल।

भ्रष्टाचार पर लगाम पारदर्शी हर काम

नोटबंदी से अब तक सबसे ज्यादा काले धन का पर्दाफाश।

मॉरिशस, सायप्रस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर से काले धन की रोकथाम के लिए संधियां।

आर्थिक भगोड़ों की सम्पतियाँ जब्त की जा रही हैं और भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पेश किया गया।

बेनामी संपत्ती एक्ट से काले धन के कारोबार पर लगाम।

PMLA एक्ट में बदलाव द्वारा विदेशों में जमा काले धन के बराबर संपत्ती जब्त करना हुआ मुमकिन।

गति, नए आयाम

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण।

100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रूप में चयन और विभिन्न योजनाओं पर 2,01,979 करोड़ रूपये खर्च।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश में सड़कों के बहुत बड़े जाल का लक्ष्य, 5,35,000 करोड़ रूपये का नया कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने का लक्ष्य।

चारधाम महामार्ग, 12,000 करोड़ की लागत से लगभग 900 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास।

एक न्यू इंडिया

इतिहास में पहली बार भारत ने दिलेरी दिखाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया।

भारत बना विकास का वैश्विक केंद्र।

पूरे विश्व ने योग को उत्साह से जीवन में अपनाया।

जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में भारत की मुख्य भूमिका।

इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

davp22112\13\0001\1819

देश का बढ़ता जाता विश्वास...

साफ नीयत सही विकास

अधिक जानकारी के लिए 48months.mygov.in पर जाएँ

ग्राम पंचायतों से बदलती पानी की तस्वीर

–डॉ. जगदीप सक्सेना

जल संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार गांव के स्तर पर वर्षाजल के संग्रह, संचय, संरक्षण और प्रबंध को प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए यह तय किया गया है कि ग्राम पंचायतें इस काम में बुनियादी रूप से शामिल हो और गांव के स्तर पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करें।

अब इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा देश गंभीर जल संकट के दौर से गुजर रहा है। शहरों और उद्योग–धंधों से लेकर गांवों और खेत–खलिहानों तक में पानी की कमी से अनेक चुनौतियां, समस्याएं और विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, जो धीरे–धीरे विकट होती जा रही हैं। विशेष रूप से गांवों में पानी की कमी राष्ट्रीय–स्तर पर एक बड़ी चुनौती और चिंता बनकर उभरी है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। साथ ही पशुपालन और मात्स्यिकी भी पानी की कमी से सीधे प्रभावित होकर खाद्य उत्पादन पर चोट करते हैं। दरअसल विश्व की लगभग 17 प्रतिशत आबादी के भरण–पोषण और जीवन निर्वाह के लिए हमारे पास मीठे पानी के केवल चार प्रतिशत जल–स्रोत उपलब्ध हैं, जिसके लगभग 80 प्रतिशत का उपयोग केवल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में होता है। औसत रूप से भारत को प्रतिवर्ष लगभग 4,000 अरब घन मीटर पानी वर्षा से प्राप्त होता है, लेकिन इसके केवल 48 प्रतिशत का उपयोग सतही पानी और भूजल के रूप में संभव हो पाता है। जल संग्रह और संरक्षण की बुनियादी सुविधाओं की कमी और ज़मीनी–स्तर पर जल प्रबंध के वैज्ञानिक तौर–तरीकों की लगभग अवहेलना के कारण केवल 18–20 प्रतिशत पानी का समुचित उपयोग हो पाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित जल संग्रह की परंपरागत प्रणालियों का लगातार उपेक्षित होना भी इस गंभीर दशा के लिए उत्तरदायी है।

इस संकट से उबरने के लिए हाल के वर्षों में भारत सरकार ने गांव के स्तर पर वर्षा जल के संग्रह, संचय, संरक्षण और प्रबंध को प्राथमिकता दी है और समुचित धनराशियों का आबंटन कर इसे बल और गति भी दी है। यह तय किया गया है कि ग्राम पंचायतें इस काम में बुनियादी रूप से शामिल होकर गांव के स्तर पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करें। इस महत्वपूर्ण कार्य की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल, 2018) के अवसर पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि अप्रैल, मई, जून के तीन महीने के दौरान मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत गांव में पानी बचाने वाले काम करवाने चाहिए, जैसे तालाब को गहरा करना, चैकडैम बनाना, पानी रोकने का प्रबंध करना आदि। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर गांव का पानी गांव में रहता है, बारिश का एक–एक बूंद पानी बच जाता है तो उसी पानी से खेती को जीवनदान मिल सकता है। ग्राम पंचायतें प्रधानमंत्री के इस आह्वान को पूरा करने के लिए तत्परता से काम कर रही हैं।

सबका साथ, जल स्रोतों का विकास

हमारे देश की आत्मा 'गांवों' के उत्थान के लिए वर्तमान सरकार ने 'ग्राम उदय से भारत उदय' की संकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए ग्राम पंचायतों को समुचित प्रशासनिक अधिकार, शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए ताकि वे ग्राम–स्तर पर स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करते हुए 'सबका साथ, सबका विकास' की सोच को साकार कर सकें। यह सिलसिला सन् 1992 में प्रारंभ हुआ जब भारत के संविधान में 73वें संशोधन द्वारा धारा 243–जी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार दिए गए। इसके द्वारा राज्यों को स्वतंत्रता दी गई कि वे ग्राम पंचायतों को कुल 29 विषयों में कार्य करने के लिए अधिकार व उत्तरादायित्व सौंप सकते हैं। इन विषयों में से चार

पंचायत ने बनाया ' जल–आत्मनिर्भर'

केरल के कोल्लम जिले में पेरिनाड ग्राम पंचायत की प्रसिद्धि आज दूर–दूर तक फैल रही है। कारण यह कि समुद्र तट के पास स्थित इस पंचायत क्षेत्र में अब पानी की समस्या नहीं है, गर्मियों में भी यहां के निवासियों की पानी की सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। ग्राम पंचायत ने 'मलयाला मनोरमा' द्वारा संचालित जल–संरक्षण के अभियान में शामिल होकर सफलता की यह कहानी लिखी है। दरअसल इस क्षेत्र में बहुत पहले पानी के अनेक स्रोत थे, जो पानी की जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन समय के साथ ये उपेक्षा और अवहेलना के शिकार हो गए, जिससे क्षेत्र में पानी का अकाल पड़ने लगा। इसलिए ग्राम पंचायत ने सबसे पहले जल स्रोतों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 में उपेक्षित पड़े तालाब को साफ किया गया, इसकी गाद निकाली गई और इसे चौड़ा भी किया गया। 'मनरेगा' की सहायता से इसे गहरा और लंबा बनाकर इसकी क्षमता बढ़ाई गई। मिट्टी से इसके किनारों को मजबूत किया गया और तालाब की ढाल पर 'कॉयर–जियो टैक्सटाइल्स' को लगाकर सुदृढ़ किया गया, ताकि तालाब का जीवन लंबा हो सके। तालाब के पास पिछले लगभग 25 साल से बेकार पड़े बोरवैल को सुधारा गया। लगभग 35 लाख रुपये खर्च करके एक कुआं बनवाया गया और इससे पाइपलाइन जोड़कर पीने का पानी दूर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पंचायत ने वैलीमॉन में सामुदायिक सिंचाई योजना के अंतर्गत तैयार किए गए, लेकिन अब बेकार पड़े, बोरबैल को किराए पर लिया और इसके सुधार का कार्य शुरू करवा दिया। इन सभी नए जल स्रोतों को पाइपलाइन से जोड़कर पीने के पानी की व्यवस्था को घर–घर पहुंचाने की कवायद जारी है। पानी की विकट कमी से ग्रस्त क्षेत्रों में विशाल टैंक बनाए गए और लगभग 200 परिवारों को पंचायत ने अपनी वार्षिक योजना के तहत पानी की टंकियां उपलब्ध कराईं। पंचायत क्षेत्र की कुछ कालोनियों में पानी के 'कियोस्क' भी स्थापित किए गए, ताकि पानी की कोई समस्या ना रहे। पंचायत क्षेत्र के सूखे पड़े कुओं में पानी की भरपाई के लिए रिचार्ज की सुविधा बनाई जा रही है और टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए मोटर भी बैठाई जा रही है।

पेरिनाड पंचायत द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए इसे केरल सरकार के जलनिधि कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी कुओं में रिचार्ज की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्ष 2018–19 के दौरान जल–संरक्षण के कार्यों के लिए पंचायत ने 35 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। पेरिनाड पंचायत केरल राज्य में जल–आत्मनिर्भरता की मिसाल बनकर उभरी है।

विषय सीधे जल संसाधनों के विकास और प्रबंध से जुड़े हैं–1) लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलसंभर प्रबंध 2) पेयजल 3) सामुदायिक संपदा की देखरेख और 4) कृषि। इस संविधान संशोधन पर कार्य करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने जल संसाधनों के प्रबंध के लिए ग्राम पंचायतों को अलग–अलग अधिकार दिए हैं, जिनकी जानकारी संबंधित राज्य के ग्राम पंचायत अधिनियम से प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह राष्ट्रीय जल नीति, 2012 में सिफारिश की गई है कि पानी की स्थानीय समस्याओं के समाधान पर काम करने के लिए स्थानीय सरकार को पर्याप्त अधिकार देने चाहिए। इसकी एक सिफारिश यह भी है कि भूजल को सामुदायिक संसाधन के रूप में कानूनी मान्यता दी जाए। अब परिदृश्य यह है कि ग्राम पंचायतें जल संसाधनों के विकास, संरक्षण और संवर्धन पर कार्य कर रही हैं, जिसका उद्देश्य वर्षा जल के संचय और समुचित उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ भूजल की समुचित भरपाई और उपयोग का नियमन करना भी ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी में शामिल है। परंतु इसमें विशेष तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत का उत्तरदायित्व जल संबंधी किसी एक परियोजना या कई परियोजनाओं के पूरा होने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी जिम्मेदारी अनवरत रूप से जारी रहती है। ग्राम पंचायतें यह भी सुनिश्चित करती हैं कि जल प्रबंध का समस्त कार्य, योजना बनाने से लेकर कार्यान्वयन और उपयोग तक, जनभागीदारी के साथ संपन्न किया जाए। यह भी आवश्यक है कि जल संसाधनों के विकास के काम को ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना और दीर्घावधि योजना में शामिल किया जाए और इसके लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन भी किया जाए। जल संसाधनों पर समान अधिकार और समान उपयोग को सुनिश्चित करना भी ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है।

इस संदर्भ में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित भी किया है। पानी से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी, सब–कमेटी या डिपार्टमेंट कमेटी का गठन कर सकती हैं और उन्हें पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देकर मजबूत भी बना सकती हैं। यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतें पानी से संबंधित सभी मुद्दों पर ग्रामसभा की बैठकों में निर्णय लें ताकि सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जल संसाधनों की देखभाल और समान उपयोग के लिए पंचायतवासियों को अधिकार देने चाहिए ताकि वे इसे अपनी संपदा मानते हुए इसका समुचित और लोकतांत्रिक रूप से उपयोग करें। इसमें जल संचय करने वाली संरचनाओं का संरक्षण तथा अतिक्रमण से रक्षा भी शामिल है। ग्राम पंचायतों को यह ध्यान भी देना है कि जलाशय तथा पानी के अन्य स्रोत, जिसमें भूजल भी शामिल है, प्रदूषित या संक्रमित ना हों। जल–संसाधनों के जल–ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी और नमी संरक्षण के उपायों को अपनाना आवश्यक है ताकि वर्षा जल की एक–एक बूंद का उपयोग हो सके। इसके लिए हरियाली

एक अनोखी पहल–पानी पंचायत

क्या किसी गांव के किसान या निवासी आपस में मिलकर, एक–दूसरे का सहयोग करते हुए, बिना किसी सरकारी योजना की मदद के, अपने गांव में पानी की समस्या को खत्म कर सकते हैं? अपने क्षेत्र को फिर से हरा–भरा और खुशहाल बना सकते हैं? इसका जवाब एक जोरदार 'हां' है, जिसे ज़मीनी हकीकत के रूप में देश के अनेक भागों में देखाा जा सकता है, विशेषरूप से महाराष्ट्र में। सफलता की यह कहानी देश–दुनिया में 'पानी पंचायत' के नाम से प्रसिद्ध है।

इस अभिनव विचार के अंकुर सन् 1972 में पड़े जब महाराष्ट्र के पुणे जिले की पुरन्दर तहसील भीषण सूखे की चपेट में आ गई। वैसे पूरा महाराष्ट्र सूखे से त्रस्त था और लगभग चार लाख लोग भुखमरी की कगार पर थे। यहां के एक फैक्ट्री मालिक और इंजीनियर विलासराव सालुंके को गांव वालों की यह दशा कहीं अंदर तक झकझोर गई। उन्होंने इस समस्या के मूल तक जाने के लिए आसपास के गांवों का दौरा किया और उन्हें यह बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे रहने से काम नहीं बनने वाला। इसके लिए कुछ खास करना होगा, गांव वालों को अपने दम पर कुछ कर दिखाना होगा। सन् 1974 में उन्होंने एक प्रयोग किया। पुरन्दर तहसील के नायगांव नामक गांव में उन्होंने एक मंदिर के ट्रस्ट से लगभग 16 हेक्टेयर भूमि 50 साल के लिए लीज पर ले ली। वह खुद इसी बंजर जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने आसपास के किसानों को संगठित करके मिट्टी और पानी के बहाव पर रोक लगाने के लिए छोटे–छोटे बांध बनाए और पहाड़ी के निचले भाग पर लगभग 10 लाख घन फुट क्षमता का एक बड़ा तालाब बनवाया। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ी, खेती को बढ़ावा मिला, पैदावार में इजाफा हुआ और किसानों की आमदनी सार्थक रूप से बढ़ गई। हरियाली और खुशहाली का समागम हुआ। सालुंखे का सपना और प्रयोग दोनों साकार तथा सफल हुए। जल्दी ही इस प्रयोग की महाराष्ट्र तथा देश के अन्य भागों में भी चर्चा हुई और किसानों ने सालुंखे के मार्गदर्शन में इस काम को शुरू करना चाहा। सालुंखे ने पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सहकारिता मॉडल तैयार किया, जिसमें पानी को एकत्र करने, संचय करने, संरक्षित रखने जैसे कामों में सभी के सहयोग को आवश्यक बनाया गया और एकत्रित पानी को गांव वालों की सामूहिक संपत्ति माना, जिसका उपयोग सभी मिल–बांटकर करेंगे। पानी के समुचित और समान रूप से बंटवारे के लिए पांच सामान्य नियम बनाए गए, इसलिए इस अभिनव पहल को 'पानी पंचायत' का नाम दिया गया। इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 'ग्राम गौरव प्रतिष्ठान' नामक एक संस्था का गठन भी किया गया।

'पानी पंचायत' को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए, जिनके आधार पर ही संपूर्ण सहकारी व्यवस्था की जाती है और इसमें शामिल सभी गांववालों को इन नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होता है। सिंचाई की योजना को सामूहिक रूप से अमल में लाया जाता है और पानी का बंटवारा परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर किया जाता है, ना कि भूमि के आकार के आधार पर। पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए एक हेक्टेयर खेत पर सिंचाई के अधिकार दिए जाते हैं। कब और कौन–सी फसल उगानी है, यह भी सामूहिक विमर्श से तय किया जाता है। पानी की कमी की दशा में केला, गन्ना और हल्दी जैसी पानी की अधिक खपत करने वाली फसलों को उगाना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और इसकी जगह पानी की कम खपत वाली, लेकिन समुचित मुनाफा देने वाली फसलों को उगाने की सिफारिश की जाती है। पानी के अधिकार को ज़मीन के अधिकार से जोड़कर नहीं देखा जाता है, बल्कि यह खेती से जुड़ा है। यदि कोई किसान भूमिहीन है तो भी पानी के बंटवारे में उसकी हिस्सेदारी होती है, और यदि कोई किसान अपने खेत बेच देता है तो पानी में उसकी हिस्सेदारी भी अपने–आप खत्म हो जाती है। पानी पंचायत के सभी सदस्यों को अपने लाभ का 20 प्रतिशत हिस्सा पंचायत में जमा करना होता है, ताकि नई योजनाओं को बनाने और पुरानी योजनाओं के रखरखाव का खर्च निकल सके। यह धन पानी के समान रूप से वितरण की व्यवस्था को चलाने पर भी किया जाता है। खर्च के हिसाब–किताब के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था अपनाई गई है।

सभी स्तरों पर समान रूप से सभी सदस्यों की भागीदारी इस योजना की सफलता का मूलमंत्र है। जनभागीदारी की ऐसी योजनाएं कभी विफल नहीं हो सकतीं, क्योंकि 'सबके हित में अपना हित' की भावना छिपी होती है। यही कारण है कि पानी पंचायत की अवधारणा को पूरे देश में फैलने और कामयाब होने में देर नहीं लगी। पानी पंचायत जहां एक ओर लिफ्ट सिंचाई की सामुदायिक योजनाओं को लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर पीने के पानी और भूजल के प्रबंध पर भी जोर दिया जा रहा है। पानी पंचायत के नेतृत्व में किसान जैविक खेती की ओर भी उन्मुख हो रहे हैं। पानी पंचायत के माध्यम से गांवों और किसानों के समग्र विकास की कहानी देश भर में लिखी जा रही है।

विकास और वनीकरण जैसे कार्य किए जा सकते हैं। पानी की गुणवत्ता, विशेष रूप से पेयजल की, निरंतर निगरानी रखना और कोई भी समस्या होने पर इसका निराकरण करना भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। जलसंग्रह और भूजल की भरपाई के लिए नई संरचनाओं के विकास के काम को योजना बनाकर और पर्याप्त बजटीय आबंटन के साथ करना चाहिए, ताकि परियोजना को समय पर पूरा करने में कोई बाधा ना हो। ग्राम पंचायतों की भूमिका में कृषि से संबंधित जल–प्रबंध को भी शामिल किया गया है, जैसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देना और पानी की कमी की दशा में कम पानी में उगायी जाने वाली फसलों को प्राथमिकता देना। एक आवश्यक जिम्मेदारी यह भी है कि पंचायत क्षेत्र के सभी लोगों में पानी के संरक्षण को लेकर जागरूकता उत्पन्न की जाए, ताकि वे इसका महत्व समझें और सही रास्ते पर कदम आगे बढ़ाएं। जल संसाधनों की प्रबंध संबंधी कमेटी में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना जरूरी है। देखा गया है कि जिन ग्राम पंचायतों ने केवल महिलाओं को शामिल करके कमेटी बनाईं, वहां प्रभावी सफलता मिली। इसी तरह वंचित समुदाय (एससी/एसटी) के लोगों को भी शामिल करके उन्हें भी भागीदार बनाना आवश्यक है।

बदलाव की लहर, गांव–गांव डगर–डगर

पिछले कुछ वर्षों में ग्राम पंचायतें ना केवल अपने अधिकारों और संसाधनों से सशक्त हुईं हैं, बल्कि उनमें एक वैज्ञानिक नजरिए का समावेश भी हुआ है, जिसका प्रभाव स्पष्ट रूप से जल–संसाधनों के विकास पर भी दिखाई देता है। पहले जल स्रोतों के विकास पर अलग–थलग परियोजनाएं काम करती थीं, उनके अपेक्षित परिणाम भी सामने आते थे, परंतु अक्सर ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास पर अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहतीं थीं। इसलिए अब जल संसाधनों के विकास को 'वाटरशेड' के विकास नजरिए से देखा जाने लगा है। वाटरशेड का अर्थ है वह संपूर्ण क्षेत्र जहां से वर्षा का पानी बहकर किसी जलाशय, नदी, नाले या तालाब में इकट्ठा होता है। इस पूरे क्षेत्र को वाटरशेड या जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो अब ग्राम पंचायतें जल स्रोतों के विकास के साथ हरियाली के विकास, नमी का संरक्षण, जल–संग्रहण प्रणालियों की स्थापना, जल का कुशल उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना, चारागाहों का विकास और भूमि की ढलान को अनुकूल बनाए रखने जैसे कार्यों पर भी ध्यान देती हैं। उद्देश्य यह है कि पानी से जुड़ी गतिविधियों के साथ क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास की कड़ियां भी जुड़ी रहें, लोगों की आजीविका सतत् और सुरक्षित बनी रहे।

ग्राम पंचायतें इन सभी कार्यों के लिए अपने वार्षिक ग्राम पंचायत विकास नियोजन (जीपीडीपी) के दौरान चर्चा और विचार–विमर्श करती हैं और निर्णय लेती हैं। पहले यह काम साधारण तरीके से किया जाता था, परंतु अब इसके लिए पीआरए यानी 'पार्टिसिपेटरी रूरल एप्रेजल' का प्रावधान किया गया है। इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित करके फैसले लिए जाते हैं ताकि सभी ग्रामवासी इन फैसलों से अपना जुड़ाव महसूस करें और अधिकार की भावना से इसकी सफलता के लिए प्रयास करें। इसके अंतर्गत पहले कदम के रूप में पीआरए टीम गांव वालों के साथ गांव का पैदल भ्रमण करती है, जो गांव के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आड़े रास्ते पर किया जाता है। इसलिए इसे 'ट्रांसेक्ट वाक' कहते हैं। इस दौरान गांव के प्राकृतिक संसाधनों की पहचान की जाती है और सामाजिक ताने–बाने का स्वरूप भी समझा जाता है। एक नक्शे में पानी के उपलब्ध स्रोतों और संभावित स्रोतों को चिन्हित कर लिया जाता है। जल स्रोतों के विकास के रास्ते पर संभावित बाधाओं या समस्याओं को भी पहचान कर उनके निराकरण पर चर्चा की जाती है। इसके बाद वाटरशेड विकास कमेटी, पंचायत के सदस्य, गांववासी और तकनीकी विशेषज्ञ आपस में चर्चा करके अंतिम योजना बनाते हैं, जिसे एक निश्चित समय–सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया जाता है। इस तरह साल–दर–साल ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल स्रोतों के विकास को अंजाम दिया जा रहा है।

ग्राम पंचायतों का एक अन्य वार्षिक और महत्वपूर्ण कार्य है क्षेत्र के लिए पानी का बजट तैयार करना। जिस तरह हम अपने आर्थिक संसाधनों और संभावित खर्च के आधार पर घर का बजट तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह अपने क्षेत्र के लिए पानी का बजट तैयार करना ग्राम पंचायतों की अहम् जिम्मेदारी है। यह कार्य बरसात के मौसम के बाद आमतौर पर अक्तूबर–नवंबर के दौरान किया जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी होता है क्षेत्र में हुई कुल वर्षा को मात्रात्मक रूप में आंकना, जिसके लिए क्षेत्र में वर्षामापी यंत्र (रेन गेज) लगाए जाते हैं। इस गणना के आधार पर एक तय फार्मूले से यह पता लगा लिया जाता है कि इसमें से कितना पानी मिट्टी में नमी के रूप में मौजूद रहेगा, कितना बह जाएगा, कितना भूगर्भ में चला जाएगा और कितना पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और अंत में कितना पानी उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। यह अनुमान भी लगा लिया जाता है कि जलाशयों या अन्य जल–संचय संरचनाओं में कितना पानी एकत्र होकर उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। अब घरेलू उपयोग और पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता को आंककर कृषि के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा का अनुमान लगा लिया जाता है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत, सबकी सहमति से कृषि संबंधी महत्वपूर्ण फैसले लेती है, जैसे सिंचित दशाओं के अंतर्गत कुल क्षेत्र की सीमा और पानी की उपलब्धता के अनुसार सही फसलों का चुनाव। यदि सिंचाई के लिए पानी की कमी है तो ग्राम पंचायत में सभी मिलकर ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं, जिनकी खेती में कम पानी खर्च होता है। इसका लाभ सभी किसानों को अपनी आमदनी में वृद्धि और आजीविका सुरक्षा के रूप में प्राप्त होता है।

मनरेगा के जरिए जल संरक्षण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों से टिकाऊ जल संरक्षरण संपत्तियों का निर्माण प्राथमिकता है। मनरेगा के तहत जल संरक्षण के जरिए पिछले तीन वर्षों में 143 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को लाभ पहुंचा है। आर्थिक वृद्धि अध्ययन संस्थान और सामाजिक विकास परिषद के अध्ययन में बताया गया है कि उत्पादकता, क्षेत्रफल, आय और जल–स्तर में सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने 2015–16 में वर्षा में कमी के समय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा की थी और उन्होंने जल संरक्षण के लिए अप्रैल से जून की अवधि में मनरेगा का पूरी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता पर दोबारा बल दिया था।

गर्मी के महीनों के दौरान जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पहले से ही 25376 करोड़ रूपये आवंटित किए जा चुके हैं। प्रत्येक राज्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार जल संरक्षण कार्य किया है। देशभर में राज्यों द्वारा 2156 नदी संरक्षण की योजना बनाई गई है। जलाशयों के पुनर्जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और नए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के जिलों में जल संरक्षण जन आंदोलन शुरू करने के लिए लोग आगे आए हैं। राजस्थान, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र में टिकाऊ जल संरक्षण संपत्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रयास किए गए हैं ताकि वंचित वर्गों और छोटे किसानों का कल्याण हो सके। इन प्रयासों से 15 लाख से अधिक खेत तालाबों का निर्माण हो चुका है, इसके अलावा बड़ी संख्या में कुओं, सामुदायिक जलाशयों और बांधों आदि भी बनाए गए हैं। निर्मित की जा रही प्रत्येक संपत्ति को जियोटेग भी किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने पर बल देने के सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में 38.4 करोड़ व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन रोजगार पैदा हुआ है जिसमें से 95 प्रतिशत से अधिक भुगतान 15 दिन के भीतर कर दिया गया है। 86.4 प्रतिशत मामलों में भुगतान निर्धारित समयावधि के भीतर लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करवाया गया है। पारदर्शिता, तकनीकी रूप से ठोस योजना और उसके कार्यान्वयन तथा समय पर वेतन भुगतान पर ध्यान केंद्रित कर जल संरक्षण पर बल देने से गांवों में बड़ी संख्या में लोगों के जीवन और उनकी आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है।

मजबूत आधार, जल संसाधनों का उपहार

जल संसाधनों के विकास के संदर्भ में ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के माध्यम से सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इनमें सबसे प्रमुख है मनरेगा, जिसके अंतर्गत जल प्रबंध के अनेक कार्य किए जा सकते हैं। जलसंग्रह और जल संरक्षण के लिए संरचनाओं का निर्माण करवाया जा सकता है, भूजल की भरपाई के लिए संरचनाएं बनवाई जा सकती हैं, और वाटरशेड के प्रबंध से जुड़े कार्य भी करवाए जा सकते हैं। सूक्ष्म और लघु सिंचाई से संबंधित कार्य भी करवाए जा सकते हैं, जिनमें नहरों और नालों का सुधार तथा देखभाल भी शामिल है। जलसंग्रह की लुप्त होती परंपरागत प्रणालियों को बचाने और तालाबों से गाद निकलवाने की प्रक्रिया को भी मनरेगा के अंतर्गत संचालित करने का प्रावधान किया गया है। एक कदम आगे बढ़ते हुए हरियाली के विकास के कार्य को भी 'मनरेगा' से संबद्ध कर दिया गया है ताकि इसके जरिए पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। भारत सरकार के 'आजीविका' अभियान के अंतर्गत संचालित 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' मुख्य रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आजीविका सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ये दोनों ही वर्ग जल प्रबंध की अनेक गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसलिए वाटरशेड विकास के कार्यक्रमों में इस मिशन के कार्यकलापों को सम्मिलित करके बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह जल प्रबंध के कार्यक्रम आजीविका से जुड़ जाते हैं।

'हर खेत को पानी' के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती भारत सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटरशेड विकास को एक मुख्य घटक के रूप में मान्यता दी गई है। इसे समेकित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पानी के साथ मिट्टी प्रबंध और हरियाली विकास के कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं ताकि वाटरशेड का समग्र विकास हो सके। कृषि का समन्वित और संतुलित विकास वाटरशेड क्षेत्र में आजीविका सुधार का आधार बन सकता है, परंतु इसके लिए जल प्रबंध की उचित व्यवस्था आवश्यक है, जिसके लिए ग्राम पंचायतें लगातार प्रयास कर रही हैं। समेकित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे वाटरशेड विकास कमेटी को आवश्यक सहायता व सलाह प्रदान करें तथा इसके कार्य की लगातार निगरानी भी करें। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वे भारत सरकार/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि के बीच परस्पर तालमेल बनाकर जल प्रबंध के कार्यकलापों को मजबूत आधार दें। इसके साथ ही स्वैच्छिक संस्थाओं (एनजीओ), स्वयंसहायता समूहों तथा जल प्रबंध के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी पर्याप्त सुविधा व प्रोत्साहन देकर वाटरशेड विकास के कार्यक्रम में जोड़ना भी ग्राम पंचायतों का उत्तरदायित्व है। हाल के वर्षों में ग्राम पंचायतें अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए ये सभी कार्य तत्परता से कर रही हैं, जिससे देश भर में सफलता की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। गांव–गांव में पानी की तस्वीर बदल रही है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक (हिंदी) रह चुके हैं।)

ई–मेल : jgdsaxena@gmail.com

पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

–डॉ. कृष्ण चंद्र चौधरी

पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी।

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां की महिलाएं विकसित हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि ''अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है, अगर भारत की महिलाएं जाग जाएं तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देंगी।'' इस क्रम में डॉ० भीव राव अंबेडकर ने कहा था कि ''समाज में स्त्री का बड़ा महत्व है, जिस घर–परिवार में स्त्री शिक्षित–प्रशिक्षित हो, उनके बच्चे सदा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। वह सुंदर परिवार की निर्मात्री है, जब तक हमारे आंदोलनों में महिलाएं भी भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता।''

ग्राम विकास में महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

सशक्त पंचायत सशक्त राष्ट्र

पंचायती राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अंततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए प्रर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की गांव के कामों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी। खासतौर से लिंग के

आधार पर किए जाने वाली गैर–बराबरी अब संभव नहीं रह गई है। महिलाओं का बढ़ता कद उन्हें घर और बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न हो अथवा घरेलू हिंसा – इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आज की महिला लड़ने में सशक्त हो चुकी है।

भारतीय संविधान में प्रदत राजनीतिक अधिकार

प्रत्येक महिला एवं वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वविवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान–सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

सशक्त पंचायत की ओर

पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनैतिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जोकि अब 42 प्रतिशत से अधिक हो गई है। महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अग्रणी (सर्वप्रथम) राज्य बिहार है; आज की स्थिति में 15 प्रमुख और बड़े राज्यों में यह विधेयक पास किए गए हैं। महिला साक्षरता 65 प्रतिशत हो गई है और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। अब कैबिनेट ने 110वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत् महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

संविधान संशोधन का मसौदा पंचायतों को नौवीं अनुसूची में रखने के लिए तैयार किया गया। निष्कर्ष के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सदस्यों और अध्यक्षों के एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनको स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी प्राप्त हुई है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है।

महिलाओं का सशक्तीकरण

पंचायती राज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र का सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ रही है। गांवों में भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। महिलाएं अब अल्प एवं छोटे परिवार की आदी हो रही हैं। घूंघट उनकी परंपरा है पर अब इससे भी महिलाएं उबर रही हैं। अब महिलाएं भ्रूण हत्या को रोकने में सजग हैं। बाल मृत्यु दर भी कम हो रहा है। ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30–45 वर्ष की महिलाएं ज्यादातर निर्वाचित होकर काम कर रही हैं। अब वे अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है। महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है।

पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व की क्षमताएं सामने आई हैं। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक–सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। गांव, नए भारत के नए बाजार के रूप में उभर रहे हैं। पंचायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं सीधे–सीधे गांव और ग्रामीणों तक जुड़ पा रही हैं। अब सरकार की कोशिश है कि इन संस्थाओं को और अधिकार दिए जाएं ताकि यह न केवल वित्तीय रूप से मजबूत हो बल्कि बेहतर कामकाज के लिए प्रोत्साहित भी हो ताकि देश के आर्थिक विकास में गांव ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं की सफलता पंचायत प्रतिनिधि एवं विकास अधिकारियों की जागृति, ईमानदारी, कुशलता, विवेक, मंशा और सरकारी अनुदान पर निर्भर है; जबकि प्रणाली वह अच्छी मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति कैसा भी हो, प्रणाली उसे ईमानदारी, कुशलता, अच्छी मंशा, सद्विवेक, सक्षमता व स्वावलंबन के साथ कार्य करने को बाध्य करती हो।

वर्तमान में पंचायती राज गांवों को प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई बनाने पर जोर दे रहा है, जबकि गांव मूल रूप से एक सांस्कृतिक इकाई हैं। ऐसे में गांवों ने शहरों की बुराईयां तो अपना ली हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों की रक्षा करने में अब वह असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। विकास की दौड़ में हमें अपने मूल्यों को नहीं

राज्यवार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का विवरण

क्र०सं०	राज्य	पंचायतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22945
2	असम	2431
3	बिहार	9040
4	छत्तीसगढ़	9982
5	हिमाचल प्रदेश	3330
6	झारखंड	3979
7	कर्नाटक	5833
8	केरल	1165
9	मध्य प्रदेश	23412
10	महाराष्ट्र	28277
11	ओड़िशा	6578
12	राजस्थान	9457
13	त्रिपुरा	540
14	उत्तराखंड	7335
15	प. बंगाल	3713

स्रोतः लोकसभा में प्रश्न सं. 379 (22.5.2013) के संदर्भ में दिया गया उत्तर।

छोड़ना चाहिए और न ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को। पंचायतों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार की आदर्श ग्राम योजना इसको बेहतरीन अंजाम देने में सक्षम हो सकती है। अपितु ग्रामीण विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है।

सामने आई महिलाओं की नेतृत्व क्षमता

विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय–स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बेहतर अवसर स्थानीय स्वशासन में या विकेंद्रीकरण के संस्थानों में मिल सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का उदाहरण महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यहां के पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे अधिक महिलाएं भारत में ही निर्वाचित होती हैं।

विभिन्न सफल महिला नेतृत्व की पंचायतों के अध्ययन से यह सामने आया है कि महिलाओं के नेतृत्व में आगे आने से विकास कार्यों को अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी से आगे ले जाने, आपसी मेलजोल से कार्य करने, हरियाली बढ़ाने एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशा कम करने जैसे सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने में सफलता मिलती है। साधारण ग्रामीण महिलाओं का पंचायत से जुड़ाव बढ़ता है। इस तरह पंचायतों में महिला नेतृत्व की बढ़ती सफलता महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार में प्रगति की दृष्टि से भी एक सराहनीय उपलब्धि है।

शिक्षा को नए आयाम देती महिला प्रतिनिधि

पुरुषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि निरक्षर महिलाएं पंचायतों का कामकाज ठीक नहीं कर सकती हैं लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं। महिला जनप्रतिनिधि शिक्षा के विस्तार के साथ ही ग्रामीण विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। ये महिला जनप्रतिनिधि अधिकांशतः स्वयं निरक्षर हैं। अतः ये नहीं चाहती कि इनके गांव में कोई भी व्यक्ति विशेषकर महिलाएं एवं बालिकाएं अशिक्षित रहे। फलस्वरूप न केवल महिलाएं शिक्षा से जुड़ रही हैं, गांवों के स्कूलों में भी विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि ग्रामीण महिलाएं अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं। इन क्षेत्रों की महिलाओं के समान अन्य पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी ऐसे ही प्रयास करें तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण और गांवों का विकास सुनिश्चित है।

समाज में महिला प्रधान की बदलती तस्वीर

पंचायतों में महिला आरक्षण के लागू होते ही, महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई थी, लेकिन पंचायत के काम उनके रिश्तेदार संभालते थे। महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे सपने ध्वस्त से होते प्रतीत हुए थे, लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और अब पंचायतों के लिए चुनी जाने वाली महिलाएं, अपने पुरुष रिश्तेदारों के हाथ की कठपुतलियां मात्र नहीं रह गई हैं, अब वे आगे बढ़कर फैसले ले रही हैं और महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार कर रही हैं। आज राजनैतिक रूप से जागरूक महिलाएं पंचायतों के चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं। पंचायतों में अब जो महिलाएं चुनकर आ रही हैं, उनमें से ज्यादातर युवा एवं पढ़ी–लिखी हैं। वे यह भ्रम तोड़ रही हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की राजनैतिक कार्यक्षमता कम होती है।

राजनीतिक चुनौतियों का यह विश्लेषण बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिकाओं में उनकी संख्या नगण्य है। राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अनेक कमियां हैं, जो पंचायतों को स्वायत्तशासी संस्था बनाने में बाधा डालती हैं। पंचायत चुनाव में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान एवं बाद में हिंसा, जात–पात, गुटबाजी का वातावरण महिलाओं को निरुत्साहित करता है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक है। पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास जागा है और इससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार आ रहा है। केंद्र व राज्य–स्तर पर अनेक प्रयास पंचायतों को सशक्त करने के लिए किए गए हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा, क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने के लिए पंचायतें मुख्य संस्थाएं हैं। यही नहीं, 50 अरब की लागत के प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किए जाएंगे। अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहल महिलाओं के सशक्त करने की प्रक्रिया और मजबूत करेगी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से हुई थी। अगर महिलाएं स्वयं चुनकर नहीं आती हैं तो दो महिलाओं को पंचायतों का सदस्य बना दिया जाए, इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यो को कर सकेंगी। यह वास्तव में पुरुषवादी सोच का ही परिणाम है कि महिलाओं को लालन–पालन के अलावा और किसी योग्य नहीं समझा जाता। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। इस समिति ने संविधान में संशोधन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार तो किया था, लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। बाद में कुछ राज्य, जैसे–कर्नाटक, केरल एवं पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागदारी सुनिश्चित की, जिसके ग्रामीण विकास व महिलाओं की मुखरता पर

अच्छे प्रभाव पड़े। अस्सी के दशक में यह बात साफतौर पर सामने आई कि बिना महिलाओं की भागदारी के संपूर्ण ग्रामीण विकास संभव नहीं है।

महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988–2000) में सिफारिश की गई कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 30 प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। इस योजना की सिफारिशों व विभिन्न महिला मंचों, संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत बुद्धिजीवियों के प्रयासों से महिलाओं को सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रावधान ने महिलाओं की दमित ऊर्जा को उजागर किया है, जो निकट भविष्य में भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे सकेगी।

पंचायत चुनाव से पहले भ्रांतियां पैदा की जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए कहां से आएंगी महिलाएं। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब चुनाव संपन्न हुए तो पाया कि कुछ राज्यों, जैसे – कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व केरल में महिलाओं की संख्या अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। वैसे पंचायतों में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं रोड़ा अटका रही हैं। सामाजिक सीमाओं ने उन्हें कमजोर व असहाय बना दिया है। घर व समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सकें। उनकी अशिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने और मुश्किल खड़ी की हैं। गरीबी भी महिलाओं के लिए कम महत्तवपूर्ण समस्या नहीं है। परिवार यदि गरीब है तो सबसे ज्यादा बोझ महिलाएं ही उठाती हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी–रेखा से नीचे रह रहा है। महिलाओं की आर्थिक रूप से बिगड़ती स्थिति पर एक प्रहार नई आर्थिक नीति ने किया।

राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है। महिलाओं की नौकरशाही में भागीदारी भी नहीं के बराबर है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत व गैर–पंचायत कार्यालयों में पुरुष ही नजर आते हैं जिसके कारण वे अपनी बातें उनसे खुलकर नहीं कह पाती। इसका प्रभाव उनके कार्य–संपादन पर पड़ता है।

माना कि महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दूर नहीं किया जा सकता या उनका समाधान संभव नहीं है। महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास व उन्मूलन कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम व अन्य जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इनके द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चूंकि ये कार्यक्रम पंचायतों द्वारा ही लागू किए जाएंगे, जिनमें महिलाएं स्वयं भागीदार हैं, इसलिए आशा की जाती है कि इनके कार्यान्वयन में सुधार आएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा।

पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों के बारे में, पंचायत की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियमों एवं कानूनों के बारे में, वित्तीय व गैर–वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के बारे में तथा विकेंद्रीकरण योजना तैयार करने के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सोच व समझ का विस्तार हुआ है और वे पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही हैं, जो यह ढांढस बंधाते हैं कि महिलाएं भले ही अशिक्षित हैं और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर भी उन्होंने ग्रामीण समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भविष्य में जैसे–जैसे महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने से और पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के माध्यम से इकट्ठा होंगी, कम मुखर महिला प्रतिनिधियों पर मुखर महिलाओं का प्रदर्शनकारी प्रभाव पड़ेगा, जो उनकी पंचायतों की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 81वां संविधान संशोधन, जो संसद व विधानसभाओं में महिला आरक्षण के बार में हैं, वह महिला पंचायत प्रतिनिधियों, महिला विधायकों व महिला सांसदों के बीच तारतम्य बढ़ाएगा। इससे ग्रामसभा से लेकर लोकसभा की ओर महिलाओं का एक ताना–बाना तैयार होगा, जो महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में मददगार होगा। महिलाओं की शक्ति संपन्नता की राष्ट्रीय नीति, जो 1996 में बनाई गई थी, महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निवारण का इलाज है। आने वाले समय में महिलाओं के स्वयं के प्रभाव से और महिलाओं के विकास में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व बुद्धिजीवियों के सहयोग से उनके उद्देश्य कार्यात्मक रूप ले पाएंगे।

महिला सहभागिता का प्रभाव

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला, जब 72वें और 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गईं। इस कानून से ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता में वे भी भागीदार हो सकती हैं। बिहार भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का एक ऐसा प्रांत (राज्य) बन गया है जहां पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ ही निरक्षरता दर सबसे अधिक, सधन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य में 8500 पंचायतों में 45000 से भी अधिक महिलाएं चुनाव जीती हैं, जोकि एक अनुपम उदाहरण है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र

ग्राम पंचायतों में सफलता की नई गाथाएं लिखती महिला प्रतिनिधि

देश भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लाखों की संख्या में सफलता की कहानियां लिख रही है। अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला अपनी छाप छोड़ रही ये महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभा रही हैं। तमिलनाडु के छह जिलों में इंडियास्पेंड अध्ययन 2017 में पाया गया है कि पीआरआई की निर्वाचित 60 प्रतिशत महिलाएं अपने परिवार के पुरुष सदस्यों या सहयोगियों से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं जोकि एक सकारात्मक बदलाव है।

राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाली 24 साल की एमबीबीएस की फ़ाइनल वर्ष की छात्रा शहनाज को हाल ही मे कामां पंचायत से सरपंच चुना गया है। वे देश की सबसे युवा और राजस्थान की पहली महिला डॉक्टर सरपंच हैं। वे लड़कियों की शिक्षा पर काम करना चाहती हैं। अमेरिका की लाखों रुपये वेतन वाली नौकरी छोड़कर देश की अब्दुल्ला बद्खेड़ा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच बन भक्ति शर्मा अब सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके अपनी ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसी तरह असम की खेत्री ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के नेतृत्व में संस्थागत वितरण, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छता की दृष्टि से 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली गई है और 80 प्रतिशत पक्की सड़क की कनेक्टिविटी हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा, नियमित स्वास्थ्य शिविर सहित महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं और घरेलू हिंसा और निराश्रित महिला पीड़ितों को आश्रय दिया जाता हैं।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की ग्राम पंचायत बटकीडोह की सरपंच श्रीमती कलीबाई को ग्राम पंचायत में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ज़िले में तालाबों के निर्माण से जलस्तर में बढ़ोतरी से सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में योगदान सहित ग्रामीण घरों मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, गांव में पक्की सड़कें बनवाने और लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने मे महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 2014 में पुरस्कृत किया गया था।

हरियाणा के करनाल जिले में चंदसमंद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने गंदे पानी को साफ करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत तीन तालाब विकसित किए हैं; अब बागवानी, रसोई बागवानी और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उनके चारों ओर एक हरी बेल्ट विकसित की गई है। हरियाणा में ही धौंज ग्राम पंचायत की महिला प्रमुख ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की हैं। इनमें से महिलाओं और लड़कियों का कौशल विकास, मोबाइल–कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल विभाजन को दूर करना, स्कूल छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करना, पर्दा/घूंघट आदि रिवाजों के खिलाफ अभियान चलाना आदि प्रमुख हैं।

छवि राजवत आज एक जाना–माना नाम बन चुका है जिसने राजस्थान भी सोडा ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी में नौकरी को छोड़ दिया और तब से अपनी ग्राम पंचायत में साफ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कों, शौचालयों और गांव में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। हरियाणा में धनी मियान खान ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया और यह सुनिश्चित किया कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। उनके मार्गदर्शन में, उनके गांव ने हरियाणा के सभी गांवों में अपनी बेहतर स्वच्छता, शून्य ड्रॉपआउट दर और सर्वोत्तम लिंग अनुपात के लिए कई पुरस्कार जीते। ओडिशा में धंकपारा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने अपने गांव में पारंपरिक लोक कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ जरूरतमंद और योग्य लोगों तक पहुंचे। ये महिला पहले बैंक (निवेश) रह चुकी हैं। महिला प्रतिनिधियों की सफलताओं की सूची बेहद लंबी हें। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि महिलओं के लिए चुनौतियां और बाधाएं समाप्त हो गई हैं बल्कि सच्चाई यह है कि उन्होंने चुनौतियों और बाधाओं से लड़कर ये मुकाम हासिल किया है।

पीआरआई में फिलहाल लगभग 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) का 46.14 प्रतिशत है। राज्यवार विवरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (http://www.panchayat.gov.in/women-representation-in-pris) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

में कदम रखा था। चूल्हे–चौके तक ही सीमित दुनिया में रहने वाली इन महिलाओं के लिए नई भूमिका में खुद को साबित करना आसान नहीं था। फिर साक्षर न होने का अभिशाप, लेकिन जब अधिकार मिले और सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो उनको धीरे–धीरे काम करने का ढंग भी आ गया। विधानसभाओं एवं लोकसभा के लिए भी जो लोग जीते हैं, सारे स्नातकोत्तर (एम.ए.), विद्यानिधि (एम. फिल), विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) तो नहीं होते, पर मंत्री बनने के बाद काम चला ही लेते हैं। कानून बनने के बाद, नागरिक सामाजिक संगठनों की भूमिका सराहनीय रही, उन्होंने सदियों से दबे–कुचले समाज की महिलाओं की खासतौर पर मदद की। चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने और चुनाव जीतने के लिए जागरूकता अभियान चलाने से लेकर चुनाव जीतने के बाद पंचायतों का काम करने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। पंचायतों में महिला आरक्षण ने जहां एक ओर महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर इसने पंचायतों की तस्वीर

भी पूरी तरह से बदल कर रख दी है और राजनैतिक रूप से हाशिये पर पड़ी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

शिक्षा से आया सामाजिक बदलाव

शिक्षित मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से कर सकने में सक्षम होते हैं। इस लिहाज से शिक्षा के प्रसार से देश में लोकतंत्र को मजबूती मिली है। पंचायती राज कानून ने ग्रामीणों को अपने फैसले खुद करने का अवसर मुहैया कराया है। ग्रामीणों और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के विकास से पंचायती राज संस्था को बल मिला है। इससे ग्राम पंचायतें अपने आर्थिक और अन्य सामुदायिक फैसले ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से करने में सक्षम बनी हैं। डा. अम्बेडकर ने भी कहा था, ''शिक्षा सबकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। इसे हर मुमकिन तरीके से और यथासंभव रास्ता बनाया जाना चाहिए।'' बाबा साहब का अटूट विश्वास था कि शिक्षा ही मनुष्य और समाज के जीवन में बदलाव ला सकती है।

अतः भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप ने एक लंबा समय तय किया है। प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिककाल में भी पंचायतों का अस्तित्व देखने को मिलता था। बौद्धकाल में ग्राम परिषदें थी। इन परिषदों का कार्य ग्राम भूमि कर, लगान की व्यवस्था, शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रूचि लिया करते थे। चाणक्य, ग्राम को प्रथम राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। सन् 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों से संबंधित अध्याय के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति व अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। व्यावहारिक रूप में 'पंचायती' शब्द का अस्तित्व आजाद भारत में श्री बलवन्त राय मेहता के ''लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण'' के प्रतिवेदन से उदय हुआ और जो अनवरत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भारत में धीरे–धीरे देखने को मिल रहा है।

पारिवारिक सामंजस्य की आवश्यकता

महिलाओं की राजनैतिक क्रियाशीलता हेतु पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य भी अति आवश्यक है। पति–पत्नी ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सभी सदस्यों को एक–दूसरे की प्रतिभा, योग्यता, दक्षता और कौशल को पहचानते हुए; आपसी सौहार्द्र की भावना से उनकी निहित शक्तियों के प्रकटीकरण एवं उपयोग के अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक स्तर पर उदार, प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर यथासंभव उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारों के साथ–साथ उत्तरदायित्वों को भी वहन करना होगा। किसी होड़, प्रतिद्वंदिता या नारेबाजी से नहीं, वैचारिक शक्ति का संबल लेकर सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। फलतः महिला सशक्तिकरण के बहुआयाम महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तिव व सर्वांगीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी अपेक्षाएं हैं।

संदर्भ सूची

आलोक, चेतनादित्य; ''महिला सशक्तिकरण हमारे समाज का सहज स्वरूप'', अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

गजेंद्र गड़कर, वसुधा; ''महिला शिक्षा–एक अहम पहलू'', अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

नीरा देसाई, ''वीमेन एण्ड सोसाइटी'', एस.एन.डी.टी., वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई।

नीरा देसाई (1987), ''सोशल चेंज इन गुजरात'', वोरा एंड कम्पनी, पब्लिशर्स प्रा.लि. मुंबई।

वीना पुनाचा, ''जेंडर एण्ड पॉलिटिक्स'', रिसर्च सेन्टर फॉर वीमेन्स स्टडीज, एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई।

व्होरा, आशारानी ''महिलाएं और स्वराज'' प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

देसाई, नीरा व ठॉर उषा (2009) ''भारतीय समाज में महिलाएं'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

शुक्ल, संध्या; ''प्रगति पथ पर अग्रसर नारी'', अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

राजकुमार;(2005) : ''नारी के बदलते आयाम'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अन्सारी रोड दरियांगज नई दिल्ली।

राजकुमार;(2003) : ''भारतीय नारी, सामाजिक अध्ययन'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

पवार, योगिता महेश; ''महिला सशक्तिकरण : फिर भी मंजिल अभी बाकी'', अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

पालीवाल, सुभाषिणी, ''भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता'', कल्याणी शिक्षा परिषद्, नईदिल्ली पृ.सं. 90।

पांडिया, चंद्रकला; (2005) : ''धर्मशास्त्र और स्त्री विमर्श'' महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

पाण्डेय, प्रेम नारायण; (2000) : ''ग्रामीण विकास एव संरचनात्मक परिवर्तन'', रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली।

परवीन विसारिया (1999) : ''लेबल एंड पैटर्न आफ फीमेल इम्प्लायमेंट'' 1911–1994, इन टी.एस. पोपला एंड ए.एन. शर्मा।

भारत, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (2011) कुल भारत की जनगणना 2011, नई दिल्ली।

सिंह, अनिल; ''भारत में महिलाओं की स्थितिः कल और आज'', अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

महीपाल (2017), ''पंचायत में महिलाएं'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

मंजुलता, (2012) : ''भारतीय सामाजिक समस्याएं'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।

महाजन एस. (2009) : ''सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा'', राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

(लेखक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (मनोविज्ञान विभाग) में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : krishna.nipccd@gmail.com

आगामी अंक

अगस्त, 2018 : ग्रामीण बुनियादी ढांचा

NeoStencil.com

India's #1 LIVE Online Platform for Govt. Jobs

Our Stellar Performer

Saumya Sharma
AIR 9, IAS

OUR ONLINE UPSC RESULTS

- 120+ Toppers
- 60+ Teachers
- 300+ Courses
- 1 Platform

Join LIVE Online Courses for IAS Now!

Courses & Test Series

Pub Ad.	Pavan Kumar, S. Ansari, Atul Lohiya
Philosophy	Mitrapal
Geography	Prof. Majid Husain, Md. Rizwan, Alok Ranjan
Sociology	Praveen Kishore, Venkata Mohan
History	Rajnish Raj, Alok Jha
Anthro	Venkata Mohan
PS & IR	Kailash Mishra, RS Sharma
General Studies	Lukmaan IAS, Pavan Kumar, Tarique Khan, Venkata Mohan, MK Yadav, Toppers 25
Current Affairs	Lukmaan IAS, Venkata Mohan, Alok Jha, MK Yadav
GS Test Series	AAI IAS, Lukmaan IAS, Pavan Kumar
Ethics	S. Ansari, Pavan Kumar
Essay	S. Ansari, Venkata Mohan

info@neostencil.com | 95990 75552 | facebook.com/NeoStencil

जनजातीय इलाकों में 'पेसा'

–यतिंद्र सिंह सिसोदिया

73वें संविधान संशोधन अधिनियम का बनना और उसके बाद भारत में राज्यवार पंचायती राज अधिनियमों के पारित होने से ज़मीनी–स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का महत्व उजागर हुआ है। जनजातीय लोगों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन की अलग प्रणाली के बारे में सुझाव देने के उद्देश्य से भूरिया समिति का गठन किया। इस समिति की अधिकतर सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और एक कानून पारित किया जिसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के नाम से जाना जाता है। इसी के अनुसार पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों वाले राज्यों ने अपने राज्य से संबंधित कानूनो में भी बदलाव किया। शासन की नई प्रणाली को लागू हुए दो दशक से अधिक गुजर चुके हैं। इस लेख में पेसा कानून के लागू होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली के कामकाज का विश्लेषण किया गया है।

स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार व्यावहारिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। दुर्भाग्य से इस संबंध में राज्य सरकारों का रवैया बिलकुल अलग रहा और इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक चरण में स्थानीय ग्रामीण राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना का रुझान बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। राज्य सरकारों ने ग्राम–स्तर की संस्थाओं को अधिकार–संपन्न बनाने में बहुत कम दिल्चस्पी ली और इन संस्थाओं को सत्ता का हस्तांतरण तो नगण्य ही रहा।

आज़ादी के करीब 45 वर्षों बाद केंद्र सरकार को इस कड़वी सच्चाई का अहसास हुआ कि जनजातीय/ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने वाली प्रणाली कारगर तरीके से चालू नहीं हो पाई थी। यह भी महसूस किया गया कि पंचायतों के माध्यम से जनता की कामकाजी भागीदारी के बिना ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों का विकास टिकाऊ नहीं रह पाएगा। इसके परिणामस्वरूप 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। भारत के सभी राज्यों के लिए इस अधिनियम पर अमल को अनिवार्य कर दिया गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। 73वें संशोधन के माध्यम से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत और जनता की शक्ति के हस्तांतरण के सिद्धांत के आधार पर देश की शासन प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था का मूलभूत पुनर्गठन किया गया। अब तक नीति नियोजन करने वालों को यह अहसास हो चला था कि नई पंचायती राज संस्थाओं के पास जनता की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बदलाव और विकास के नए युग में ले जाने और इस तरह ज़मीनी–स्तर पर बुरी तरह गड़बड़ा चुकी लोकतांत्रिक प्रणाली में नई जान फूंकने की क्षमता है (बेहर और कुमार : 2002)।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम और उसके बाद विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के पारित होने से ज़मीनी–स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का महत्व उजागर हो गया। संदर्भ से और सैद्धांतिक रूप से भी नई पंचायती राज प्रणाली को स्वशासन के नए मॉडल के तौर पर बनाया गया है (ससोदिया : 2002)। नई पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने, लोगों को प्रेरित करने और नई संस्थाओं के माध्यम से उनकी ऊर्जा को ग्रामीण पुनिर्निर्माण में लगाने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना और पूरा करना है।

राज्यों के परिदृश्य पर नजर दौड़ाने से यह बात साफ हो जाती है कि पंचायती राज सुधार देश के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में निश्चित रूप से पूरे उत्साह और जोश से लागू हुए हैं जहां के राज्य आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत मजबूत और सामाजिक दृष्टि से जीवंत हैं और जहां सिविल सोसाइटी पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके विपरीत उत्तरी राज्यों में जहां सबसे अधिक गरीबी, असमानता और समाज में जातिभेद की दीवारें हैं वहां अभिशासन की सुस्त रफ्तार की वजह से पंचायत भी कमजोर हैं (रॉबिन्सन : 2005)।

73वां संशोधन और 'पेसा' कानून का कार्यान्वयन

जनजातीय समुदाय भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित वर्गों में शामिल है। ये लोग मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया से अपेक्षाकृत कटे रहे हैं और इनकी अपनी लंबी व अविच्छिन्न परंपरा रही है। इन लोगों के अपने रीति–रिवाज और परंपराओं के ताने–बाने पर आधारित संयुक्त सामाजिक ढांचा है। अपने आपसी विवादों को सुलझाने और अपने संसाधनों तथा सामाजिक–राजनीतिक जीवन के नियमन के लिए इनकी अपनी पारंपरिक संस्थाएं हैं। जब नई पंचायती राज प्रणाली को जनजातीय इलाकों में लागू करने की योजना बनाई गई तो यह महसूस किया गया कि वैश्वीकरण के आज के युग में जनजातीय लोगों को उपेक्षा से बचाया जाना चाहिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल (1996) ने जनजातीय इलाकों में विकास और समानता के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन को आवश्यक पूर्व शर्त बताया क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इन इलाकों को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व नहीं मिल पाया था। ज़मीनी–स्तर की स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने और जनजातीय इलाकों को स्वशासन उपलब्ध कराने के लिए संविधान के खंड–9 का, जो पंचायतों से संबंधित है, संसद के अधिनियम के जरिए विस्तार किया गया। इस अधिनियम को पंचायतों की पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम (पेसा) 1996 कहा जाता है। इस अधिनियम से पहले जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न पहलुओं और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत संबंधी प्रावधानों के विस्तार की आवश्यकता के बारे में विचार के लिए श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। पेसा कानून में जनजातीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं पर खासतौर से गौर किया गया है।

पेसा कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका वह सुझाव है जिसमें कहा गया है कि हर ग्रामसभा लोगों की परंपराओं और रीति–रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों के समाधान के परंपरागत तरीकों की हिफाजत करने में सक्षम होगी। इसके अलावा 1996 के केंद्रीय अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में विस्तृत अधिकार दिए जाने चाहिए : (1) सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने से पहले उनकी स्वीकृति; (2) गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान करना; (3) पंचायतों द्वारा खर्च की गई धनराशि के उपयोग का प्रमाणन।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) में ज़मीनी–स्तर पर लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को उपर्युक्त अधिकार देने के बाद यह प्रावधान भी है कि ग्रामसभा या पंचायतें उपयुक्त स्तर पर निम्नलिखित अधिकारों से युक्त होंगीः (1) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलों में परामर्श देने; (2) छुटपुट खनिजों के लिए लाइसेंस देने और इसी तरह की गतिविधियों में रियायतें देने; (3) छोटे जलाशयों की योजना बनाने और उनका प्रबंधन करने; (4) नशाबंदी लागू करने या किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और उपभोग को विनियमित या प्रतिबंधित करने; (5) लघु वन उपजों का मालिकाना अधिकार; (6) जमीन के हस्तांतरण का अधिकार और अनुसूचित जनजातियों की गैर–कानूनी तरीके से हथियाई गई जमीन की वापसी; (7) ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन का अधिकार; (8) अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कर्ज देने संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण का अधिकार; (9) स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार।

ग्रामसभा या ग्राम पंचायतों के उपयुक्त स्तर पर इतने व्यापक अधिकार देते हुए पेसा कानून में यह भी आगाह किया गया है कि राज्यों के कानून में पंचायतों को ऐसे अधिकार दिए जा सकते हैं जो उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसमें हिफाजत के ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऊंचे स्तर की पंचायती संस्थाएं निचले स्तर की पंचायतों या ग्रामसभाओं के अधिकार और शक्तियां अपने हाथों में न ले सकें। 1996 के केंद्रीय कानून पर अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सुझाव दिया गया कि वे अपने–अपने पंचायत कानूनों में एक साल के भीतर संशोधन करके अनुसूचित क्षेत्रों में इसका विस्तार सुनिश्चित करें। पंचायतों से संबंधित मुद्दों को उठाने वाले बहुत से कार्यकर्ताओं और विद्वानों ने 'पेसा' कानून को प्रगतिशील कानून बताया है क्योंकि यह ग्राम–स्तर के समुदायों को अपने जीवन और संसाधनों का स्वयं प्रबंधन करने का महत्वपूर्ण अधिकार देता है (चौबे, 2015)।

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम–स्तर पर वास्तविक स्थिति पेसा कानून द्वारा उत्पन्न अपेक्षाओं से काफी अलग है। राज्यों के अधिनियम भी पेसा कानून के प्रावधानों के खिलाफ जाते हैं। अनुसूचित इलाकों में जनजातीय या गैर–जनजातीय व्यक्ति के नेता होने के मुद्दे ने भी नए राजनीतिक समीकरण तैयार कर दिए हैं। ज़मीनी–स्तर पर राजनीतिक समीकरणों के अलग आयाम हैं। इसमें कई खिलाड़ी शामिल हैं और वे स्थानीय–स्तर की राजनीति में अपने असर के अनुसार पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। असल में यह तर्क दिया जा सकता है कि पेसा कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद व्यापक–स्तर पर लिए गए फैसलों और ज़मीनी–स्तर की असलियत में बड़ी खाई है। जनजातीय क्षेत्रों की अपनी विशेषताएं होती हैं। पंचायतों की राजनीति के मुख्य खिलाड़ियों में परंपरागत नेता, नए नेता, स्थानीय अफसरशाही, गैर–जनजातीय समाज और वन तथा राजस्व जैसे विभाग शामिल रहते हैं। परंपरागत नेता विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आमतौर पर प्रतिद्वंद्विता की दृष्टि से समानांतर संस्था के रूप में देखते हैं और अपने स्वाभाविक प्रभावक्षेत्र

को चुनौती देने वाला समझते हैं। पंचायत प्रणाली में नए आए लोगों को 'पेसा' कानून के प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं होती और इस पहलू के बारे में उनकी जानकारी के दायरे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। छोटे जलाशयों की योजना बनाने और उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्रामसभाओं की होती है, लेकिन इसके लिए दूसरी संस्थाएं भी हैं। इसलिए परंरागत व्यवस्था और नई योजनाओं के बीच आवश्यक तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। हालांकि खनन संबंधी पट्टे देने, छुटपुट खनिजों तथा लघु वन उपज के उपयोग और जनजातीय भूमि हस्तांतरण आदि के बारे में कानूनों में संशोधन किए गए हैं लेकिन कार्यान्वयन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण जमीन के साझा उपयोग को लेकर दुविधाएं बरकरार हैं। जनजातीय क्षेत्रो में गैर–जनजातीय नेता बहुत मजबूत रहे हैं और वे विकास योजनाओं को लागू करने में बिचौलिए/एजेंट के तौर पर कार्य करते हैं। उन्होंने स्थानीय अफसरशाही के साथ मिलकर अच्छा–खासा नेटवर्क तैयार कर लिया है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पलड़े को अपनी ओर झुकाने में सक्षम हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जनजातीय नेतृत्व ज़मीनी–स्तर पर ही सिमट कर रह जाता है।

इसी पृष्ठभूमि में इस लेख में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) को लागू करने की प्रक्रियाओं और प्रणालियों का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

प्रविधि और संदर्भ

इस लेख में दिए गए प्रमाण मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के एक–दूसरे की सीमा से सटे अनुसूची–5 के इलाकों में 'पेसा' कानून पर अमल के बारे में कराए गए अनुसंधान अध्ययन पर आधारित हैं। पंचायती राज प्रतिनिधियों के मुद्दों पर भी इस अध्ययन के अंतर्गत विचार किया गया ताकि इनके कामकाज, बदलावों की प्रकृति और बदलावों को समझा जा सके। इस लेख में परस्पर क्रिया–प्रतिक्रिया, अंतर्संबंधों और कर्ताओं के बीच संघर्ष पर भी विचार किया गया। इस मुद्दे का मुख्य बिंदु 'पेसा' कानून के ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन और इसके लागू होने के बाद सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इसके असर का जायजा लेना है।

'पेसा' कानून के बारे में जानकारी

यह सचमुच में चिंता का विषय है कि बड़ी भारी संख्या में उत्तरदाताओं को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायतों के विशेष दर्जे के बारे में जानकारी बहुत ही कम थी। यह बात बड़ा मायने रखती है क्योंकि प्रतिनिधियों को समझाने और उन तक जानकारियां पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं।

ग्रामसभाओं को सक्रिय बनाना

पंचायती राज प्रतिनिधियों के ग्रामसभा के बारे में दृष्टिकोण में लगभग नहीं के बराबर बदलाव आया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जनजातियों के लोगों की जानकारी का स्तर बहुत कम है और महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों को इन मुद्दों की शायद ही कोई समझ है। ज्यादातर उत्तरदाताओं को, जो पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, विशेष अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं के सदस्यों में ग्रामसभाओं के विशेष अधिकारों के बारे में जानकारी का बड़ा अभाव पाया गया।

एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्रामसभाओं के गठन के बारे में 'पेसा' कानून के महत्वपूर्ण पक्ष को लेकर आधे से भी कम पंचायत प्रतिनिधियों को जानकारी थी। सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति नियमित पाई गई जिसका कारण यह था कि ग्रामसभा एक ऐसा मंच है जहां से सभी सरकारी योजनाओं की शुरुआत होती है और सरकार के निर्णय तथा कार्यक्रम ऊपर से नीचे तक पहुंचते हैं। सदस्यों की उपस्थिति नियमित होने का एक कारण यह भी है।

ग्रामसभा की बैठकों में प्रस्तुत दृष्टिकोण के प्रत्युत्तर में बड़ी तादाद में लोगों ने पाया कि काम पूरा किया जा चुका है/चालू है। यह बड़ी उत्साहवर्धक स्थिति है कि सामाजिक ऑडिट के बावजूद केवल ऐसे आधे उत्तरदाताओं को, जो पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, काम की प्रगति के चरण के बारे में जानकारी थी। एक तिहाई से कुछ ज्यादा उत्तरदाताओं के अनुसार उन्होंने गांव के लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया और उन्हें ग्रामसभा की बैठकों में इसीलिए लिया क्योंकि 'पेसा' कानून पर अमल के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

पंचायती राज प्रतिनिधियों में से आधों का मानना था कि ग्रामसभा की चाहतों और सुझावों पर ग्राम पंचायतों द्वारा विचार किया जाता है। नवोंमेष और इसकी तकनीकी बारीकियों पर विचार करने पर पता चलता है कि काफी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि प्रणाली को समझने के और अधिक करीब पहुंच रहे हैं। ग्रामसभा के जरिए ग्राम विकास के चयन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करीब दो तिहाई उत्तरदाताओं ने इसका अनुमोदन किया। बहरहाल, सरपंच चयन और गांवों के विकास कार्यों के संचालन में अब भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्राम पंचायतों का संचालन

ग्राम पंचायत ज़मीनी–स्तर पर तमाम कार्यों को करने वाली मुख्य संस्था है। बहुत बड़ी तादाद में उत्तरदाताओं ने बताया कि वे ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित रूप से हिस्सा लेते हैं। यह बात जनजातीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी तादाद में उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि वे गांव में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करते हैं। उत्तरदाता निरीक्षण के लिए विभिन्न कार्यालयों का दौरा करते हैं। लेकिन स्कूलों और आंगनवाड़ियों का आमतौर पर पर्याप्त निरीक्षण नहीं होता। गांवों में अब भी पीने के पानी, बिजली, सड़क/पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

लगभग आधे उत्तरदाताओं ने ग्राम पंचायतों की बड़ी नकारात्मक छवि प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों की गांवों की समस्याओं के समाधान में कोई भूमिका नहीं है। इसका कारण यह है कि उत्तर देने वाले ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं जिन्होंने ग्राम पंचायतों की बैठकों में पहले ही ये समस्याएं बार–बार रखी हैं। इस तरह के प्रयासों के बावजूद कोई ठोस या सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। परिणामस्वरूप जहां तक ग्राम पंचायतों के जरिए

समस्याओं के समाधान की बात है, गांवों के लोगों का इसमें कोई भरोसा नहीं है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

सेसा कानून के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का जनजातीय लोगों के देसी ज्ञान के अनुसार प्रबंधन 'पेसा' कानून के तहत एक प्रमुख गतिविधि है। आधे से भी कम उत्तरदाताओं को इस बात की जानकारी है कि 'पेसा' कानून के अंतर्गत ग्रामसभाओं को सौंपे गए बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्राकृतिक संसाधनों (भूमि, जल और वन) के प्रबंधन का है। जनजातीय गांवों में से 50 प्रतिशत के पास वन और लघु वन उपज उपलब्ध हैं। जहां तक वनों पर नियंत्रण का सवाल है, सभी उत्तरदाताओं का स्पष्ट रूप से मानना है कि इन पर सरकारी/वन विभाग का नियंत्रण है। बहुत ही कम संख्या में ऐसे गांव हैं जहां छुटपुट खनिज उपलब्ध हैं। बहुत बड़ी तादात में गांवों में तालाब जैसे जलसंग्रह के स्थान हैं। जलाशयों के प्रबंधन के लिए कमेटी प्रणाली काम में लाई जा रही है। लेकिन बड़ी संख्या में उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि उनके गांव में जलाशयों के प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

परंपराओं और रीति–रिवाजों का संरक्षण और सुरक्षा

बहुत बड़ी तादाद में उत्तरदाताओं की स्थानीय परंपराओं और रीति–रिवाजों में आस्था है। ग्रामसभाओं पर परंपराओं, रीति–रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हैरानी की बात है कि उत्तर देने वालों में से ज्यादातर को इस तथ्य की जानकारी नहीं है। बहुत ही सीमित संख्या में उत्तरदाताओं ने परंपराओं, रीति–रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में ग्रामसभा में विचार–विमर्श किया है। परंपराओं और रीति–रिवाजों संबंधी जानकारी बहुत ही सतही किस्म के मुद्दों तक सीमित है और विवाद समाधान के पारंपरिक तौर–तरीके, प्राकृतिक संसाधनों की पूजा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की पारंपरिक विधियों, आजीविका के स्वरूप जैसे मुद्दों के किसी खास पहलू पर ग्रामसभा की बैठकों में चर्चा नहीं होती। ज्यादातर मामलों में ग्रामसभा/जाति पंचायत/सरपंच ही विवाद समाधान के मसलों को निपटा लेते हैं।

बहुत बड़ी तादाद में उत्तर देने वालों का यह भी विचार था कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को ग्रामसभाओं की वजह से कोई नुकसान नहीं है। उत्तरदाताओं में से करीब तीन चौथाई का विचार था कि वर्तमान पंचायत प्रणाली पहले की प्रणाली से भिन्न है। 'पेसा' कानून ने ग्रामसभाओं को निश्चित तौर पर अधिकार–संपन्न बना दिया है और उन्हें बहुत अधिक अधिकार दे दिए हैं और अधिकतर उत्तरदाताओं ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है और इसे प्रणाली के लिए सार्थक योगदान बताया है। पहले की पंचायत प्रणाली से बदलाव के तौर पर अब अधिक विकास कार्य हो रहे हैं और 'पेसा' कानून के तहत गठित ग्रामसभाओं में गांव से संबंधित मामलों में ग्रामीणों की प्रत्यक्ष भागीदारी है।

निरक्षरता को पंचायतों के अंतर्गत रहने वाले समुदायों की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक माना गया है। पंचायतों के प्रतिनिधियों को 'पेसा' कानून और पंचायती राज संस्थाओं के प्रक्रिया संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम से लोगों को पंचायतों के कार्य संचालन में सक्षम बनाने वाला आवश्यक औजार उपलब्ध कराया गया है। लोगों को मुख्य रूप से ब्लॉक मुख्यालयों में पंचायतों के कार्य करने, पंचायतों से संबंधित बुनियादी जानकारियों और सूचनाओं तथा उनके कायदे–कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायत प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए दिए गए सुझाव नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने, अधिक अधिकार दिए जाने और अतिरिक्त कार्य आदि से संबंधित हैं। असल में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न करने वाले असली मसलों के बारे में कोई सुझाव नहीं आया है। इस स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। इसका एक कारण यह भी है कि जनजातीय प्रतिनिधियों में समझ और अनुभव का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है।

निष्कर्ष

हाल के वर्षों में कई रिपोर्टों (उग्रवाद के असर वाले इलाकों में विकास की चुनौती के बारे में योजना आयोग के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट–2008; दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की दूसरी रिपोर्ट–2007; बालचंद मुंगेकर समिति की रिपोर्ट–9;) में यह बात जोर देकर कही गई है कि 'पेसा' कानून पर अमल की स्थिति बड़ी निराशाजनक है। इसलिए एक ऐसी कारगर युक्ति को तत्काल अपनाने की जरूरत है जिसमें अधिकतम लोगों को सूचित किया जा सके, उन्हें जागरूक बनाया जा सके और 'पेसा' कानून के उचित कार्यान्वयन तथा अमल के बारे में आगे आने को प्रेरित किया जा सके। जनजातीय लोगों की चुप रहने की संस्कृति को बदलने और क्षमता निर्माण, लोगों को संवेदनशील बनाने और जनजातीय स्वशासन परिदृश्य में सुधार के लिए जानकारी देने की भी आवश्यकता है।

संदर्भ

बेहर, अमिताभ और कुमार, योगेश (2002), डिसेंट्रलाइजेशन इन मध्यप्रदेश इंडिया : फ्रॉम पंचायती राज टू ग्राम स्वराज (1995 से 2001) वर्किंग पेपर 170, ओडीआई, लंदन, यूके

चौबे, कमल नयन (2015) : 'एनहांसिंग पेसा : द अनफिनिशड एजेंडा', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मुंबई, जुलाई 27, खंड एल नं. 8

रॉबिन्सन, मार्क (2005) : 'ए डिकेड ऑफ पंचायती राज रिफॉर्मस : द चैलंज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया' इन एल.सी. जैन (एजु.). डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गर्वनेंस ओरिएंट लांगमैन, नई दिल्ली।

सिसोदिया, यतिंद्र सिंह (2002) : डिसेंट्रलाइज़्ड गर्वनेंस इन मध्यप्रदेश : एक्सपीरिंएसिस ऑफ द ग्रामसभा इन शिड्यूल्ड एरियाज़', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, मुंबई, अक्तूबर 5, खंड 37, सं. 40

सिसोदिया, यतिंद्र सिंह (2017) : टू डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गर्वनेंस एट लोकल लेवल : एवीडेंसस फ्रॉम द फंकशनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन सेंट्रल इंडियन स्टेट्स इन यतिंद्र सिंह सिसोदिया, आशीष भट्ट एंड तपस कुमार दलापंति (एजु.) टू डिकेड्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया : एक्सपीरिएंसिस, इश्यूस, चैलेंजिस एंड ओपरच्युनिटिस रावत पब्लिकेशंस, जयपुर।

(लेखक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का संस्थान) उज्जैन (मध्य प्रदेश) के निदेशक हैं।)

ई–मेल : yatindra15@yahoo.com

पंचायती राज का अवलोकन

–मंजुला वाधवा

2005 का 'सूचना का अधिकार' जनता को लोकोपयोगी योजनाएं ठीक से क्रियान्वित करवाने में मदद कर सकता है किंतु गांव–देहात में आज भी आम जन को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता है, पंचायतों के चुने गए कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनता के बीच यह विश्वास पैदा किया जाए कि शक्तियों के हस्तांतरण, विकेंद्रीकरण की यही प्रक्रिया उनके आर्थिक और सामाजिक विकास का रास्ता है। यह उनकी स्वयं की, उन्हीं के लिए और उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है।

अधिकारों के हस्तांतरण से अभिप्राय है किसी भी संस्था को चलाने हेतु लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों से संबंधित अधिकार सर्वोच्च स्तर से नीचे के स्तर पर हस्तांतरित करना और इस सारी प्रक्रिया के फलस्वरूप न केवल उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, बल्कि सौंपे गए काम स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से करने की उन्हें आज़ादी साथ ही उन्हें जवाबदेह भी बनाना। सच पूछिए तो विकेंद्रीकरण आमतौर पर 04 तरीकों से होता है– विकेंद्रीकरण, शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्तियों/अधिकारों का हस्तांतरण और निजीकरण।

यहां हम मुख्य तौर पर बात करेंगे– पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में डेवोल्यूशन की जिसका अर्थ है– किसी भी कार्य विशेष को करने का प्राधिकार जब राज्य से स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो इन स्थानीय सरकारों को उस कार्य की योजनाएं–परियोजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने का परमाधिकार भी मिल जाता है, तो जाहिर है उन्हें इन कामों के लिए जरूरी स्टाफ और वित्तीय संसाधन भी सौंपे जाने चाहिए। या यूं कहिए, गतिविधियां, उन्हें चलाने के लिए वांछित संसाधन तथा उन्हें अंजाम देने वाले कार्यकर्ता तीनों का ही हस्तांतरण एक–दूसरे का पूरक है और आवश्यक भी। अधिकांश विकासशील देशों में शक्तियों को ऊपर से नीचे विकेंद्रित करने के लिए अक्सर यही तरीका अपनाया जाता है। सरकार अपना वरद्हस्त तो बनाए रखती है, पर्यवेक्षी भूमिका भी निभाती है किंतु विकेंद्रीकृत संस्थाओं के रोज़मर्रा के कामकाज में दखलंदाज़ी नहीं करती। स्थानीय निकाय उस संस्थान को चलाने के लिए स्वयं ही धन जुटाते हैं,उसका सुव्यवस्थित प्रबंधन करते हैं, निर्धारित नियमों के अंदर रहते हुए सभी अहम फैसले लेते हैं और उन्हें अमलीजामा पहनाते हैं।

जहां तक पंचायती राज व्यवस्था की बात है, ये वे स्थानीय सरकारी इकाइयां होती हैं जो जन कल्याण के राजकीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए, ग्रामीण–स्तर पर सहभागितापरक लोकतांत्रिक तरीकों से आधार–स्तर पर सर्व–संबद्ध को जोड़कर, उनके साथ तालमेल बिठाकर, राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम करती हैं। वस्तुतः ग्राम पंचायतें, तीन तरीकों से पंचायती राज व्यवस्था की आधार–स्तरीय इकाइयां होती हैं:–

- स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्था के रूप में
- कुछ विशेष कार्य सम्पन्न करने के लिए उच्चतर सरकारी संस्था की एजेंसी के रूप में
- ग्राम–स्तर पर प्रजातंत्र की प्रयोगशालाएं जो राजनीतिक

अधिकारों के लिए नागरिकों को शिक्षा देती हैं और सभी जन–कल्याणकारी कार्य जनतांत्रिक और सहभागितापरक तरीकों से करवाना सुनिश्चित करती हैं।

- फायदा यह होता है कि इस व्यवस्था के कारण ग्रामीण जनता की पहुंच शासन तक हो जाती है। फलस्वरूप दोनों में एक–दूसरे की समस्याएं समझने और उन्हें हल करने की भावना उत्पन्न होती है और इस प्रकार ग्रामीण उत्थान और विकास हो पाता है।

एक पंक्ति में कहें, तो इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य होता है– कार्यान्वयन से संबंधित अहम फैसले लेने में उस परियोजना विशेष के लाभार्थियों को जोड़ना। पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार से, लोगों की अपनी सरकार होती है। उनके अपने विकास के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजनेता जय प्रकाश नारायण ने 'ग्राम स्वराज' का जो सपना देखा था, उसे साकार करने का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज़रिया है। अब गौरतलब यह है, क्या वह मूल उद्देश्य पूरा हो पाया है, जिसे लेकर यह व्यवस्था स्थापित की गई थी? आइए, इस पर विचार करते हैं– तीनों के नज़रिए से– (i) ग्रामीण आम जन, (ii) जनता द्वारा चुने गए राजनैतिक प्रतिनिधियों और (iii) सरकारी अधिकारियों – गांववासियों की नज़र में यह वह संस्था है जो उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, पेयजल, स्कूल, अस्पताल वगैरह मुहैया करवाती है। जनता के चुने प्रतिनिधि इसे गांवों के विकास और कल्याण के लिए कार्यक्रम करवाने का माध्यम मानते हैं तो राजकीय अधिकारी इसे जनतांत्रिक तरीकों से काम करने के लिए बनाई गई स्वायत्त शासन संस्था मानते हैं, जो सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं को जन–जन तक पहुंचाते हैं। व्यवहार में देखें तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर कुछ नेता उभर आते हैं जो सत्तासीन पार्टी को देहाती इलाकों में अपनी पैठ बनाने और अगले चुनावों में उनके लिए 'वोट बैंक' जुटाने का काम करते हैं।

पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:–

- सांविधिक तरीके से चुनकर आई ये इकाईयां ग्रामस्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक/तालुका स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला–स्तर पर जिला परिषद कहलाती हैं–तीनों एक–दूसरे से अंतर–संबंधित;
- सरकार द्वारा इन्हें शक्तियों और अधिकारों का सीधे और सच्चे तरीके से हस्तांतरण किया जाना;
- विकास के काम करवाने के लिए इन्हें पर्याप्त निधियां उपलब्ध करवाना;
- विकास के सारे काम इन्हीं के माध्यम से करवाना।

उपर्युक्त के मद्देनज़र, एक बात निर्विवाद है कि हमारे विकासशील देश के त्वरित, चहुंमुखी और सर्व–समावेशी विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था यकीनन आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है और बेहद कारगर भी हो सकती है बशर्ते इन्हें ठीक से चलाने दिया जाएं, इनकी बुनियाद मज़बूत हो, नीयत साफ और दिशा स्पष्ट हो।

अतीत के झरोखे से देखें तो आज़ादी से पहले के 1870 के 'मेयो संकल्प', आज़ाद भारत में महात्मा गांधी के 'स्वराज स्वप्न' को साकार करने के प्रयास, तब से हुई राजनीतिक उठापठक, बलवन्त राय समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आदि के माध्यमों से सहमति–असहमति के लंबे दौर से गुज़रती हुई पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित करने के हाल ही के प्रयत्नों पर नज़र डालें तो 64वें तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बावजूद यह व्यवस्था मृतप्रायः रही और अन्ततः 1991 के 73वें संशोधन जो 24 अपैल, 1993 को लागू हुआ, से इस व्यवस्था को पुनः प्राणशक्ति मिली और सभी राज्यों में त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को 'पंचायती राज दिवस' मनाया जाता है। हर पांच साल में चुनाव अनिवार्य कराया जाना, एक तिहाई सीटें महिलाओं और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित करना, राज्य–स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन आदि इस संशोधन अधिनियम में उठाए गए ऐतिहासिक कदम हैं। प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पेयजल जैसी समस्याओं के हल ढूंढने में इन निकायों को स्वायत्तता दी गई है और महालेखाकार–अंकेक्षक की भूमिका का भी प्रावधान रखा गया है। नौकरशाहों और राज्य सरकार की भूमिका व हस्तक्षेप कम से कम करते हुए स्थानीय सरकारों को स्थानीय चुनाव–निकाय के प्रति जवाबदेह बनाया गया है।

मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड को छोड़कर अब देश के सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज लागू हो गया है। इस समय देश में तीनों स्तरों पर 30 लाख चुनकर आए प्रतिनिधि हैं जो 2.6 लाख ग्राम पंचायतों, लगभग छह हजार पंचायत समितियों और 500 से अधिक जिला परिषदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोटे तौर पर इनके कार्य हैं– कृषि विस्तार, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल, लघु उत्पादन, लघु उद्योग, ईंधन व चारा, पुस्तकालय, लोक–वितरण प्रणाली, कल्याण कार्यक्रम, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा, पशुपालन, खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़कें, पुलिया, पुल, जलमार्ग व संचार के अन्य साधन, स्त्री और बाल विकास, परिवार कल्याण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना।

पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए बेहद जरूरी है कि उन्हें शक्तियों/अधिकारों का हस्तांतरण केवल नाम के लिए नहीं बल्कि वित्तीय व प्रशासनिक दोनों ही तरह का हो, सच्ची स्वायतत्ता के साथ। उसमें निम्नलिखित शामिल हों:–

- कार्यों का आबंटन;
- निधियों का आबंटन;

- कार्यकर्ता उपलब्ध कराना;
- स्टाफ पर कार्यकर्ताओं का प्रशासनिक नियंत्रण;
- बजट और स्टॉफ सहित कार्यक्रमों और योजनाओं का हस्तांतरण;
- स्थानीय–स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने की आज़ादी;
- कार्यकर्ताओं तथा उनके स्टॉफ का क्षमता निर्माण।

आइए, अब वस्तुस्थिति पर गौर करें, संविधान के अनुच्छेद 243–जी में पंचायतों की परिकल्पना 'स्वायत्त शासन संस्थाओं' के रूप में की गई है और संविधान की 8वीं अनुसूची में आधारस्तरीय विकास संबंधी '29 विषय' पंचायतों को सौंपे गए हैं जबकि व्यवहार में जब अधिकार और शक्तियां ट्रांसफर करने की बात आती है तो इन्हें राज्यों के विधानमंडलों की दया पर छोड़ दिया गया है।

पंचायती राज के संचालन का आधार विभिन्न स्तरों पर चुनावों को ही बनाया गया है, ताकि (1) ग्रामवासियों में स्थानीय समस्याओं के प्रति जागरूकता हो, (2) उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़े (3) मताधिकार का उचित प्रयोग हो, (4) मताधिकार के प्रयोग का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जा सके तथा (5) मतदाताओं की उदासीनता दूर की जा सके क्योंकि चुनाव ही हमारे स्वराज्य की नींव हैं। किंतु भारत में इस व्यवस्था की प्रगति धीमी ही रही, कारण, संविधान की दृष्टि से भले ही ये स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं किंतु भारत के राजनैतिक संघीय ढांचे को देखें तो अधिकांश वित्तीय अधिकार संबंधित राज्य सरकारों के विधानमंडलों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिए गए हैं। नतीजन, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और शक्तियां हर राज्य में अलग–अलग हैं। वहां की सरकारों की दया पर आश्रित कई राज्यों में तो पंचायती राज व्यवस्था के त्रि–स्तरीय ढांचे के चुनाव ही नहीं होते, नौकरशाहों का सत्ता–मोह, उनके और पंचायती कार्यकर्ताओं के बीच संवादहीनता, दायित्वों में अस्पष्टता के अलावा, ग्रामीण मतदाताओं के दृष्टिकोण में भी संकुचन और उदासीनता देखने को मिलती है। ग्रामीण लोगों ने पंचायती संस्थाओं के चुनावों में पंचपरमेश्वर की पवित्रता भुला दी है जिससे पंचायती संस्थाओं का धरातल ही डगमगाने लगा है।

इन समस्याओं पर गौर करें तो देखने में आता है कि पंचायतों पर बड़े–बड़े किसानों और समाज के कुछ विशेष वर्गों की प्रभुता पाई जाती है, ये 'जनशक्ति' का प्रतीक नहीं बन पाई हैं। दूसरी बात, पंचायतों के चुनावों में सर्वत्र राजनीतिक दलों की घुसपैठ देखने को मिलती है, पंच व सरपंच हेतु योग्य व्यक्तियों का चुनाव नहीं हो पाता। तृतीय, जिलाधीश तथा अन्य पंचायती संस्थाओं के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप एवं दबावों के कारण पंचायतों के पदाधिकारी गलत कार्य कर बैठते हैं। विभिन्न स्वार्थी तत्वों जैसे व्यापारी वर्ग, ठेकेदार, खुद से बने सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संस्थाओं द्वारा पंचायतों के चुनाव से आए कार्यकर्ताओं पर रौब डालना, उन पर अवांछित दबाव डालना, उन्हें छोटे–मोटे लालच देकर जन कल्याण के असली मुद्दे से भटका देना, आए दिन की बात है। अगली बात, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण गांव वालों को आपसी झगड़ों से ही छुट्टी नहीं मिलती। पंचायतों की आय के साधन भी बहुत सीमित हैं, सरकार से मिलने वाला अनुदान पर्याप्त नहीं होता। इस बात पर भी अभी तक प्रश्नचिह्न लगा हुआ है कि पंचायती राज का ढांचा क्या हो, नए अधिनियम में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान है, परंतु 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्यों में दो–स्तरीय पंचायतें होंगी जबकि देखने में आता है कि जम्मू–कश्मीर में एक–स्तरीय ढांचा है।

2016 में 'विकेंद्रीकरण तथा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में इस तथ्य पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई कि पिछले 2 दशकों के दौरान समाज के आधार स्तर पर होने वाले खर्च तो कई गुना बढ़ गए हैं परंतु ये स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से नहीं अपितु राज्य सरकारों के माध्यम से किए गए– एक अहम प्रश्न उठता है –क्या केंद्रीय वित्त निगम या राज्य वित्त निगम संविधान के 73वें संशोधन की मूल भावना को ही नहीं समझ पाए हैं? विषय विशेषज्ञ तथा पूर्व आईएएस, टी आर रघुनंदन ने यह देखकर कहा,'संघवाद आज भी जिंदा है, पूरी शिद्दत के साथ'। 2015 से 2020 तक केंद्र वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए। एसडब्ल्यू और यूएफई चाइना एंड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, अमेरिका के अनवर शाह ने अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों और प्रथाओं से प्राप्त अनुभवों के आधार पर कहा, ''स्थानीय स्तर की विकास योजनाएं तथा उसके लिए बजट तय करने में सरल, पारदर्शी और पूर्व अनुमेय नीतियां ही कारगर सिद्ध होती हैं।''

हमारे पंचायती राज मंत्रालय ने 2014 में एक स्टडी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के माध्यम से करवाई, यह देखने के लिए कि देश के सभी राज्य पंचायती राज व्यवस्था में शक्तियों/अधिकारों के हस्तांतरण में कौन से नंबर पर रहे।

शक्तियों/अधिकारों का हस्तांतरण–स्थान निर्धारण

मानदंड	पहला स्थान	दूसरा स्थान	तीसरा स्थान
कार्य/गतिविधियां	केरल	सिक्किम	पश्चिम बंगाल
कार्यकर्ता	केरल	महाराष्ट्र	मणिपुर
निधियां/वित्त	कर्नाटक	मध्यप्रदेश	केरल
बुनियादी सुविधाएं,संचालन के अधिकार और पारदर्शिता	केरल	पश्चिम बंगाल	महाराष्ट्र
समग्र स्थिति	केरल	कर्नाटक	महाराष्ट्र

(स्रोतः पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2014 में कराई गई स्टडी से)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि संशोधित डेवोल्यूशन सूची के अनुसार केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य समग्र सूची में सबसे ऊपर रहे जबकि जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड का प्रदर्शन निम्नतम रहा।

सुझाव

भारत जैसे देश, जिसमें 6 लाख से भी अधिक गांव हों, पंचायती राज व्यवस्था को यदि राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ कहा जाए तो अतिश्योक्ति न होगी। भले ही 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था के संगठनात्मक ढांचे में सुधार लाने के प्रयत्न किए गए हैं पर इसे सच्चे अर्थों में स्वशासन बनाना इतना आसान नहीं है। जरूरत है इनके प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों, लगाए जा रहे पैसे, अपनाए जा रहे तरीकों की वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण की।

- पंचायतों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी। उन्हें आय के पर्याप्त तथा स्वतंत्र स्रोत दिए जाएं ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
- पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यावसायिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्रशासक और विशेषज्ञों को योजनाएं बनाने और चलाने में स्वतंत्रता दी जाए ताकि वे अपने अनुभवों के आधार पर कार्यकुशलता से काम कर सकें।
- व्याप्त गुटबंदी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाए ताकि पदाधिकारी निहित स्वार्थों से मुक्त हो पंचायतों के मित्र, दार्शनिक एवं पथ–प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सकें।
- पंचायतों के चुनावों में मतदान को अनिवार्य करना होगा एवं जो मतदाता चुनाव में भाग न लें, उन पर मामूली ही सही पर जुर्माना लगाया जाए;
- जिला–स्तर के योजनाकार ग्राम्य जीवन की वास्तविकताओं को समझने के लिए वहां जाकर कुछ समय गुज़ारें ताकि योजनाएं सार्थक बनें और कार्यान्वित करने में आसान हों;
- प्रशासन उन्हें यथार्थपरक आंकड़े और तथ्य जुटाने में मदद करे;
- मनरेगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा खाद्य सुरक्षा विधेयक जैसी कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्रामसभा की सशक्त भूमिका सामाजिक अंकेक्षण को लेकर महत्वपूर्ण हो। मनरेगा अधिनियम की अनदेखी इसलिए हो रही है क्योंकि न तो ग्रामसभाएं सशक्त हैं और न ही इनके कार्यों का सोशल ऑडिट होता है।

2005 का 'सूचना का अधिकार' जनता को लोकोपयोगी योजनाएं ठीक से क्रियान्वित करवाने में मदद कर सकता है किंतु गांव–देहात में आज भी आम जन को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता है, पंचायतों के चुने गए कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनता के बीच यह विश्वास पैदा किया जाए कि शक्तियों के हस्तांतरण, विकेंद्रीकरण की यही प्रक्रिया उनके आर्थिक और सामाजिक विकास का रास्ता है। यह उनकी स्वयं की, उन्हीं के लिए और उनके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार है।

बेहतर परिणाम मिल सकते हैं यदि गांवों के नौजवान, पढ़े–लिखे लोग, गैर–सरकारी संगठन अपने गांवों के विकास की जिम्मेदारी के प्रति तहेदिल से जागृत होकर काम करें। एक उपाय यह भी हो सकता है कि केंद्र सरकार खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम की ही भांति पंचायती राज संशोधन अधिनियम का सही कार्यान्वयन राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये पर न छोड़कर इसे अपना दायित्व मानकर निभाए। सर्व–समावेशी प्रजातंत्र यदि लाना है तो चुनावों में केवल वोट देकर कर्तव्य की इतिश्री मानने से काम नहीं चलेगा बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आम जन की रोटी, कपड़ा, मकान के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना होगा।

(लेखिका नाबार्ड, चंडीगढ़ में सहायक महाप्रबंधक हैं।)

ई–मेल : manjulajaipur@gmail.com

वन–धन योजना का विस्तार

सरकार जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वन–धन योजना के तहत देशभर में 30,000 स्वयंसहायता समूहों को शामिल करके 3,000 वन–धन केंद्रों की स्थापना करेगी। एक परिवर्तनकारी पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय मंत्रालय और ट्राईफैड की वन–धन योजना का अंबेडकर जयंती समारोह में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल, 2018 को उद्घाटन किया था। जनजातीय समुदाय के लिए अतिरिक्त आमदनी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वन–धन, जन–धन और गोबर–धन योजनाओं में जनजातीय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। राज्य सरकारों को क्रमबद्ध तरीके से तीनों ही योजनाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

वन–धन योजना के तहत बीजापुर, छत्तीसगढ़ में 30–30 जनजातीय संग्रहकर्ताओं के 10 स्वयंसहायता समूह का गठन किया गया। इसके बाद इन सभी को प्रशिक्षण दिया गया तथा कार्यशील पूंजी प्रदान की गई ताकि वे जंगलों से प्राप्त सामग्री को एकत्र करने के बाद उसे और मूल्यवान बना सकें। ये समूह जिला अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये अपनी वस्तुओं को सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी बेच सकते हैं। प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ट्राईफेड द्वारा प्रदान की जाती है।

वन–धन मिशन गैर–लकड़ी के वन उत्पादन का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका के साधन उत्पन्न करने की पहल है। जंगलों से प्राप्त होने वाली संपदा, जोकि वन धन है, का कुल मूल्य दो लाख करोड़ प्रतिवर्ष है। इस पहल से जनजातीय समुदाय के सामूहिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। वन–धन योजना का उद्देश्य परंपरागत ज्ञान और कौशल को सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से और निखारना भी है। वन संपदा समृद्ध जनजातीय जिलों में वन–धन विकास केंद्र जनजातीय समुदाय के जरिए संचालित होंगे। एक केंद्र 10 जनजातीय स्वयंसहायता समूह का गठन करेगा। प्रत्येक समूह में 30 जनजातीय संग्रहकर्ता होंगे। एक केंद्र के जरिए 300 लाभार्थी इस योजना में शामिल होंगे।

भारत सरकार

युवा ऊर्जा से बदलता देश

देश का बढ़ता जाता विश्वास...

साफ नीयत सही विकास

स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार और इनोवेशन पर ज़ोर।

7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी और कई नए विश्वविद्यालयों के साथ उच्च शिक्षा में नए अवसर।

स्किल इंडिया के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण।

युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर

- मुद्रा, स्टार्ट–अप और स्टैंड–अप योजनाओं से स्वरोज़गार में अप्रत्याशित वृद्धि
- तेज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से तेज़ी से बढ़ते रोज़गार के अवसर
- लगातार मिल रहे प्रोत्साहन से प्राइवेट सेक्टर में संभावनाओं का विस्तार

खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत, जहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की सहायता।

अधिक जानकारी के लिए 48months.mygov.in पर जाएँ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश में मुद्रा लाभान्वितों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे।

दिनांक: **29 मई, 2018** | समय: **सुबह 9:30 बजे** | बातचीत का सीधा प्रसारण: **DD नेटवर्क पर**

DAVP22112/13/0004/1819

उद्दीपन का स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम

–डॉ. टी. विजयकुमार

उद्दीपन एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नाकरेकल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ बनाना है। यह कार्यक्रम तेलंगाना के नलगोंडा और यदाद्री भोनगिर जिलों के छह मंडलों के एक सौ स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। उद्दीपन सेनिटेशन लीड की गतिविधियों के उद्देश्यों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, साबुन से हाथ धोने और मध्याह्न भोजन पकाते और परोसते समय स्वच्छता का ध्यान रखने, शौचालयों, क्लासरूमों, स्कूल के आसपास के वातावरण, जलस्रोतों, रसोई में स्वच्छता रखरखाव के प्रति बच्चों और उनके परिवारों तथा समुदायों में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

उद्दीपन के छह लक्ष्यों में से एक अर्थात उद्दीपन सेनिटेशन लीड (यूएसएल) के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों और समुदाय के बीच स्कूल स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम को संचालित करना है। यूएसएल के इस कार्यक्रम के संचालन में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, जिला प्रशासन, राजकीय जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, शिक्षक, मदर टेरेसा रूरल डेवेलपमेंट सोसायटी जैसे समुदाय–आधारित संगठनों और स्वयंसहायता समूहों की महिला सदस्य शामिल हैं, ताकि एक अभियान के तौर पर काम करते हुए स्कूलों और समुदायों के बीच स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

उद्दीपन सेनिटेशन लीड की गतिविधियों के उद्देश्यों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, साबुन से हाथ धोने और मध्याह्न भोजन पकाते और परोसते समय स्वच्छता का ध्यान रखने, शौचालयों, क्लासरूमों, स्कूल के आसपास के वातावरण, जलस्रोतों, रसोई में स्वच्छता रखरखाव के प्रति बच्चों और उनके परिवारों तथा समुदायों में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में शिक्षकों और अभिभावकों से मिली ऐसी जानकारी निहित है, जिसके अनुसार अधिसंख्य सरकारी स्कूलों में असुरक्षित पानी, शौचालय सुविधाओं का अभाव, हाथ न धोने की अस्वास्थ्यकर आदत, सरकारी स्कूलों में सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूलों से अनुपस्थित रहते हैं। इन मुद्दों के समाधान में उद्दीपन की कोर कमेटी ने राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ सलाह–मशविरा करके एक कार्यनीतिक योजना तैयार की, जिसमें एनआईआरडीपीआर के शिक्षकों ने उद्दीपन को संसाधन सहायता उपलब्ध कराई।

उद्दीपन कमेटी ने सोसायटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पोवर्टी (एसईआरपी) के एमपीडीओज़ और सहायक परियोजना प्रबंधकों की मदद से निर्वाचन क्षेत्र के सभी 6 मंडलों से करीब 60 महिला स्वयंसहायता समूहों की पहचान की।

महिला स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में स्वच्छता उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) ने स्वयंसहायता समूह की चुनी हुई महिलाओं को वाइट फिनाइल, सरफेस क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिशवाश पाउडर और लिक्विड हैंडवाश जैसे उत्पादों को तैयार करने का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया। एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षकों और अनुसंधान विद्यार्थियों की टीम ने महिला सदस्यों को उद्यमियों के रूप में विकसित करने में मदद की। स्वयंसहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाओं को ''टर्बो साफ'' ब्रांड के नाम से सेनिटरी लघु उद्यम स्थापित करने और रमन्नापेट, नारकेटपल्ली, नाक्रेकल और कट्टानगुर मंडल मुख्यालयों में चार खुदरा दुकाने

एमडीएम के रसोइए एवं सहायक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को पहन कर भोजन परोसते हुए।

खोलने के लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई। नारकेटपल्ली की मदर टेरेसा रूरल डेवेलपमेंट सोसायटी ने स्वयंसहायता समूहों, स्कूलों और बाजार संपर्कों के जरिए समुदाय में इन पदार्थों को बढ़ावा देने में सहायता की। ''टर्बो साफ'' ब्रैंड की विशिष्टता यह है कि यह लागत की दृष्टि से किफायती, पर्यावरण अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण सामग्री से बनाया गया है, जो उपभोक्ताओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए उन्हें व्यवहार में बदलाव लाने का संदेश देता है।

उद्दीपन कमेटी ने रसोइयों एवं सहायकों, 100 प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में एक दिन का पूर्वाभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने 285 रसोइयों एवं सहायकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (हैडगियर्स, एप्रन, मास्क और हैंडग्लव्स) तथा सभी उद्दीपन स्कूलों और 20 कार्यालयों (मंडल विकास कार्यालय, मंडल संसाधन केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर कार्यालय) को 120 फर्स्ट एड किट्स प्रदान किए।

कोर कमेटी ने प्रत्येक स्कूल से चौथी, पांचवीं और छठी तथा सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को शामिल करते हुए शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों की मदद से सभी 100 स्कूलों में एक साथ स्वच्छ दूत क्लबों की स्थापना की। कुल मिलाकर 450 स्वच्छ दूत क्लबों का गठन किया गया, जिनमें करीब 2250 विद्यार्थी शामिल किए गए। विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के संदेशों की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। स्वच्छता के प्रति परिवारों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदेशों और स्लोगनों की भी जानकारी दी गई। एनआईआरडीपीआर ने 100 उद्दीपन स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में आईईसी (सूचना शिक्षा संचार) सामग्री प्रदान की और उनसे कहा कि वे उसे अपने स्कूलों, कार्यालयों और गांवों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करें।

व्यवहार में सफलतापूर्वक और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए उद्दीपन सेनिटेशन लीड ने स्वच्छ दूत विद्यार्थियों, स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं, अनुसंधान विद्यार्थियों, स्वयंसेवकों, इंटर्नशिप विद्यार्थियों का इस्तेमाल हस्त–प्रक्षालन अभियान के लिए बदलाव लाने वाले एजेंटों के रूप में किया। यह अभियान 60 स्कूलों में चलाया गया ताकि बच्चों को उनके घरों और समुदायों के लिए स्वच्छता पद्धतियों के बारे में समझाया जा सके।

उद्दीपन सेनिटेशन लीड और महिला स्वयंसहायता समूह के 10 सदस्यों की टीम ने मार्च 2018 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक उद्दीपन के 60 स्कूलों में **''हाथ धोएं जीवन बचाएं''** अभियान आयोजित किया।

स्वच्छता दूत विद्यार्थी गांव में बैनरों के साथ स्वच्छता और सफाई के बारे में स्मॉर्ट वॉक में हिस्सा लेते हुए।

इस अभियान के दौरान टीम के सदस्यों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की हस्त–प्रक्षालन तकनीकों से संबंधित पर्चों का वितरण किया और विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के समक्ष हाथ धोने के 9 चरणों का प्रदर्शन किया। इस विशाल अभियान में विभिन्न गांवों के 4000 विद्यार्थियों और 1500 समुदाय सदस्यों और शिक्षकों तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उद्दीपन के अंतर्गत सफलता की कहानी

तेलंगाना राज्य में नलगोंडा जिले के कट्टानगूर मंडल के अंतर्गत अतिपामूला गांव पंचायत की 5 बस्तियों में से एक है मार्थावारी गुडेम। इस बस्ती ने लेखक के मार्गदर्शन के उद्दीपन इनिशिएटिव के जरिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। इस बस्ती में 70 परिवार हैं, जिसकी 570 की आबादी में 277 महिलाएं हैं। ग्राम पंचायत ने इस बस्ती के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था की है, लेकिन पृथक पारिवारिक शौचालयों का अभाव है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस बस्ती के 56 परिवारों को डेंगू बुखार का सामना करना पड़ा और बीमारी से निजात पाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ा। उद्दीपन के प्रयासों के फलस्वरूप स्थानीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय ने स्कूल के स्वच्छ दूत क्लब के 12 स्वयंसेवी विद्यार्थियों के साथ बस्ती में घर–घर जाकर स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान शुरू किया। स्वच्छ दूत स्वयंसेवकों ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, और सफाई के बारे में साप्ताहिक आधार पर बस्ती में जाकर जागरूकता पैदा करना शुरू किया। उन्होंने अपनी यात्राओं और स्मॉर्ट वॉक के दौरान स्लोगनों के जरिए और हाथ धोने की तकनीकों के बारे में गांववालों के समक्ष प्रदर्शन करते हुए उन्हें जागरूक बनाने का प्रयास किया। मार्तवारी गुड्डेन बस्ती के निवासियों ने सरकार से आईएचएच (अर्थात

मध्याह्न भोजन से पहले विद्यार्थी टर्बो साफ लिक्विड हैंडवॉश का इस्तेमाल करते हुए।

पृथक परिवार शौचालय) सुविधा हासिल की और 26 आईएचएच शौचालयों का निर्माण पूरा किया। कुछ अन्य शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। स्कूल की मुख्य अध्यापिका ने कट्टानगूर मंडल परिषद (ब्लॉक पंचायत) के मंडल विकास अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आईएचएच शौचालयों के निर्माण के लिए कच्चा माल खरीदने और नए शौचालयों की मंजूरी देने में मदद की। उद्दीपन स्कूल के स्वच्छ दूत अभियान ने ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम स्वच्छता समिति को प्रभावित किया ताकि जल निकासी सुविधा मुहैया कराई जा सके। स्कूल के मुख्य अध्यापक ने स्वच्छ विद्यार्थियों की मदद से ''टर्बो साफ'' ब्रेंड के सेनिटरी उत्पाद, लिक्विड हैंडवाश, डिशवाश पाउडर, टॉयलेट क्लिनर और व्हाइट फिनाइल जैसे सेनिटरी उत्पादों की आपूर्ति की, जो उद्दीपन सेनिटेशन लीड ने एनआईआरडीपी के ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क की तकनीकी सहायता से स्वयंसहायता समूह की महिलाओं से तैयार कराए थे। ये स्कूल विद्यार्थियों, अभिभावकों और गांव के लोगों के बीच स्वच्छ व्यवहार को प्रोत्साहित कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय के स्वच्छ दूत क्लब ने ग्राम स्वच्छता समिति के साथ मिलकर स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार में सुधार लाने में ग्रामीणों की सहायता की। इस कार्य में लिक्विड हैंडवाश का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने खुले में शौच जाने और सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता भी फैलाई। इस विद्यालय ने वृक्षारोपण की भी योजना बनाई है और स्वच्छ दूत क्लब स्वयंसेवकों के जरिए और साथ ही ग्राम पंचायत एवं मंडल परिषद (ब्लॉक पंचायत) के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय सहायता से अगले वर्ष तक बस्ती को खुले में शौच जाने से मुक्त कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

(लेखक मानव संसाधन विकास केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

ईमेल : pvkumar.edn@gmail.com

स्वच्छता पहल : बाल स्वच्छता रथ और डॉयल ओडीएफ वैन

स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों की गुणवत्ता पर नजर रखेंगे बाल स्वच्छता रथ

लोगों के लिए खुले में शौच करने की अपनी पुरानी आदत फिर अपना लेना बहुत आसान होता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विद्यापीठ ब्लॉक के अधिकारी खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) के हाल ही में मिले दर्जे को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित ब्लॉक को 23 अक्टूबर, 2017 को ओडीएफ घोषित किया गया था और यह दर्जा पाने वाला जिले का यह पहला ब्लॉक था।

साथ ही, उन्होंने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों की गुणवत्ता जांचने के लिए तीन 'बाल स्वच्छता रथ' आरंभ किए हैं। तीसरे पक्ष द्वारा ओडीएफ का सत्यापन कराए जाने पर पता चला कि स्कूलों में खराब रखरखाव वाले और इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले शौचालयों के कारण ही गांव ओडीएफ के दर्जे को बरकरार नहीं रख पाते। प्रत्येक रथ यानी वैन में जो टीम होती हैं, उसमें एक अधिकारी और 3 सफाईकर्मी होते हैं, जिनके पास गंदे शौचालयों को फौरन साफ करने के लिए सफाई का सामान और उपकरण होते हैं। वे शौचालयों की गुणवत्ता और इस्तेमाल के बारे में प्रश्नावली भी भरेंगे और कार्यालय को सौंपेंगे। उनकी रिपोर्टों के आधार पर सुधार के लिए काम किया जाएगा।

इसके अलावा प्रत्येक तहसील के लिए तीन 'डॉयल ओडीएफ' वैन शुरू की गई हैं। इन वैनों में प्रांतीय रक्षा दल (पीआरडी) के जवान होंगे, जो तीनों तहसीलों में निगरानी समितियों की सहायता करेंगे। शिकायत एवं प्रतिक्रिया के लिए लैंडलाइन फोन भी लगाया गया है और उसके नंबर का प्रचार किया गया है ताकि लोग ओडीएफ से जुड़ी समस्याओं की शिकायत कर सकें। निगरानी समितियों को वर्दी दी गई है और लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं, जिनके आधार पर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी

'गड्ढ़ा खोदो शौचालय बनाओ' अभियान

बिहार के सीतामढ़ी जिले के लोगों ने 11 जून, 2018 को 'गड्ढ़ा खोदो, शौचालय बनाओ' नामक अभियान के हिस्से के रूप में 1,03,232 गड्ढ़े खोदे। इस अभियान का लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम–जी) को मजबूती प्रदान करना और जिले को खुले में शौच जाने से मुक्ति दिलाने के लिए अपेक्षित शेष शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा करना था।

अभियान की शुरुआत 11 जून को प्रातः 8 बजे हुई जब जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रंजीत कुमार सिंह ने स्वयं 8 गड्ढे खोदे। शेष गड्ढ़े पूरे करने के लिए हर व्यक्ति ने अपना योगदान किया। जिला अधिकारियों और विभिन्न सरकारी विभागों के कार्मिकों से लेकर पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों और जीवन के सभी क्षेत्रों से संबद्ध व्यक्तियों तक–सभी ने लक्ष्य पूरा करने और स्वच्छता सुविधाओं तक सबकी पहुंच कायम करने के लिए हाथ बंटाया।

बिहार में सीतामढ़ी, जो सीताजी (जगत जननी महाजानकी) का जन्म स्थान समझा जाता है, राज्य का एक उत्तरी जिला है, जो नेपाल की सीमा के निकट है। यह राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है, जिसकी 85 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है और साक्षरता करीब 52 प्रतिशत है। इस जिले में प्राकृतिक आपदाओं की आशंका रहती है और यह अभी तक 13 राष्ट्रीय आपदाएं झेल चुका है। यहां बाढ़ आना हर वर्ष सामान्य बात है और साक्षरता जैसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक–आर्थिक संकेतकों की दृष्टि से जिले की स्थिति कमतर आंकी जाती है, इसी वजह से इसे नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में शामिल किया है।

जहां तक स्वच्छता का प्रश्न है, अक्टूबर 2014 में ये सुविधाएं मात्र 21.3 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध थीं। पिछले 3 वर्षों में 3.11 लाख शौचालय बनाए गए, जिनमें से 2.38 लाख का निर्माण 2017 में पूरा हो गया था। शौचालय निर्माण गतिविधियों के अतिरिक्त लोगों में सक्रियता और जागरूकता लाने के लिए भी व्यापक उपाय किए गए, ताकि व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाए जा सकें। फिर भी जून 2018 तक करीब 1.10 लाख परिवार ऐसे थे, जिन्हें शौचालयों की आवश्यकता थी।

सीतामढ़ी के जैडएसबीपी, गुरु रत्नम के अनुसार 'गड्ढ़ा खोदो शौचालय बनाओं' का आह्वान एक ऐसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया, जो पूर्व में सरकारी स्कूलों में एक घंटे में 17006 दाखिले करने जैसे महत्वाकांक्षी अभियानों को अंजाम दे चुके थे; और करीब 10 दिन पहले 16 लाख लोगों को शामिल करते हुए एक प्रभात फेरी का आयोजन कर चुके थे।

इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यापक जनभागीदारी के साथ गड्ढ़ा खोदो अभियान आयोजित किया गया। अभियान के प्रारंभ में जिला मजिस्ट्रेट ने यह जानने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया कि 2012 के बेस लाइन सर्वेक्षण के बाद कितने परिवार शेष थे जिनके पास शौचालय नहीं थे। इसके बाद प्रशिक्षित स्वच्छाग्रा ही या प्रेरक उन घरों में भेजे गए ताकि लोगों को शौचालय बनवाने के लिए राजी किया जा सके। शौचालय बनाने के लिए गड्ढ़ा खोदने हेतु निशुल्क श्रमदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसके अलावा प्रत्येक 200 परिवारों पर एक नोडल अधिकारी निर्दिष्ट किया गया और बहु–स्तरीय निगरानी व्यवस्था की गई।

गुरु रत्नम ने बताया कि 11 जून को शाम 5 बजे तक 56754 गड्ढे खोदे जा चुके थे, और 44000 गड्ढे खोदने का लक्ष्य बकाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक नेक कार्य के लिए लोगों की शक्ति उजागर हुई और सभी सरकारी विभागों के बीच कारग़र समाभिरूपता देखने को मिली। स्थानीय विधायक और संसद सदस्य भी इस अभियान में शामिल हुए।

अभी तक, जिले के 17 ब्लॉकों में से तीन ब्लॉक खुले में शौच जाने से मुक्त कराए जा चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस 'गड्ढ़ा खोदो शौचालय बनाओं' अभियान के चलते शेष 14 ब्लॉक भी खुले में शौच जाने से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद एक व्यापक जांच की जाएगी। ❑

सर्वश्रेष्ठ स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय पुरस्कार

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11 जून, 2018 को नई दिल्ली मे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए। साथ में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री राम कृपाल यादव और ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव श्री अमरजीत सिन्हा भी हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज व खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 11 जून, 2018 को दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम) के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इससे बेहतर प्रदर्शन करने वाले सामुदायिक संस्थाओं को पहचान मिली है। वर्ष 2017–18 के लिए 34 स्वयंसहायता समूहों को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक एसएचजी को एक लाख रुपये, एक प्रमाणपत्र और एक स्मारक प्रदान किया गया। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री रामकृपाल यादव पुरस्कार समारोह में सम्मानित अतिथि थे।

श्री तोमर ने कहा कि समूहों को ऋण सुविधा मिलने से वे बदलाव के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि पांच करोड़ महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और 9 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

श्री तोमर ने पुरस्कार प्रक्रिया में सुधार और इसमें अधिक लोगों को शामिल करने के लिए सुझाव भी दिए। पहला सुझाव बैंकों के समक्ष एनपीए की समस्यां से संबंधित था। इसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि बैंक आसानी से और विशेष रूप से गरीबों को ऋण नहीं देते हैं, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि एसएचजी को बैंकों से ऋण और आसान ऋण सुविधाएं प्राप्त हों तथा एसएचजी के बीच एनपीए की कुल दर बहुत कम है। दूसरा सुझाव पुरस्कारों में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए विभिन्न एसएचजी को ग्रेड प्रदान करने के बारे में है। उन्होंने कहा कि इससे उनके बीच बेहतर से बेहतर कार्य करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इसके लिए उनकी सफलता की गाथा को भी रेखांकित किया जा सकता है।

कार्यक्रम में 3 राज्यों की महिला सदस्यों ने दर्शकों और अतिथियों के साथ गरीबी से बाहर निकलने के अपने अनुभव साझा करने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे एनआरएलएम के साथ उनका संपर्क और उसके उपाय उनके जीवन में आत्मसम्मान के भाव भरने में महत्वपूर्ण रहे हैं। स्वयंसहायता समूहों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य सामुदायिक संस्थानों के असाधारण प्रदर्शन को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना तथा समुदाय के गरीब सदस्यों में सम्मान की भावना भरना है। डीएवाई–एनआरएलएम द्वारा 2016–17 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एसएचजी और ग्रामीण संगठनों को पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया था।

इस अवसर पर श्री तोमर ने एनआरएलएम के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का सारसंग्रह और स्वयंसहायता समूह के उत्पादों का कैटलॉग भी लांच किया। डीएवाईएनआरएलएम के तहत 24 चुनिंदा सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह राज्य मिशनों को सफल कार्यान्वयन और नवाचार से पार सीखने की सुविधा प्रदान करेगा। एसएचजी उत्पादों की एक सूची भी जारी की गई जिसमें स्वयंसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विवरण हैं। ❑

चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून, 2018 को चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया।

21 जून 2018 को देश–विदेश मे चोथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कई राज्यों सहित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देशभर में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) में हुए मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शांत, रचनात्मक और सुखी जीवन का मार्ग योग है। उन्होंने कहा, "यह तनाव और दिमागी चिंता को पीछे छोड़ने का माध्यम भी बन सकता है। योग बांटने के बजाय एकजुट करता है।"

उन्होंने कहा, "योग मुश्किलों को बढ़ाने के बजाय उपचार करता है। चाहे यह व्यक्तिगत हो या हमारे समाज की बात हो, योग में हमारी समस्याओं के परिपूर्ण समाधान मौजूद हैं। विश्व ने योग को हाथों–हाथ स्वीकार किया है और हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के तरीके में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। वास्तव में योग दिवस अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे बड़े जनांदोलन में से एक के तौर पर सामने आया है।"

कार्यक्रम के दौरान एफआरआई के मैदान पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने योग किया। भारत और कई देशों में योग के प्रति उत्साही लोगों ने इस प्राचीन परंपरा का अभ्यास किया। दुनिया भर में कई स्थानों पर चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि आयुष मंत्रालय ने योग चिकित्सकों और उनसे जुड़े संगठनों के प्रमाणन के लिए योग प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इस परंपरा को बढ़ावा देने के लिए देशभर में योग पार्कों की स्थापना भी की है। ❑